लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्ठम माला, खंड 29, आठवां सत्र—दूसरा भाग, 1987/1909 (शक)

अंक 54, गुरुवार, 30 जुलाई, 1987/8 श्रावण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
श्रीलंका और भारत के बीच समझौते के बारे में	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—6
*तारांकित प्रश्न संख्या : 62	
कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हमले के बारे में	6—9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	9—187
तारांकित प्रश्न संख्या : 61 और 63 से 80	9—23
अतारांकित प्रश्न संख्या : 662 से 693, 695 से 703, 705 से 729, 731 से 875 और 877 से 890	23—187
कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हमले के बारे में	187
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना	188
नई दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	188—190
सरदार बूटा सिंह	188
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	190—191
दक्षिण-पश्चिम मानसून के रुख और फसलों पर इसके प्रभाव के बारे में वक्तव्य	191—193
डा० जी० एस० ढिल्लों	191
रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	193—195
श्री माधव राव सिंधिया	193
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	196
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	196

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन	196—197
प्राक्कलन समिति	
कार्य-मंत्रणा समिति	197—198
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रश्नों की जांच करने हेतु संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव [—जारी]	198—199
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	199
श्री जनार्दन पुजारी	199
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	200
श्री जनार्दन पुजारी	200
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक —पुरःस्थापित	200
नियम 377 के अधीन मामले	200—203
(एक) वैशाली एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता	
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	200
(दो) वर्तमान रिक्त पदों को भरने और नये पदों के सर्जन पर लगे प्रतिबंध को, विशेषतया डाक और दूरसंचार विभागों से, हटाने की आवश्यकता	
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	201
(तीन) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पुनः छह-दिवसीय सप्ताह करने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	202
(चार) मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता	
डा० गौरीशंकर राजहंस	202
(पांच) विदेशों में बसे भारतीयों से संबंधित मामलों को निपटाने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	202
(छः) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु एक शिक्षा आयोग गठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	203

विषय	पृष्ठ
देश में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	203—204
नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक	204—214
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० जी० एस० ढिल्लों	204
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन	205
श्री एन० डेनिस	207
श्री जी० एस० वासवराजू	209
प्रो० के० वी० थामस	209
श्री वी० कृष्ण राव	211
खंड 2 और 1 पारित करने के लिये प्रस्ताव	213
डा० जी० एस० ढिल्लों	213
कोलम्बो में हुई घटना के बारे में वक्तव्य	214
श्री पी० चिदम्बरम	214
उपग्रह संचार (संशोधन) विधेयक	215—216
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० ए० संगमा	215
भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य	216—219
श्री राजीव गांधी	216

लोक सभा

गुरुवार, 30 जुलाई, 1987/8 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

श्रीलंका और भारत के बीच समझौते के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, श्रीलंका तथा भारत के बीच ऐतिहासिक समझौता करने के लिए हमें अपने प्रधान मन्त्री को बधाई देनी है ।···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, ऐतिहासिक समझौता करने पर प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने को बधाई देते हुए सभा को एक संकल्प पारित करना चाहिए···

श्री पी० कुलनदईवेलू : और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए सभा को अपना आभार व्यक्त करना चाहिए तथा अभिलेख रखना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि समस्त सभा, हमारे प्रधान मन्त्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन तथा कई अन्य संस्थाओं को, जो इस समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करवाने में शामिल थीं, बधाई देती है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : हमें एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए । (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ से मैं पहले ही यह कह चुका हूं । अब हम प्रश्नकाल का कार्य आरम्भ करेंगे ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हमें एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अध्यक्षपीठ से पहले ही यह बात कह दी है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम

*62. श्री महेन्द्र सिंह :
श्री मुकुल वासनिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगामी शिक्षा सत्र से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन से विश्वविद्यालयों और कालेजों में यह पाठ्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य सामान्य शिक्षा के कालेजों में स्नातक डिग्री के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल को एक विषय के रूप में चुनने हेतु छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने और एथलेटिक, व्यायाम तथा योग के अतिरिक्त चार खेलों अथवा दो खेलों और एक व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम में पर्याप्त स्तर की योग्यता प्राप्त करने में सहायक होगा।

(ग) वर्ष 1987-88 से पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) विश्व भारती, शांतिनिकेतन

(2) एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई।

(3) कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, उ० प्र०

(4) शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।

(5) कल्याणी विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल)

(6) एच० एच० राजा कालेज, पुद्दुकोटई (तमिलनाडु)

(7) एस० जी० एम० कालेज, कारद, महाराष्ट्र।

(8) विलिंगटन कालेज, सांगली, महाराष्ट्र।

(9) तिलक डिग्री कालेज, औरैया, इटावा, उ० प्र०

(10) एम० एम० एच० कालेज, गाजियाबाद, उ० प्र०।

(11) सी० एम० कालेज, दरभंगा, बिहार ।

(12) आर० के० कालेज, मधुबनी, बिहार ।

(13) समस्तीपुर कालेज, समस्तीपुर, बिहार ।

(14) एम० आर० के० गोयंका कालेज, सीतामढ़ी, बिहार और

(15) एम० एस० कालेज, मोतीहारी, बिहार ।

श्री महेन्द्र सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं । क्या आपने यह सुनिश्चित कर किया है कि जो युवा पुरुष खिलाड़ी तथा महिला खिलाड़ी इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा ? हमारी नीति डिग्री को रोजगार से जोड़ने की है ।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हमारी नीति डिग्री को रोजगार से अलग करने की है । यह माननीय सदस्य द्वारा कहे गए कथन से विपरीत है । यह पाठ्यक्रम, अन्य सभी पाठ्यक्रमों के साथ जो पहले से प्रचलित है, पहली बार शुरू किया जा रहा है । इस समय हमने खेलों को नई नीति में शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग बनाया है । अब, हमें कहां से प्रारम्भ करना चाहिए ? नहीं । (एक) हमने सबसे निचले स्तर पर अत्यधिक बुनियादी सुविधाएं दी हैं जिससे वे ऊपर उठ सकते हैं । तत्पश्चात, ऊंचे स्तर, कम से कम उनके लिए जो वास्तव में सक्षम हैं, आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ते खोले हैं । अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह योजना प्रारम्भ की । इस पाठ्यक्रम के बाद, उन्हें कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस पर नियोक्ताओं के स्तर पर पुन: विचार किया जाएगा । उन्हें कौन-सा रोजगार हम दे सकते हैं और कौन-सा रोजगार सरकारी क्षेत्र के उद्यम दे सकते हैं, इस मामले पर बाद में जांच-पड़ताल की जाएगी । इस समय, यह प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसे पाठ्यक्रम के बारे में सोचा है जो पूर्णतया खेलोन्मुख है और जो नीति की सामान्य योजना में उपयुक्त रहेगा ।

श्री महेन्द्र सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना के लिए विशेष वित्तीय सहायता देगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : डिग्री कोर्स की पढ़ाई के लिए यू० जी० सी० की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

[अनुवाद]

आयोग ने पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कालेजों को निम्नलिखित सहायता की पेशकश की है :

पुस्तकालय की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं—40,000 रुपये;

उपकरण—1,60,000 रुपये मूल्य के;

भवन—75,000 रुपये; छह अध्यापकों का वेतन तथा पांच वर्षों के लिए कुछ सहायक कर्मचारी । आयोग की सहायता भवनों के लिये 60 प्रतिशत और पुस्तकों तथा उपकरणों के लिये शत प्रतिशत है ।

श्री मुकुल वासनिक : खेल और शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इस विचार से हम सब सहमत है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण विभाग में हम पीछे रह गए हैं। अतः मैं, सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम चलाने संबंधी निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन इस समय, देश में हमारे यहां लगभग 150 विश्वविद्यालय हैं और 5,000 कालेज हैं और इनमें, से वह सूची जो माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में पेश की है—वह मेरे पास है—केवल 15 कालेजों का उल्लेख करती है जिसमें कुछ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। मैं, इसलिए, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खेलों और शारीरिक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम खोलने के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनमें से कितनों को रद्द किया गया। 'स्वीकृत' के बारे में सूची हमारे पास है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कालेजों में इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का नियतन किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, यू० जी० सी० ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। उसी की अनुशंसा पर तीन वर्ष के लिए बी० एस० सी० फिजिकल एजूकेशन और हैल्थ एजूकेशन और खेल-कूद का डिग्री कोर्स अनुमोदित किया जाता है। विश्वविद्यालयों को यू० जी० सी० लिखती है और यू० जी० सी० के लिखने के पश्चात् जो विश्वविद्यालय अनुशंसाएं करते हैं, उन्हीं के आधार पर जहां-जहां फिजीकल एजूकेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, उन कालेजों में यह डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दी जाती है।

फिलहाल जिन पंद्रह कालेजों की सूची दी गई है उनकी मंजूरी हो गई है और उन कालेजों में ये योजनाएं प्रारम्भ होने वाली हैं। माननीय सदस्य ने और कालेजों में इन योजनाओं के चलाए जाने के बारे में जानना चाहा है, उस बारे मे मेरा निवेदन है कि ऐसे कई कालेजों में इन योजनाओं को चलाया जाना विचाराधीन है किन्तु उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का नियतन किया गया है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन 15 कालेजों के लिए वित्तीय सहायता की जितनी भी आवश्यकता है, देने के लिए सहमत हो गया है और यदि वे इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि इस योजना को चलाने के लिए कुछ अन्य कालेज भी उपयुक्त हैं, संभवतः अधिक सहायता देगा। सरकार की ओर से अलग से कोई नियतन नहीं किया गया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया है। अतः, हमें आशा करनी चाहिए कि इन संस्थाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ेगी जिससे नीति के पूर्णतया लागू करने में शुरू से, आखिर तक हमें कोई युक्तिसंगतता दिखाई दे। इस समय इसके लिए विशेष तौर से कुछ भी नियत नहीं किया गया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फण्ड से आता है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो पूछना चाह रहे थे कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान में कितनी एलोकेशन हो रही है, फिलहाल तो मैं उनको यह बता सकती हूं

कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में 1985-86 में यू०जी०सी० ने रु० 24.95 लाख ग्राण्ट दी है, 1986-87 में 159 लाख और वर्ष 1987-88 के दौरान करीबन 3 करोड़ रुपए हो जाने की सम्भावना है।

श्री भवन पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत मशकूर हैं माननीय मानव संसाधन मन्त्री जी के कि उन्होंने 15 कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है। चाहे यह यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन की तरफ से हुई हो या जो कमेटी गई, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर हुई हो, लेकिन इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि 15 में से, वन थर्ड यानी 5 विश्वविद्यालय बिहार में हैं और 3 उत्तर प्रदेश में हैं। ये ऐसी जगहों पर नही हैं जहां पर इनकी अत्यन्त आवश्यकता है जैसे गोरखपुर में और एक नई यूनिवर्सिटी जौनपुर में खुल रही है। गोरखपुर में एक भली अच्छी प्रकार की यूनिवर्सिटी है, इनमें से किसी स्थान पर निगाह नहीं पड़ रही है जहां पर इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए मैं मानव संसाधन मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े इलाकों की यूनिवर्सिटियां हैं, जहां पर फिजीकल एजूकेशन की अत्यन्त आवश्यकता है, क्या वे यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन को इस प्रकार की डायरेक्शन देने की कृपा करेंगे कि ऐसे स्थानों पर जहां इस प्रकार की स्थिति हो वहां पर इनको खोलने की व्यवस्था करें?

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया है कि यू० जी० सी० सभी विश्वविद्यालयों को लिखती है और पत्राचार के माध्यम से उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि कहां-कहां पर आपका इन्फ्रा स्ट्रक्चर है और उसी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के मुताबिक वहां पर उसकी स्वीकृति की जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 15 विद्यालयों में यह किया जा चुका है लेकिन जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की उपलब्धि होनी चाहिए वह यह है कि प्ले-ग्राउन्ड्ज होने चाहिए, इन्डोर हाल होना चाहिये, उसमें बुक्स होनी चाहिये, एक लायब्रेरी होनी चाहिये उसमें फिजिकल एजूकेशन के लिए लिस्ट आफ बुक्स होनी चाहिये, वोकेशनल ओरिएन्टेशन कोर्स होना चाहिए गेम्स के लिए। फिर टीचर्स के लिए उसमें क्राइटेरिया है कि 4 शिक्षक अवश्य होने चाहियें। फिर एम्पलायमेंट अपोर्चुयुनिटीज इसमें आगे क्या होगा। इस सारे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की जांच करने के पश्चात् ही यू० जी० सी० जब मानती है और विश्वविद्यालय की अनुशंसा होती है तो स्वीकृत होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि जहां पर यू० जी० सी० के लिखने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय से अनुशंसा नहीं की गई है तो वह आप मुझे अगर बतायेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। लेकिन अभी तक हमारी नालेज में कहीं से यह सूचना नहीं आई है कि विश्वविद्यालय के मानने के बाद भी उन्होंने अनुशंसा नहीं की है। जितनी अनुशंसाएं आई हैं, सभी स्वीकृत की गई हैं। जितने विश्वविद्यालयों की जानकारी प्राप्त हुई है कि कालेज में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर स्वीकृति हो गई है। आगे के लिए अगर आपके पास कोई जानकारी है, इक्का-दुक्का कोई केस है, अगर वह बतायेंगे तो जरूर उस पर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवेलु : जहां तक खेल और शारीरिक शिक्षा का सम्बन्ध है, कुछ राज्यों में शारीरिक शिक्षा को डिग्री पाठ्यक्रम में कालेज स्तर पर अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन अधिकांश राज्यों में इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। देश को स्वस्थ लोगों की, स्वस्थ राजनीति की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है—क्या केन्द्रीय सरकार के पास प्राथमिक स्तर से, पहली कक्षा से शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कार्यक्रम है? हमें शारीरिक शिक्षा शुरू करनी है और केवल इसके बाद ही हम जनता में अनुशासन ला सकते है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई योजना है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा और योग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसका प्रमुख अंग भी बनाया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इसका उद्देश्य ही यही है कि छात्र-छात्राओं में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल-कूद को विशेष रूप में बी० एस० सी० स्तर तक अध्ययन कराना तथा खेल-कूद को व्यवसायी उन्मुख कोर्स बनाना और बनाकर उन्हें योग्यता प्राप्त कराना और उन्हें एथलेटिक स्पोर्ट्स को भी सिखलाना है।

जहां तक राज्य सरकारों की बात है, उन्हें तो हमने गाइड-लाइन्स दी हैं और उनसे अनुरोध किया है कि वह उस विषय को रखें और इसी के अनुरूप वह काम किया गया है, उसी की अनुशंसा के बाद हम लोग यह कार्य करेंगे।

प्राइमरी स्कूल में तो हम लोग करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। लेकिन हम इसका तहे दिल से स्वागत तभी कर सकेंगे यदि विश्वविद्यालय और कालेजों से निकलने वाले ऐसे स्नातकों को रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा व्यवस्था हों। आज न तो गैर सरकारी क्षेत्र और न ही सरकारी क्षेत्र उन खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, जिन्होंने स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या रणजी ट्राफी स्तर पर योग्यता प्रदर्शित की है। राज्य स्तर पर भी, ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता। शिक्षा मंत्रालय ने कार्य का समन्वय करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार देने का एक प्रस्ताव खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय में था। उदाहरणार्थ, भारतीय खाद्य निगम, भाण्डागार निगम और मार्डन फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्री उन्हें रोजगार दे रही थी। अब यह योजना खत्म कर दी गयी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त और सिद्धान्त निर्धारित करने का प्रयास करेगी जिसके अधीन अपने ही व्यक्तियों को जोकि खिलाड़ी नहीं हैं रोजगार अवसर न देकर योग्य खिलाड़ी को निजी क्षेत्र की अपेक्षा विशेषकर सरकारी क्षेत्र में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित स्तर पर अवसर प्रदान किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : इस संबंध में स्पोर्ट्स मन्त्री महोदया बतायेंगी। यह प्रश्न कोर्स से संबंधित नहीं है।

11.15 म० पू०

कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हमले के बारे में

[अनुवाद]

श्री मुरली एस० देवरा : क्या यह सत्य है कि प्रधान मन्त्री पर हमला हुआ था? मुझे अभी-अभी बाहर से समाचार मिला है।

डा० माननीय सदस्य : हम मन्त्री महोदय से तुरन्त जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। प्रधान मंत्री का जीवन सुरक्षित है।···(व्यवधान)

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, आज की कार्यवाही के संबंध में एक सूचना अभी मिली है। मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा। यह कोलम्बो से मिली है।

> "श्रीलंका के नाविक ने विदाई समारोह के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा सुरक्षा गारद का निरीक्षण करते समय राजीव गांधी पर अपनी राइफल के कुन्दे से आघात किया। रायटर संवाददाता ने सुरक्षा गारद की पहली पंक्ति में सफेद वर्दी पहने एक नाविक को राइफल उठाते हुए और इसे राजीव गांधी के बाईं नाक और बाएं कन्धे पर मारते देखा। श्री राजीव गांधी मामूली रुके लेकिन ठहरे नहीं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार तक ले जाया गया। द्वीप के जातीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह श्रीलंका में हैं।"

हम अधिक सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति है।

(व्यवधान)

मैंने आपको अभी बताया है। अब तो हमारे पास सिर्फ यही सूचना है। परन्तु हम अधिक सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही और सूचना आएगी हम सभा को इसकी जानकारी दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : हमें इस घटना की निन्दा करनी है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : सभा को इसकी पूर्णतया निन्दा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार में सारी सभा इस घटना की निन्दा करती है। हमारे प्रधान मंत्री सही-सलामत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। मंत्री महोदय बोलेंगे···

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं पूर्णतया आपसे सहमत हूं। पूरी सभा इस कायरतापूर्ण कृत्य की एकमत से निन्दा करती है। जब प्रधान मंत्री सलामी गारद का निरीक्षण कर रहे थे तब यह हुआ। सलामी गारद के

एक नौसैनिक द्वारा ऐसा किया जाना एक बहुत बड़ी बात है। हमें इस कार्य की पूर्णतया निन्दा करनी चाहिए और उसे रिकार्ड में लाना चाहिए। परन्तु जहां तक सही जानकारी का संबंध है, जैसे ही और जानकारी मिलेगी मेरे साथी आपको इस बारे में बतायेंगे।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आप सभा को कम से कम आधे घंटे के लिए स्थगित कर दें। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : प्रधान मंत्री का अब क्या कार्यक्रम है? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह श्रीलंका से चल चुके हैं। अगर वह वहां पर हैं तो सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं? कुछ भी हो सकता है क्योंकि···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, राज्य सभा में मैंने प्रश्नों का उत्तर देना था; परन्तु जैसे ही मैंने यह देखा, मैंने हर संभव तरीके से कोलम्बो से सम्पर्क करने का प्रयास किया। क्योंकि मुझे सभा में पहुंचना था, इसलिए मन्त्री मण्डलीय सचिव से बातचीत की थी। वह वायुयान के साथ-साथ कोलम्बो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अनुमानतः प्रधान मंत्री अब वापिस आ रहे हैं और वायुयान में होंगे। मंत्री मण्डलीय सचिव इस कार्य में लगे हुए हैं; दूसरी एजेंसियां भी इस कार्य में लगी हुई हैं। मैं वापिस जाऊंगा और जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् सभा में आऊंगा। (**व्यवधान**)

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : निन्दा प्रकट करने के लिए आप सभा को स्थगित कर दें।

प्रो० के० के० तिवारी : हम सभी चिन्तित हैं। हमारी इच्छा सभा में बैठने की नहीं है····(**व्यवधान**)

कृपया सभा को स्थगित कर दें।

श्री श्यामलाल यादव : हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् बैठेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : हम हवाई अड्डे पर जाना चाहते हैं। आप कृपया सभा को स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब प्रत्येक सदस्य इससे सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है····

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सभी सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सभा की ऐसी ही राय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है····

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तब जानकारी कैसे मिलेगी?

(**व्यवधान**)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : हमारी कोई भी प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : पूरी सभा उत्तेजित और विक्षुब्ध है तथा सभा ने घटना की निन्दा की है। सदस्य इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से संसदीय कार्य मन्त्री ने जो कुछ कहा है उससे पूरी सभा सहमत है। इसलिए मैं सभा की कार्यवाही 3.00 म० प० तक स्थगित करता हूं।

11.22 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

फैजाबाद और दिल्ली के बीच एक नई एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाना

*61. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को फैजाबाद और दिल्ली के बीच एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस नई रेलगाड़ी के कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) रेलों का अक्तूबर, 87 की समय सारणी से फैजाबाद के रास्ते वाराणसी और नयी दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक नयी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लघु खनन सेवा संस्थान

*63. **श्री विष्णु मोदी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान की तरह एक लघु खनन सेवा संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त संस्थान किस तारीख तक काम करना प्रारंभ कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) लघु खनन सेवा संस्थान के गठन का इस समय कोई प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है। इस विषय में राज्यों के खनन और भूतत्व सचिवों की फरवरी, 1987 की बैठक में विचार हुआ था। उस बैठक में आम सहमति यह बनी थी कि लघु खनन सेवा संस्थान के गठन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेवाएं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पहले से मुहय्या की जा रही हैं। लेकिन, राज्य सरकारें चाहें तो अपने राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य सूचना केन्द्र कायम कर सकती हैं और छोटे खान मालिकों को जरूरत होने पर, राज्यों के खनन निगम परामर्शी सेवा देने की स्थिति में हो सकते हैं।

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

*64. **श्री डी० एन० रेड्डी :**
श्रीमती मनोरमा सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाइयां आ रही हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (रा० शि० नी०) में यह परिकल्पना की गई है कि नीति को केन्द्र तथा राज्यों के बीच सहयोगी प्रयासों से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें अध्यापकों के साथ समाज की पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 30-7-1986 को राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों और संघ शामिल क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/प्रशासकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को समन्वित करने तथा मानीटर करने के लिए मंत्रिमण्डल तथा सरकारी स्तरों की समितियां गठित करने के लिए लिखा था। तत्पश्चात योजनाओं, परियोजनाओं को तैयार करने तथा उसके संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। नीति कार्यान्वयन के सम्बन्ध में फरवरी और अप्रैल, 1987 में नई दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गयी है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के० शि० स० बो०) ने भी 25-26 जून, 1987 को नई दिल्ली में नीति कार्यान्वयन की समीक्षा की। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अगस्त, 1986 में संसद द्वारा अनुमोदित कार्रवाई योजना को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) **उच्च अधिकार-प्राप्त समितियां** : लगभग सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानीटर करने के लिए गठित कर दी गई है।

(II) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुश्रवण करने के लिए केन्द्र में सात केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समितियां स्थापित की गई हैं।

(III) **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** : वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और चालू वर्ष के दौरान 5 लाख और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 1990 तक जारी रहेगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के विस्तृत परियोजनाएं तैयार करने के लिए तथा माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण कालेजों के स्तरों का स्तरोन्नत करने के लिए कार्य-बल गठित किए हैं।

(IV) **आपरेशन ब्लैक-बोर्ड** : चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शी समरेखाएं भेज दी गई हैं। अनेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उन क्षेत्रों को चुना है जिनके आपरेशन-ब्लैक बोर्ड को कार्यान्वित किया जाएगा और वे सर्वेक्षणों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित भवनों का निर्माण करने के लिए स्कूल उपकरणों की सप्लाई के लिए विनिर्देशनों को निर्धारित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(V) **गैर-औपचारिक शिक्षा (गै० औ० शि०)** : छठी योजना के दौरान इस योजना को जिस तरीके से क्रियान्वित किया गया था, उसकी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रबन्ध संस्थान तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से समीक्षा की गई है। इन मूल्यांकनों के आधार पर योजना को पुनर्गठित किया गया है। स्वैच्छिक एजेंसियां अब गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और अब प्रासंगिक योजना को उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरल बना दिया गया है। इसके क्रियान्वयन का मुख्य बल शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में जारी रहेगा, लेकिन इसके अनुप्रयोग का विस्तार शैक्षिक रूप से पाकेटों में अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। सरकारें तथा संघ शासित प्रदेश कार्यक्रम को पुनः तैयार करने में लगे हुए हैं।

(VI) **नवोदय विद्यालय** : वर्ष 1986-87 तक 81 नवोदय विद्यालय खोले गए थे तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 128 अतिरिक्त विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए छात्रों की परीक्षण सम्बन्धी प्रणाली की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि इसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के न्यूनतम सम्भावी प्रभाव हो उनको दाखिले के लिए चुना जाए।

(VII) **व्यावसायिकरण** : राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से एक ब्यौरेवार कार्यक्रम तैयार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परिषद ने भी इस कार्यक्रम के पैरामीटरों पर विचार किया है। रा० शै० अ० प्र० परि० ने 59 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया है तथा इन्हें प्रदान करने के लिए अपेक्षित उपस्करों की सूची प्रदान की है। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार कर रही हैं।

(VIII) **स्कूल शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रियाएं** : राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या की विचारधाराओं पर आधारित राज्य सरकारों के परामर्श से रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का कार्य ढांचा तैयार किया गया है। कक्षा I, II[1] तथा VI के लिए शिक्षण पैकेजों को विकसित किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण, श्रम की महत्ता, छोटे परिवार के मानदंड, भारतीयता में गौरव आदि जैसे राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यों को शामिल करने के लिए रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा आदर्श सामग्री भी तैयार की गई है।

(IX) **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन** : रा० सा० मिशन का 15-35 आयु वर्ग में 80 मिलियन निरक्षरों को अर्थात 1990 तक 30 मिलियन तथा 1995 तक अतिरिक्त 50 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। रा० सा० मिशन के पैरामीटरों के संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया है। ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियों को जिनकी उपयोगिता और व्यावसायिक मानकों की प्रवृत्ति में आवश्यकता महसूस की जा रही है, शामिल न करने की दृष्टि से वर्तमान स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य की समीक्षा की गई है। अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

(X) **स्वायत्त कालेज** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चालू वर्ष के दौरान नई योजना के अन्तर्गत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 29 कालेजों के चयन का अनुमोदन किया है। राज्य सरकारें इस योजना का व्यापक स्तर तक प्रसार करने में कार्यरत हैं।

(XI) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय** : प्रबन्ध तथा दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तथा रचनात्मक लेखन का काम प्रगति पर है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में 48 अध्यापकों ने कार्यभार सम्भाल लिया है।

(XII) **तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा उसका पुनर्गठन करना** : पालिटेक्निकों से लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तक तकनीकी शिक्षा की पूरी पद्धति की व्यापक समीक्षा का कार्य शुरू कर दिया गया है और सुविधाओं की अप्रचलित प्रथा को समाप्त करने तथा पाठ्यक्रमों के आधुनिकरण के लिए विस्तृत परियोजनाएं तैयार की गई है। जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा तकनीकी शिक्षा के बीच अन्त: सम्बन्ध की पद्धति को संस्थापित करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

(XIII) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां और अल्प-संख्यक** : निम्न व्यवसायों में लगे हुए अभिभावकों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों की दर को कक्षा VI से VIII तक के लिए प्रति बच्चा प्रतिमाह 145 रुपए से 200 रुपए तथा कक्षा IX और X के लिए 200 रुपए से 250 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अभिभावकों की आय सीमा को भी 500 रुपए से 1000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण की लागत की सीमा में मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति छात्रावासी के लिए 1 अप्रैल, 1986 से 7150 रुपए से बढ़ाकर 7790 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12775 रुपए से 17125 रुपए तक बढ़ा दी गई है।

समुद्रपार अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्तियों की संख्या 21 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। इसी प्रकार से रखरखाव भत्ते की दरों में भी वृद्धि की गई है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए योग्यता प्रशिक्षण के लाभ का विस्तार करने की दृष्टि से अल्पसंख्यक सकेन्द्रित क्षेत्रों में 10 सामुदायिक पालिटैक्निक खोले गए हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना को इस समय 20 विश्वविद्यालयों और 15 संबद्ध कालेजों में चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्यों को जो प्रमुख कठिनाई हो रही है, वह निधियों का अभाव है। यद्यपि, राज्य सरकारों ने नीति को कार्यान्वित करने में अपनी इच्छा और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है फिर भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। राज्य योजनाओं के माध्यम से तथा केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

*65. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री गुरुदास कामत :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो पिछले एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं;

(ख) ये परियोजनाएं वास्तव में कितनी अवधि से विचाराधीन हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों, जहां ये परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं, के लोगों ने इन परियोजनाओं के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या के बराबर पेड़ लगाने के बारे में सरकार को आश्वासन दिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1981 से 1986 के दौरान प्राप्त हुई पन्द्रह बृहद तथा बारह मध्यम सिंचाई परियोजना उचित जांच के पश्चात भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग की टिप्पणियों/प्रेक्षणों की अनुपालना हेतु राज्य सरकार के पास लम्बित हैं। बृहद परियोजनाएं नामशः वर्गी तथा पनजान (भूतपूर्व गिरना बांध) केन्द्र के पास लम्बित है। वर्णा परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। पंजान परियोजना 90 प्रतिशत तक कार्यान्वित हो गई है और इसलिए इसकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) जी, हां।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*66. **श्री राजकुमार राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र कौन-कौन से राज्यों में स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी नई इस्पात परियोजनाओं के लिए कुल योजनागत व्यवस्था 10 करोड़ रुपए की है ।

[अनुवाद]

सियालदह में बी० आर० सिंह रेलवे अस्पताल

*67. **श्री अजीत कुमार साहा :**
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदय में उत्तर रेलवे के बी० आर० सिंह अस्पताल, जहां ओपन अहार्ट सर्जरी तथा क्षतिग्रस्त हार्ट वाल्व की चिकित्सा की जाती है, को पूरा करने के लिए धनराशि का नियतन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस अस्पताल को पूरा होने में विलम्ब के कारण पूर्व क्षेत्र के बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा उन्हें मजबूर होकर हृदय रोगों के इलाज के लिए वेल्लोर अथवा पेरम्बूर आना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस अस्पताल को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) धन आबंटित न करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बी० आर० सिंह अस्पताल के लिए इस समय अनुमोदित कार्य में ओपन हार्ट सर्जरी तथा क्षतिग्रस्त हार्ट वाल्वों का उपचार करने की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में मेहरोत्रा समिति की सिफारिशें

*68. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**
श्री नारायण चौबे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मेहरोत्रा समिति की कौन-कौन-सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और ये सिफारिशें किस तिथि से कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) इस पर अध्यापकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितने राज्य, विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को मेहरोत्रा समिति द्वारा निर्धारित नए वेतनमान देने के लिए सहमत हो गए हैं;

(घ) क्या नए वेतनमानों की घोषणा से पूर्व राज्यों से परामर्श किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप उन पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(च) सरकार द्वारा कौन-सी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4569/87**]

दिल्ली में नए अस्पताल

*69. **श्री जी० भूपति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने की योजनाओं के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन अस्पतालों में, विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए कौन-कौन-सी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) इन अस्पतालों में सभी प्रमुख विशेषज्ञताओं में अन्तर्गत तथा बहिरंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इन अस्पतालों में इमर्जेंसी और कैजुअल्टी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रस्तावित अस्पतालों के खुल जाने के बाद इस इलाके के निवासियों को अपनी आम बीमारियों के इलाज के लिए प्रमुख अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों में 10 अस्पतालों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 4 अस्पताल ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। की गई प्रगति समेत इन अस्पतालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. **500-बिस्तरों वाला गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं मेडिकल कालेज, शाहदरा (यमुना-पार क्षेत्र)** :

15 जून, 1987 से इस अस्पताल को 317 अन्तरंग पलंगों की व्यवस्था करके शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 1986 में बाह्य रोगी विभाग की सेवाओं को शुरू किया गया। प्रयोगशाला, एक्सरे और एक आपरेशन थियेटर से संबंधित सुविधाओं को प्रचालानात्मक बनाया गया है। कम से कम एक और आपरेशन थियेटर को खुलने के शीघ्र पश्चात् आपात सेवाओं को शुरू किये जाने की सम्भावना है।

2. 500 बिस्तरों वाला दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर (पश्चिमी दिल्ली) :

नियमित बाह्यरोगी विभाग को संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त 9 बजे प्रातः से 8 बजे सायं के बीच इस अस्पताल में आकस्मिक और आपात सेवाएं उपलब्ध हैं। 170 अन्तरंग पलंगों की व्यवस्था की गई है और ग्रुप ए के कुछ पदों के स्वीकृत हो जाने और भर लिए जाने के शीघ्र पश्चात् प्रसूति सेवाओं के लिए 20 और पलंगों की व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है।

3. मंगोलपुरी (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली-पुनर्वास कालोनी) में 100 बिस्तरों वाला संजय गांधी स्मारक अस्पताल :

इस अस्पताल में बाह्यरोगी विभाग की सेवाएं जून, 1986 से शुरू की गई हैं। कैजुवल्टी ब्लाक, एक्सरे ब्लाक हम प्रयोगशाला ब्लाक और प्रशासनिक खण्ड का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है। रसोई घर, वार्ड ब्लाक और शवगृह ब्लाक का सिविल निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। वार्ड ब्लाक में बिजली की फिटिंग पूरी होने वाली है। भवन का निर्माण पूरा होने के पश्चात् अन्तरंग सुविधाओं को शुरू किया जाएगा।

4. 100 बिस्तरों वाला राव तुलाराम अस्पताल, जफरपुर (पश्चिमी दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र) :

ग्राम सभा, गांव जफरपुर से 20 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है और 4.71 करोड़ रुपए की राशि का संशोधित ई० एफ० सी० मीमो सरकार द्वारा सितम्बर, 1984 में क्लीयर कर दिया गया है। इस अस्पताल का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है। कार्य पूरा होने की सम्भावित तारीख मई, 1989 है।

5 खिचड़ीपुर (यमुनापार क्षेत्र-पुनर्वास कालोनी) में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल :

10.1 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है और ई० एफ० सी० मीमो जिसकी धन-राशि 5.73 करोड़ रुपए बैठती है, सितम्बर, 1984 में भारत सरकार द्वारा क्लीयर कर दिया है। यह योजना दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन द्वारा क्लीयर कर दी गई और भवन नक्शे के लिए दिल्ली नगर निगम की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इस अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाने की संभावना है।

6. जहांगीरपुरी (पूर्वी दिल्ली-पुनर्वास कालोनी) में 100 पलंगों वाला अस्पताल :

दिल्ली विकास प्राधिकरण से 11.25 एकड़ भू-खण्ड का कब्जा ले लिया गया है और मार्च, 1987 में भारत सरकार द्वारा 5.5 करोड़ रुपए की ई० एफ० सी० मीमो क्लीयर की जा चुकी है। भवन का नक्शा तैयार किया जा रहा है।

7. मैदानगढ़ी (दक्षिणी दिल्ली-ग्रामीण क्षेत्र) में 100 पलंगों वाला अस्पताल :

मैंदानगढ़ी गांव की ग्राम सभा से 20 एकड़ भूखण्ड का कब्जा ले लिया गया है। कृषि भूमि का संस्थागत कार्यों के उपयोग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। भवन का नक्शा तैयार करने का काम हो रहा है।

8. पूठ खुर्द (उत्तरी दिल्ली-ग्रामीण क्षेत्र) में 100 पलंगों वाला अस्पताल :

ग्राम सभा से 16.75 एकड़ भूखण्ड का कब्जा ले लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कृषि भूमि का संस्थागत उपयोग करने के लिए परिवर्तन करने के बारे में अनापत्ति पत्र जारी करने के वास्ते सिफारिश कर दी है।

9. सिरसापुर (उत्तर पूर्वी दिल्ली-ग्रामीण क्षेत्र) में 100 पलंगों वाला अस्पताल :

ग्राम सभा से जनवरी, 1985 में 20 एकड़ भूखण्ड पर कब्जा ले लिया है। अस्पताल की चहार दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण कृषि योग्य इस भूमि का संस्थागत कार्यों में उपयोग करने के लिए अनापत्ति पत्र जारी करने पर विचार कर रहा है।

10. रोहिणी कम्पलैक्स (पश्चिम दिल्ली) में 500 पलंगों वाला अस्पताल :

दिल्ली विकास प्राधिकरण से 29.5 एकड़ भूखण्ड का कब्जा ले लिया गया है। चहार दीवारी बनाई जा रही है। प्रारम्भिक नक्शे तैयार किए जा रहे हैं ताकि ई० एफ० सी० मीमो की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक अनुमान तैयार किए जा सकें।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का बंद किया जाना

*70. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ रेलवे लाइनों को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे उपाय करने का विचार है जिससे कि ये रेल लाइनें घाटे में चलने के बजाय लाभ में चलें ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) रेल सुधार समिति ने 40 अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द करने की सिफारिश की थी जहां पर्याप्त सड़क परिवहन सुविधाएं मौजूद हैं। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और सात लाइनें बन्द कर दी गयी हैं।

(ग) आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने तथा हानि को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मादक औषधियों की लत और भांग की खेती

*71. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के छात्रों में मादक औषधियों के सेवन को बढ़ती हुई लत के बारे में समाचार मिले हैं;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में भांग की खेती होने की जानकारी है जैसा कि हाल ही में पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में मादक औषधियों की लत के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिसर में भांग की कोई खेती नहीं होती। तथापि, भांग की कुछ जंगली उपज, जिसका हाल ही में पता चला था, तत्काल उखाड़ दी गई थी।

(ग) विश्वविद्यालय ने छात्रावासों में सुविधाओं के सुधार के लिए उपाय किये हैं तथा पाठ्येतर कार्यकलापों के लिए व्यवस्था की है। छात्रों को व्याख्यानों, फिल्म-प्रदर्शनों आदि के माध्यम से मादक औषधियों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डाक्टरों की हड़ताल

*72. **श्री कृष्ण सिंह :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डाक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने 20 जुलाई, 1987 से हड़ताल कर दी;

(ख) डाक्टरों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) सरकार ने क्या भावी कार्यवाही करने का निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त कार्रवाई परिषद् और अन्य सेवाओं के डाक्टरों के संघों ने 29 जुलाई, 1987 से हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी है।

घातक रोगों के कारण होने वाली बच्चों की मौतें

*73. **श्री चिंतामणि जेना :**
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलियो, तपेदिक, टिटनेस, काली खांसी, पेचिस और गले के संक्रमण रोग जैसी घातक बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मृत्यु होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य में हर वर्ष ऐसी कितनी मौतें हुईं;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में इन रोगों के निदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि अधिकतर मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन घातक बीमारियों के निदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) दो विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4571/87]

(ग) और (घ) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से बीमारियों के इलाज की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन बच्चों की रोग दर और मृत्यु दर को काफी हद तक उन रोगों की रोकथाम करके रोका जा सकता है जिनके लिए सरकार ने रोग प्रतिरक्षण का व्यापक कार्यक्रम और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम चलाया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में चिकित्सकों की कमी

***74. श्री श्रीराम मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में चिकित्सकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी कमी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में चिकित्सकों की कमी दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली की सभी चिकित्सा पद्धतियों में 45 डाक्टरों की कमी है। इस कमी के विभिन्न कारण हैं, जैसे त्यागपत्र, उच्च पद पर पदोन्नति और डाक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार द्वारा ड्यूटी ज्वाइन न करना।

(ग) जी, हां।

(घ) रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है।

नर्सों की मांगों पर निर्णय

***75. डा० ए० के० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में नर्सों की अर्हता भत्ता, विशेष वेतन, अतिरिक्त कार्य भत्ता, आदि देने के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया गया है; यदि हां तो कब से; और

(ख) क्या ये सभी निर्णय केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ अथवा सम्बद्ध सेवाओं के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत सभी नर्सों पर स्वतः लागू होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों आदि में नर्सों को अर्हता भत्ता, विशेष वेतन, अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देने संबंधी इस प्रकार है :—

(i) **अर्हता भत्ता** :

अनुमोदित अर्हताओं के लिए नर्सों को दो वेतन वृद्धियां (गैर-समायोजित) देने का सिद्धांत रूप से निर्णय लिया गया है। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

(ii) **विशेष वेतन** :

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसरण में कुछ विशेष क्षेत्रों में कार्य कर रही नर्सों को विशेष वेतन को दो गुना करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक समिति गठित की गई थी ताकि उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जहां इस प्रकार के लाभ दिए जा सकते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर अलग से विचार किया जा रहा है।

(iii) **अतिरिक्त कार्य भत्ता** :

यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त कार्य भत्ता देने की सामान्य योजना को जब कभी अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तो उसे नर्सों पर भी लागू किया जाएगा।

अन्तिम रूप दिए जाने के बाद उपर्युक्त मुद्दों पर लिए गए निर्णयों को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रही सभी नर्सों पर लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

*76. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संबंधी प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

समान आधारभूत पाठ्यक्रम और नए शिक्षण पैकेज

*77. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश के लिए और आरम्भ में कम से कम केन्द्रीय विद्यालयों में, समान आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार करने और नए शिक्षण पैकेज लागू करने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) इस संबंध में कौन-सी भावी योजना तैयार की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुरूप, रा० शै० अनु० प्र० परि० ने सामान्य कोर सहित एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य-ढांचे का विकास किया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यचर्या जिस कोर क्षेत्र का पता लगाया गया है वह विषय-क्षेत्र से संबंधित हैं और भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षवाद और लिंगों में समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक बाधाओं को दूर करना, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन करना और वैज्ञानिक मनःस्थिति को मन में बैठाने जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं । राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा के आधार पर रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा तैयार किए गए आदर्श (मॉडल) पाठ्य-विवरणों को राज्य पाठ्य-विवरणों तथा शैक्षिक सामग्री के संशोधन में प्रयोग के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है । रा० शै० अनु० प्र० परि० ने हाल ही में कुछ कोर क्षेत्रों पर आदर्श सामग्री प्रकाशित की है तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक सामग्रियों के संशोधन के लिए इन सामग्रियों के उपयोग के लिए सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित की है । राष्ट्रीय नीति के अनुरूप नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, रा० शै० अनु० प्र० परि० ने पहले चरण में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोग के लिए कक्षा I, III और VI के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं । राज्यों में पाठ्य-पुस्तक विकास प्राधिकरणों से यह आशा की जाती है कि वे नई शैक्षिक सामग्री को आरम्भ करने के लिए रा० शै० अनु० प्र० परि० की समयबद्धता का सन्निकटता से पालन करें । रा० शै० अनु० प्र० परि० इस सम्बन्ध में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है ।

पोलिटेकनिक स्कूलों में समाज-प्रधान योजनायें

*78. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी पोलिटेकनिक स्कूलों में समाज-प्रधान योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह योजना शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहायता देने के लिए तैयार की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस बात की व्यवस्था है कि सामुदायिक पालिटेकनिक प्रणाली की कोटि और कवरेज का मूल्यांकन और उसकी वृद्धि करने के लिए उपयुक्त रूप से उसे सुदृढ़ बनाया जायेगा। योजना का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है। इस योजना के और विस्तार के प्रश्न पर समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

(ग) इस योजना का आशय शिक्षार्थियों को लाभकारी रोजगार/स्वतः रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए विविध अवधि के गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग्यता/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

[हिन्दी]

बोनस की मांग

*79. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारी संघों ने और अधिक दिनों के लिए बोनस की अपनी मांग के समर्थन में आन्दोलन शुरू करने का नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार आन्दोलन रोकने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गयी है और इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों के अधिकारियों की मांगें

*80. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों के अधिकारियों ने उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी मांगों की सूची दी है :

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उन्होंने अथवा उनकी ओर से किसी संघ ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा जाती हैं तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगों में पिछले वेतन संशोधनों से उत्पन्न कुछ मुद्दों का हल, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के अधिकारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर स्वीकृत दर पर तदर्थ राहत की मंजूरी, 1-1-1986 से प्रतिमाह 1500 रु० से 2000 रु० के बीच अन्तरिम राहत की मंजूरी और वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग बनाना शामिल है।

(ग) पिछले वेतन संशोधन से संबंधित मांगों की जांच की गई है और कुछ मांगें मान ली गई हैं। तदर्थ-राहत और वेतन आयोग बनाने से संबंधित अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा प्रावेशिक शुल्क

662. **डा० सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे इन्जीनियरिंग कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां योग्यता की उपेक्षा कर केवल प्रावेशिक शुल्क के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : इस संबंध में उपलब्ध सूचना से यह प्रमाणित नहीं होता कि वे प्राइवेट इन्जीनियरी कालेज, जो दाखिले के लिए छात्रों से प्रति व्यक्ति फीस वसूल करते हैं, सभी दाखिले योग्यता की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं।

[हिन्दी]

उत्तराधिया-आलमनगर रिंग रेलवे

663. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में निर्माणाधीन उत्तराधिया-आलमनगर रिंग रेल लाइन पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(ख) इस रिंग लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस बाई पास लाइन की अनुमानित लागत 1059 लाख रुपये है।

(ख) 1988-89.

[अनुवाद]

लौह अयस्क भण्डारों की प्रमात्रा

664. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के भण्डारों की कुल प्रमात्रा के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में लौह अयस्क भण्डारों की कुल कितनी प्रमात्रा (परिमापवार और क्षेत्रवार) का पता लगा है;

(ग) उड़ीसा में लौह अयस्क भण्डारों के उचित उपयोग और विकास के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में लौह-अयस्क के कुल अनुमानित भण्डार लगभग 3124 मिलियन टन हैं। जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्योंझर	1453 मिलियन टन
सुन्दरगढ़	827 मिलियन टन
सुन्दरगढ़ क्योंझर संयुक्त क्षेत्र	764 मिलियन टन
कोरापुट	3 मिलियन टन
मयूरभंज	16 मिलियन टन
सम्बलपुर	50 मिलियन टन
धेनकनाल	1 मिलियन टन
कटक	10 मिलियन टन

(आंकड़े : लगभग)

पूर्ण स्वामित्व वाले क्षेत्रों में कुल भण्डार लगभग 407 मिलियन टन है और पट्टेदारी क्षेत्रों में लगभग 2717 मिलियन टन भण्डार हैं।

(ग) और (घ) भण्डारों के उपयुक्त विदोहन के लिए सरकारी क्षेत्र में अधिकांश खानें पहले से ही खनन की आधुनिक पद्धतियों के अनुसार कार्य कर रही हैं। उड़ीसा में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी काफी संख्या में खानें कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में उत्पादित लौह-अयस्क का इस्तेमाल देश ही में तथा निर्यात के लिए किया जा रहा है। इस क्षेत्र से लौह अयस्क के अधिक निर्यात को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से परादीप बन्दरगाह को गहरा करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि अधिक बड़े जल-पोतों की रखा जा सके।

अरूर बाईपास के कोचीन पत्तन वाले भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग की चाप सड़क (लूप रोड) के रूप में रखने का प्रस्ताव

665. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अरूर को एडापल्ली से जोड़ने वाले कोचीन बाईपास के निर्माण के पश्चात अरूर बाइपास से कोचीन पत्तन तक की मूल सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग नहीं रहेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सड़क के इस भाग को, इस स्थान से माल लाने ले जाने के लिए उद्योगपतियों और निर्यातकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होने को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग की चाप सड़क के रूप में रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अनुसार केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यदा-कदा सड़क मार्ग में परिवर्तन भी होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का परित्यक्त भाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का अंग नहीं रह जाता और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं रहती।

नई रेल लाइनें बिछाने के लिए धन के आवंटन में वृद्धि

666. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के लिए रेल बजट में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए धन के नियतन में कोई वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में रेल लाइन के पूरा होने की लक्ष्य तिथि सहित प्रत्येक ऐसी रेल लाइन के मामले में धन के नियतन में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) विवरण निम्न प्रकार से है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	1987-88 के आवंटन में वृद्धि (करोड़ रुपयों में)
1.	सतना-रीवां	1
2.	जम्मू तवी-ऊधमपुर	2
3.	नंगल डैम-तलवाड़ा	1
4.	लालाबाजार-भैराबी	1
5.	जोगीघोपा-गुवाहाटी, जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल सहित	5 (एन० ई० सी० निधि से)
6.	एर्णाकुलम-अल्लेप्पी	4
7.	अल्लेप्पी-कायनकुलम	2
8.	करूर-डिंडीगुल-मणियाच्ची-तूतीकोरिन/तिरूनेलवेली	1.5
9.	बी० बी० नगर-नडिकुडे	1
10.	तालचेर-संबलपुर	2
11.	कोरापुट-रायगड़ा	9.5
12.	कोटा-नीमच	5
	कुल	35

बीबीनगर-नडिकुडे को चालू करने का लक्ष्य मार्च, 1988 है। अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा धातु-मल पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना

667. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने धातु-मल पर आधारित किसी सीमेंट संयंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने ऐसे कुछ नए सीमेंट कारखानों की स्थापना की और वर्तमान ऐसे कारखानों के विस्तार की स्वीकृति दे दी है जो अपशिष्ट पदार्थों (कचरे) का इस्तेमाल करेंगे।

एक ऐसा सीमेंट कारखाना स्थापित करने के संबंध में टिस्को से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो जमशेदपुर इस्पात कारखाने से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल करेगा।

ओस्ट्रीजन और प्रोजेस्टेरीन के प्रयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

668. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गर्भावस्था का पता लगाने वाले ओस्ट्रीजन और प्रोजेस्टेरीन औषधों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में 4 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4889 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय का सम्पूर्ण निर्णय प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने औषध नियंत्रक (भारत) को यह निदेश दिया है कि यदि वांछनीय हो तो नई दिल्ली को छोड़कर अन्य स्थानों पर सार्वजनिक जांच कर यह निर्णय किया जाए कि क्या आस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टरोन के सम्मिश्रण को देश में बेचने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं।

तदनुसार औषध नियंत्रक (भारत) ने मद्रास नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में क्रमशः 5 फरवरी, 10 अप्रैल, 10 जुलाई और 14 जुलाई, 1987 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। इन सुनवाइयों में, संबंधित फर्मों, स्वयंसेवी संगठनों, डाक्टरों आदि ने आस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन की उच्च खुराक (ओरल कन्ट्रासेप्टिव को छोड़कर) के सम्मिश्रणों पर रोक लगाने के पक्ष और विपक्ष में विस्तृत लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए।

सुनवाईयों में प्राप्त हुए दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

ओंगोले (आन्ध्र प्रदेश) में खेल-कूद स्टेडियम

669. **श्री सी० सम्बू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओंगोले (आन्ध्र प्रदेश) में खेल-कूद स्टेडियम के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या उस खेल कूद स्टेडियम के लिए और धन आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) ओंगोले में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव पर विचार करने पर 5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। पहली किश्त के रूप में 2.50 लाख रुपये मुक्त किए गए हैं। पहली किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद शेष 2.50 लाख रुपये मुक्त किए जाएंगे। योजना की अनुमोदित पद्धति के अनुसार खेल स्टेडियम के लिए अधिकतम स्वीकार्य राशि 5 लाख रुपये है।

पश्चिम बंगाल में रेल लाइनें बिछाना

670. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने वर्ष 1987-88 के दौरान रेल लाइनें बिछाने के लिए कुल कितना धन आवंटित किया है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में रेल लाइनें बिछाने का लक्ष्य क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 176.5 करोड़ रुपये।

(ख) तामलुक-दीघा और लक्ष्मीकान्तपुर-नामखाना नयी लाइन परियोजनाओं पर उपलब्ध संसाधनों के भीतर काम की प्रगति जारी है।

केरल में एम० सी० सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने संबंधी प्रस्ताव

671. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार त्रिवेन्द्रम और अंगमाली के बीच एम० सी० सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस समय केरल में संदर्भाधीन सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना सम्भव नहीं है।

केरल में और अधिक स्थानीय रेलगाड़ियां चलाना

672. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में और अधिक स्थानीय रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पर्याप्त संसाधनों और लाइन क्षमता की कमी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें

673. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों के संचालकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि महिलाओं को उनके लिए आरक्षित सीटें मिलें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संचालकों द्वारा इन अनुदेशों के पालन किया जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कन्डक्टरों को यह अनुदेश हैं कि जब भी अनुरोध किया जाए वे पुरुष-यात्रियों से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को खाली करवा लें। कंडक्टरों को यह भी अनुदेश हैं कि यदि पुरुष-यात्री महिला-सीट को खाली नहीं करता तो बस को तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक या तो पुरुष यात्री वह सीट नहीं छोड़ता या बस से नहीं उतर जाता। कंडक्टर की ओर से किसी प्रकार का सहयोग न दिए जाने संबंधी विशेष शिकायत मिलने पर कंडक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

ओरी में डा० पी० बी० मांडलिक स्मारक को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

674. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा० पी० बी० मांडलिक स्मारक को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के बारे में 30 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8736 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार की विशेष योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के राजापुर ताल्लुक में ओरी में डा० पी० बी० मांडलिक स्मारक

अस्पताल को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी तथा महाराष्ट्र सरकार भी अपना अंशदान देने के लिए सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत अस्पताल को वित्तीय सहायता अभी उपलब्ध करायी जानी है;

(ग) यह सहायता कब तक दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी हां। जैसा कि 30.4.1987 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8736 के उत्तर में बताया गया था, महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपने हिस्से के 3,4 ,000 रुपए का अंशदान देने के लिए सहमत हो गई थी। स्वैच्छिक संगठन द्वारा अस्पताल को चलाये जाने में कठिनाइयां महसूस होने की स्थिति में राज्य सरकार ने अस्पताल को चलाने संबंधी औपचारिकताओं को हाल ही में अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार की 13.7.1987 की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

12 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा एस्पीरीन के उपयोग की चेतावनी संबंधी आदेशों का पालन न किया जाना

675. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी एस्पीरीन निर्माताओं को ये निर्देश जारी किए थे कि वे लेबल पर इस चेतावनी का उल्लेख करें कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एस्पीरीन नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) क्या एस्पीरीन के विभिन्न ब्रांडों के अनेक निर्माताओं ने इस आदेश का पालन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार एस्पिरिन-योगों के प्रमुख निर्माताओं ने डिब्बों और लेबलों पर आवश्यक "चेतावनी" विवरण छाप दिया है।

राज्य औषध नियंत्रकों से, जो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी हैं, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उनके राज्यों में एस्पिरिन योगों को बेचने वाली फर्में अनिवार्य रूप से अपेक्षित चेतावनी लिखें।

[हिन्दी]

बख्तियारपुर रेल स्टेशन पर शायिकाओं का आरक्षण

676. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रमशिला मगध एक्सप्रेस में बख्तियारपुर रेल स्टेशन के लिए दस स्थानों के आरक्षण का कोटा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आरक्षण कोटा कम होने के कारण बख्तियारपुर के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस आरक्षण कोटा को बढ़ाकर दस से बीस स्थान करना है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि वर्तमान कोटे का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है अतएव इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

श्रेणी-एक में शामिल किए जाने के लिए औषधों का चयन

677. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी एक में शामिल करने के लिए कौन-कौन से औषधों का चयन किया गया है;

(ख) ये औषध किन-किन रोगों के इलाज के लिए लाभदायक हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि श्रेणी एक और दो में बहुत अधिक औषध शामिल की जाती हैं, तो इससे नियंत्रण का दायरा कम करने तथा नियंत्रण को ही अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) श्रेणी-I और II औषधों की सूची तैयार की जा रही है और इन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

देवदासी विरोधी अधिनियम का क्रियान्वयन

678. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवदासी विरोधी अधिनियम के प्रचलन में होने के बावजूद फरवरी, 1987 में कर्नाटक के बेलगाम जिले की सौदति तालुक में येलम्मा पहाड़ पर करीब 1000 लड़कियों को देवदासी बनाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि माघी पूर्णिमा को बेलगाम जिले में येल्लमा पहाड़ी पर किसी युवा लड़की को "देवदासी" नहीं बनाया गया और न ही इस प्रकार की कोई घटना पुलिस के नोटिस में आई है। इसके अलावा समर्पण के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी। अतः राज्य सरकार द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

स्वास्थ्य बीमा योजना

679. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इन राज्य सरकारों के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई दिशा निदेश जारी नही किए गए हैं ।

दिल्ली के कालेजों में पूर्व स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश

680. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली के कालेजों में पूर्व स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अनुमानत: कितने विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक हैं;

(ख) क्या कालेजों में अब पर्याप्त स्थान हैं;

(ग) क्या स्थानों की कमी है, तो उन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या प्रवेश लेने वाले छात्रों की भीड़ से निपटने के लिए कुछ नए कालेज खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, इस वर्ष दिल्ली की सीनियर माध्यमिक स्कूल परीक्षा में 46,267 छात्रों ने 40 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त किए थे और चालू शैक्षिक सत्र के दौरान वे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं ।

(ख) और (ग) जी, हां । नियमित पाठ्यक्रमों, पत्राचार पाठ्यक्रमों और गैर-कालेज महिला शिक्षा तथा बाह्य छात्र सैल में उपलब्ध स्थान सभी पात्र छात्रों को खपाने के लिए पर्याप्त होंगे ।

(घ) जी, हां । दिल्ली प्रशासन ने चालू शैक्षिक सत्र से, दो नए कालेज अर्थात् एक शारीरिक शिक्षा कालेज और एक व्यापार अध्ययन कालेज खोलने का निर्णय किया है । इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन ने भी जी० डी० सालवान कालेज के स्थान पर जिसके प्रबंधक ने इस वर्ष से कालेज को चरण-बद्ध ढंग से बन्द करने का निर्णय किया है । इस वर्ष से एक नया कला तथा वाणिज्य कालेज खोलने का निर्णय किया है ।

दक्षिण मध्य रेलवे में रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजा

681. **श्री एस० पालकोंड्रायुडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1987 से दक्षिण मध्य रेलवे में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : दक्षिण मध्य रेलवे पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को जनवरी, 1987 से मुआवजे के रूप में 1,29,165 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

न्यू अलीपुरद्वार, धूपगुड़ी, फालाकाटा और कामाख्यागुड़ी में किया गया रेलवे कार्य

682. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू अलीपुरद्वारा, धूपगुड़ी, फालाकाटा और कामाख्यागुड़ी में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यू अलीपुरद्वार, धूपगुड़ी, फालाकाटा और कामाख्यागुड़ी स्टेशनों पर शुरू किए गए रेलवे निर्माण-कार्य

स्टेशन	चालू कार्य	पूरा होने की संभावित तिथि
1. न्यू अलीपुरद्वार	(1) प्लेटफार्म नं० 2 के ऊपर छत की व्यवस्था करना	जून, 1988
	(2) यात्री प्लेटफार्म नं० 2 को पटरी सतह से ऊंचा करके उच्च सतह करना	अप्रैल, 87 मे पूरा हो गया
	(3) साइडिंग लाइन की व्यवस्था करना	मार्च, 1988
	(4) पहले दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष में सुधार करना	मार्च, 1988
2. धूपगुड़ी	पहले दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करना	दिसम्बर, 1987
3. फालाकाटा	पहले दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करना	दिसम्बर, 1987
4. कामाख्यागुड़ी	कोई नहीं	कोई नहीं।

जून, 1987 तक नवोदय विद्यालयों की संख्या

683. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1987 तक कितने नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए तथा किन स्थानों पर स्थापित किए गए;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इन विद्यालयों पर कितनी धन राशि खर्च की गई तथा वर्ष 1987-88 के बजट में कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया;

(ग) 30 जून, 1987 तक प्रत्येक विद्यालय में छात्रों और अध्यापकों की संख्या कितनी थी;

(घ) छात्रों का शहरी/ग्रामीण मूल, यौन, धर्म और मातृभाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पूरे ढांचे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछले वर्गों के छात्रों की, अलग-अलग संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 30 जून, 1987 तक स्थापित 83 नवोदय विद्यालय के राज्यवार स्थानों को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) (I) 1986-87 के दौरान किया गया व्यय : 729 लाख रु०

(II) 1987-88 के लिए बजट : 6,900 लाख रु०

(ग) विवरण II संलग्न है

(घ) और (ङ) छात्रों का शहरी ग्रामीण मूल तथा स्त्री-पुरुषों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

नवोदय विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या :	5788
ग्रामीण	4490
शहरी	1298
लड़के	4800
लड़कियां	988
अनुसूचित जाति	1152
अनुसूचित जनजाति	662
सामान्य	3974

मातृभाषा तथा धर्म के अनुसार छात्रों के ब्यौरे नहीं रखे जाते। नवोदय विद्यालय योजना में केवल अ० जा०/अ० ज० जातियों के आरक्षण के लिए परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

30-6-1987 को चल रहे नवोदय विद्यालयों की सूची

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० क्षेत्र का नाम	कुल संख्या	स्थानों का विवरण
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1. पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार
2.	आन्ध्र प्रदेश	4	1. चलकुर्ती कैम्प, जिला नालगोंडा 2. निजामासागर, जिला निजामाबाद 3. कोथडांडी [गंगा धारा ब्लीक, जिला करीम नगर 4. हौर्सले हिल्स, जिला चित्तूर
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1. हुनली, डिबांग वैली।
4.	बिहार	7	1. शेखपुरा, जिला मोंघ्यर 2. कुमार बाग (बतिया) जिला पश्चिमी चम्पारन 3. हंसडिहा, जिला दुमका 4. आरा, जिला भोजपुर 5. रान्ती, जिला मधुबनी 6. मसारिआ डाम, चाचरा जिला समस्तीपुर
5.	दादरा और नागर हवेली	1	1. रखोली स्कूल कोम्पलेक्स
6.	गोआ, दमन और दिवु	1	1. कानाकोना, गोआ
7.	गुजरात	2	1. कथलाल, जिला खेरा 2. पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
8.	हरियाणा	3	*1. झझर, जिला रोहतक 2. कुंगा कोठी, जिला जिन्द 3. गांव पन्ना, जिला हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1. गांव पडोह, जिला मंडी 2. गांव थ्योंग, जिला शिमला 3. सरोल, जिला चम्बा 4. नाहन, जिला सिरमौर

1	2	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	7	1. अग्गलर, जिला पुलवामा 2. लोलाब, जिला कुपवारा 3. नजदीक लेह नगर, जिला लेह 4. राख जगानू, जिला उधमपुर 5. कोट्र ट्रेंका, जिला राजौरी 6. अर्नोरा (घाट) जिला डोडा 7. नादखाई, जिला बारामूला
11.	कर्नाटका	6	1. डोडाबालापुर, जिला बंगलौर ग्रामीण 2. येनिगडेला चैत तालुक, जिला कोलार 3. गांव शिवरागुडा, जिला मान्ड्या 4. गांव गंजानूर, जिला शिमोंग 5. गांव बालेहोनुर, जिला चिकमगलूर 6. गांव कुकनुर, जिला रायचूर
12.	केरल	4	1. पैनवु, जिला इडुकी 2. गांव, कुलामुला, रानी तालुक, जिला पथनमथित्ता 3. पेरिया, जिला कसारगोड 4. नेरियामानगालम, जिला अर्नाकुलम
13.	मध्य प्रदेश	7	1. अलीराजपुर, जिला झबुआ 2. कुन्देश्वर, जिला टिकमगढ़ 3. पवारखेरा, जिला होसंगाबाद 4. बर्गीनार, जिला जबलपुर 5. माना, जिला रायपुर 6. रामखिरिया, जिला पाना 7. बोहानी, जिला नरसिंहपुर
14.	महाराष्ट्र	5	1. अमरावती जिला 2. नौगांव खैरी, रामटेक, जिला नागपुर 3. शेगांव, जिला बुलढांणा 4. तुलजापुर, जिला ओस्मानाबाद 5. नया नांदेड़ नाका, जिला लटूर 6. घोट, तहसील चारमोसी, जिला गडचिरोली 7. शांकेरनगर, बिलोली, जिला नांदेड़
15.	मेघालय	3	1. विलियम नगर, पूर्वी गारो हिल्स

1	2	3	4
			2. बागमारा, पश्चिमी गारो हिल्स 3. नियांगबारी, पूर्वी खासी हिल्स
16.	उड़ीसा	5	1. रेंगाली, जिला ढेंकनल 2. सातीगुड़ा, जिला कोरापुट 3. हाडागढ़, जिला क्योंझर 4. बालासाकम्पा, जिला पुलबनी 5. मुंडुली, जिला कटक
17.	पांडिचेरी	2	1. आनन्द नगर, कदीरकमाम पांडिचेरी 2. भारतीय स्ट्रीट, थालोयर पी० सी०, जिला कैराकुल
18.	पंजाब	3	1. गांव वोंडली, जिला लुधियाना 2. गांव बारिंग खेड़ा, जिला फरीदकोट 3. गांव लोंगोवाल, जिला संगरूर
19.	राजस्थान	5	1. कुचमन नगर, जिला नागौर 2. सरदार शहर, जिला चुरू 3. गांव बुधुवा, जिला बांसवाड़ा 4. राजसमन्द, जिला उदयपुर 5. गांव पौता, जिला जयपुर
20.	उत्तर प्रदेश	10	1. सरधाना, जिला मेरठ 2. रुद्रपुर जिला नैनीताल 3. धावा सेमर, जिला फैजाबाद 4. गांव बुकलाना, जिला बुलन्दशहर 5. चौबारी, जिला बरेली 6. मान्डीयाहु, जिला जौनपुर 7. बारसा सागर, जिला झांसी 8. गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर 9. गांव बावन बुजुर्ग वाला, जिला राय बरेली 10. गांव जंगल अग्रही जिला गोरखपुर
		83	

विवरण-

30-6-87 को नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों तथा छात्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	शिक्षकों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	नालगोंडा	5	75
2.	निजामाबाद	5	73
3.	चित्तूर	5	74
4.	करीम नगर	7	78
	बिहार		
5.	समस्तीपुर	5	76
6.	मुंगेर	7	80
7.	पश्चिमी चम्पारन	5	69
8.	दुमका	6	78
9.	भोजपुर	5	79
10.	मधुबनी	6	80
11.	गुमला	4	77
	अरुणाचल प्रदेश		
12.	रखोली	3	69
13.	डिवांग घाटी	3	52
	गुजरात		
14.	खेरा	5	40
15.	जूनागढ़	6	72
	हरियाणा		
16.	पान्ना (हिसार)	7	73
17.	जिन्द	5	80
18.	रोहतक (झज्जर)	6	78
	गोआ		
19.	कानाकोना	4	54

1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
20.	चम्बा	6	73
21.	शिमला	6	78
22.	मंडी	7	80
23.	सिरमौर	4	73
	कर्नाटक		
24.	बंगलौर	5	66
25.	चिकमंगलूर	6	73
26.	कोलार	6	71
27.	मांड्या	6	74
28.	रायचूर	6	79
29.	शिमोगा	5	79
	केरल		
30.	एर्नाकुलम	6	78
31.	इडुकी	6	78
32.	कासारगोड	7	77
33.	पठनमथिट्टा	6	72
	मध्य प्रदेश		
34.	नरसिंहपुर	7	62
35.	झाबिया	7	59
36.	होसंगाबाद	6	59
37.	जबलपुर	7	74
38.	पन्ना	7	64
39.	टिकमगढ़	6	70
40.	रायपुर	5	77
	महाराष्ट्र		
41.	लटूर	7	79
42.	अमरावती	6	68
43.	बुल्डाना	5	77

1	2	3	4
44.	ओस्मानाबाद	5	80
45.	गड़चिरोली	4	71
46.	नांदेड़	7	72
47.	नागपुर	6	73
	मेघालय		
48.	पूर्वी गारो हिल्स (विलियम नगर)	4	57
49.	पूर्वी खासी हिल्स (शियांगबाडी)	3	44
50.	पश्चिमी खासी हिल्स (बागमारा)	5	44
	उड़ीसा		
51.	धनकनल	7	73
52.	क्योंझर	6	71
53.	कोरापुट	7	66
64.	कटक	6	75
55.	फुलबारिया	6	66
	पांडिचेरी		
56.	करायकल	6	70
57.	पांडिचेरी	7	73
	पंजाब		
58.	लुधियाना	4	66
59.	फरीदकोट	7	63
60.	संगरूर	3	77
	राजस्थान		
61.	नागपुर	7	74
62.	चुरू	6	74
63.	बांसवाड़ा	5	76
64.	उदयपुर	6	59
65.	जयपुर	6	76
	उत्तर प्रदेश		
66.	मेरठ	7	64

1	2	3	4
67.	नैनीताल	8	77
68.	फैजाबाद	4	80
69.	बुलन्दशहर	3	73
70.	जौनपुर	4	79
71.	झांसी	7	77
72.	सुल्तानपुर	4	72
73.	रायबरेली	5	76
74.	गोरखपुर	5	76
75.	बरेली	5	उपलब्ध नहीं
	जम्मू और क श्मीर		
76.	फुलवाना	4	64
77.	कुपवारा	4	64
78.	बारामूला	5	66
79.	लेह	3	37
80.	उधमपुर	4	75
81.	राजौरी	6	73
82.	डोडा	4	56
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
83.	पोर्ट ब्लेयर	4	71

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन

684. **श्री मुरलीधर माने** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है;

(ख) कुद्रेमुख में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) निकाले गए लौह अयस्क का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना में उत्पादित लौह अयस्क सांद्रण की मात्रा निम्नानुसार थी :—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
1984-85	16.1
1985-86	18.0
1986-87	34.6

(ख) विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए एक जोरदार विपणन अभियान चलाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन बिक्री से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मंगलौर में कुद्रेमुख से लौह-अयस्क सांद्रण पर आधारित 30 लाख टन क्षमता का एक पेलेट संयंत्र चालू किया गया है।

(ग) सांद्रण अथवा पेलेटों के रूप में लौह-अयस्क विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है।

डांडा कारनिया बोलनगीर सेक्शन पर अधिक यात्री गाड़ियां चलाना

685. **श्री के० प्रधानी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डांडा कारनिया बोलनगीर सेक्शन पर अधिक यात्री गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाइन क्षमता की तंगी के कारण।

राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

686. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इसके लिए क्या मानदंड रखा गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पहले ही बंगलौर और कलकत्ता में क्षेत्रीय केन्द्र हैं। गांधी नगर, इम्फाल, शिमला, औरंगाबाद, गुवाहाटी में

भी राष्ट्रीय खेल संस्थान के केन्द्र, और जयपुर में एक नौकायन कम्पलैक्स तथा बंबई में एक नौका-विहार केन्द्र भी होंगे। इसके अलावा, शिमला में एक उच्च शिखर खेल केन्द्र तथा मनाली में एक शरद खेल केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। ये सभी केन्द्र योजना तथा निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

मुल्लापेरियार बांध को मजबूत करने की योजना

687. **श्री पी० ए० एन्थनी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार मुल्लापेरियार बांध में जल के स्तर को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास कर रही है जिससे केरल के आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों के जान-माल को खतरा बढ़ गया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ग) देश के प्राचीनतम बांधों में से एक इस बांध को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की योजना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) बांध को मजबूत बनाने के लिए जो उपाय किए जाने की योजना है, वे इस प्रकार हैं : उपयुक्त लंगरगाह के साथ आर० सी० सी० आवरण, अतिरिक्त स्पिलवे और विद्यमान बांध को कंक्रीट से सुदृढ़ करना।

तेलीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन

688. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे छोड़ दिया गया है अथवा इस पर विचार स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विगत में इस लाइन के लिए सर्वेक्षण, 1960 में पूरा कर लिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) मूल्यांकन करने पर इस परियोजना को वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाया गया था।

106 अप झांसी पैसेन्जर का पीपरखंद स्टेशन पर पटरी से उतर जाना

689. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1987 को पीपरसंद स्टेशन पर 106 अप झांसी पैसेजर के इंजन और दो डिब्बों के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप लखनऊ और कानपुर के बीच रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया; और

(ख) यदि हां, तो हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था, प्रथमदृष्टया यह दुर्घटना पीपरसंद स्टेशन पर कांटे की खराबी के कारण हुई थी ।

बम्बई पत्तन में स्थान की कमी

690. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन में पुनः स्थान की कमी हो गई है, जिससे वहां सर्वत्र भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दीर्घकालीन आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक योजनायें तैयार की गई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) बम्बई पत्तन पर बर्थों की प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की संख्या निम्नलिखित रही :

दिनांक	प्रतीक्षारत जहाजों की संख्या
6.6.87	2
13.6.87	12
20.6.87	8
27.6.87	3
4.8.87	2
11.7.87	5
18.7.87	7
25.7.87	17

प्राइवेट स्टीवडोरों द्वारा नियुक्त गियरमैन, ग्रियर वाचमैन, गोदाम खलासी और कारपेंटर्ज 16 जुलाई, 1987 से हड़ताल पर चले गए । इससे अधिकांश जहाजों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा कन्टेनरों की स्टफिंग और अनस्टफिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ा, अतः यही भीड़-भाड़ का कारण बना । वर्तमान भीड़-भाड़ हड़ताल के फलस्वरूप हुई और यह दीर्घकालिक आधार पर जारी नहीं रहेगी ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का "सौंदर्यशास्त्र" विभाग

691. श्री गो० मानिक रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सौंदर्य-शास्त्र स्कूल का दर्जा क्या है;

(ख) क्या इसको कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कला तथा सौन्दर्यशास्त्र विद्यालय 1986 के शुरू में प्रारम्भ किया गया था । एक प्रोफेसर तथा तीन सह-प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी । तथापि, कोई भी अध्ययन कार्यक्रम अभी तक शुरू नही किया गया है ।

(ख) और (ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुसार, इन तीन सह-प्रोफैसरों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और कार्यकारी परिषद ने इन्हें स्थायी न करने का निर्णय किया । उन्हें एक माह का नोटिस दिया गया जिसके पूरा होने पर विश्वविद्यालय से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं । तथापि, विश्वविद्यालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है ।

इसी बीच, स्कूल के लिए जो प्रोफेसर रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय से लिखे पर थे, वह अपने मूल विश्वविद्यालय को वापस चले गए हैं क्योंकि उनका लियन नहीं बढ़ाया जा सका ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है और न्यायालय में इस मामले का निर्णय हो जाने के बाद विश्वविद्यालय इस विषय पर विचार करेगा ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, केरल के संरक्षण में स्थान

692. प्रो० के० वी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन भवनों तथा स्थानों का ब्यौरा क्या है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में हैं;

(ख) यदि केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विचार त्रिचुर में वडक्कुण्डा मन्दिर की तरह केरल में किन्ही नए स्थानों और भवनों को अपने संरक्षण में लेने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केरल में संरक्षित स्मारकों/स्थलों के नाम और स्थान बताने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) मामले पर अभी कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के प्रस्तावों की समय-समय पर जांच की जाती है और उनमें से ऐसे जो विस्तृत जांच करने पर राष्ट्रीय महत्व के समझे जाते हैं उन पर प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन संरक्षण के लिए विचार किया जाता है ।

विवरण

केरल राज्य

क्र० सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
	जिला कन्नानोर	
1.	कन्नानोर	सेंट एंगलो किला
2.	पाल्लीकेरे	बेकल किला
3.	तैल्लीचेरी	टेल्लीचेरी किला
	जिला एर्नाकुलम	
4.	कोचीन	सेंट फ्रांसिस चर्च
5.	मट्टनचेरी	मट्टनचेरी महल की दीवारों भित्तिचित्र (16वीं-17वीं शताब्दी)
	जिला कोजीकोड़	
6.	कीतनगनद	जैन मन्दिर
	जिला पालघाट	
7.	याक्कारा वेसम	पालघाट किला
8.	पत्थाम्वी	नेतृमंगलन के शिव मंदिर
	जिला त्रिचुर	
9.	अरियान्नूर	अरियान्नूर छत्र, सात या अधिक बड़कलों अथवा छत्र पत्थरों वाला प्रागैतिहासिक स्थल ।
10.	चेरामानगढ़	कुड़ाकल्लू पराम्बू पचास से साठ कडकलों या छत्र स्मारकों वाला प्रागैतिहासिक स्थल

1	2	3
11.	चोलान्नूर	दफन गुफा
12.	एयप्पाल	दफन गुफा
13.	-वही-	चेम्मान थपट्टा के जिन मन्दिर की श्रीकोइल की दीवारों पर भित्ति चित्र (17वीं 18वीं शताब्दी)
14.	-वही-	शिव मन्दिर परिसर
15.	कन्दानास्सेरी	दफन गुफा
16.	कटावल्लूर	विष्णु मन्दिर के श्रीकोइल की बाहरी दीवारों पर उन्नतीस लकड़ी की कोष्ट प्रतिमाएं और उसी मन्दिर में कला के अन्य कार्य
17.	कट्टाकम्पात	दफन गुफा
18.	उराकम	पेरुवानम के शिव मंदिर की श्रीकोइल की दीवारों पर 17वीं 18वीं शताब्दी के भित्ति-चित्र और इसी सराय की श्रीकोइल पर इससे भी पूर्वकाल की लकड़ी की कोष्ठ प्रतिमाएं।
19.	-वही-	शिव मंदिर परिसर चेम्मान थाहा।
20.	थीरूवनचीकुलम	शिव मंदिर की दीवारों पर (16वीं-17वीं शताब्दी की) भित्तिचित्र
21.	थीरूवनचीकुलम	शिव मंदिर परिसर
22.	त्रिचूर	कैलासनाथ मंदिर की दीवारों पर (16वीं 17वीं शताब्दी) भित्ति चित्र
23.	त्रिप्रायार	श्री रामस्वामी मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र
24.	वाडाक्काचेरी	पाल्लीमान्ना मन्दिर की श्रीकोइल की दीवारों पर भित्ति चित्र
25.	कुम्माकुलम	काक्कल की कफन गुफा
	जिला त्रिवेन्द्रम	
26.	एर्णेगो	एर्णेगो किला

1	2	3
27.	त्रुवाल्लाम	परसुराम, ब्रह्मा, शिव और मत्स्य के मंदिर
28.	विशीन्जम	शैल निर्मित गुफा

[हिन्दी]

नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक की सहायता

693. **श्री कमला प्रसाद रावत : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नलकूप और हैंडपम्प लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लगाये गये नलकूपों और हैंडपम्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लगाने के लिए स्थानों को चुनने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) सूखा प्रभावित ऐसे शेष स्थान कौन-कौन से हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और इन स्थानों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश नलकूप सोपान-II परियोजना के अंतर्गत, 750 मौजूदा नलकूपों के आधुनिकीकरण के अलावा राज्य के 45 जिलों में 2,200 नए नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है। इस परियोजना में हैंडपम्पों का निर्माण करना शामिल नहीं है।

(ख) नलकूपों का ब्यौरा इस प्रकार है—

	नए नलकूप	आधुनिकीकरण	प्रतिष्ठित पोषकों से जुड़े पुराने नलकूप
परियोजना के अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली कुल संख्या	2200	100	650
अब तक ऊर्जित	1776	79	68

(ग) नलकूप स्थल चुनने के लिए विचारणीय मुख्य बातों में से यह है कि उस क्षेत्र में लगभग 25 कुओं के समूह के लिए पर्याप्त असिंचित भूमि होनी चाहिए, उपलब्ध भूजल उपयुक्त कोटि का होना चाहिए और उस क्षेत्र में सिंचाई जल का कोई अन्य जन स्रोत नहीं होना चाहिए।

(घ) इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के केवल 45 जिलों को शामिल किया गया है और इसे मार्च, 1988 तक पूरा किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

संथाली लिपि को मान्यता देना

695. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संथाली लिपि को मान्यता देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न ग्रुपों द्वारा संथाली भाषा के लिए ओल-चिकि, बंगाली, देवनागरी, रोमन और उड़िया लिपियों का प्रयोग किया जाता है । किसी विशेष लिपि पर अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं है । भारत सरकार का संथाली भाषा के लिए किसी लिपि को मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के निकट गांवों का विकास

696. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने संयंत्र के निकट स्थित गांवों के विकास के लिए एक निकटवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, कितने गांवों का विकास किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है तथा इसमें कौन-कौन-सी सुविधाएं दी जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां । राउरकेला इस्पात कारखाने ने अपने अधिगृहित क्षेत्र से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का विकास करने के लिए वर्ष 1975 में एक परिधीय विकास कार्यक्रम शुरू किया था ।

इस विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है ।

इस्पात कारखाने की अधिगृहित सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में कुल मिलाकर 121 गांव हैं । अब तक 65 गांवों में विकास कार्य शुरू किया जा चुका है और वर्ष 1975-76 से 1986-87 की अवधि के दौरान विभिन्न कल्याण उपायों पर लगभग 46 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं ।

परिधीय विकास कार्यक्रम के तहत कुछ कार्यान्वित की गई कल्याण योजनाएं निम्नानुसार हैं—

(i) पीने के पानी की सुविधाएं; कुओं की खुदाई करके, ट्यूबवेल लगाकर और पीने का पानी सप्लाई करने की स्थाई योजनाओं के जरिए;

(ii) शैक्षिक सुविधाएं : बड़ी संख्या में गांवों में स्कूल की इमारतों का निर्माण करके;

(iii) संचार सुविधाएं : गांवों को मिलाने वाली सड़कों की व्यवस्था करके;

(iv) मनोरंजन सुविधाएं : सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण करके;

(v) स्वास्थ्य की देख-भाल : गांवों में चिकित्सा सहायता केन्द्रों को चलाकर, दवाइयों का मुफ्त वितरण करके नियमित डाक्टरी इलाज करने की व्यवस्था करके;

(vi) विभिन्न आर्थिक विकास कार्यक्रमों जैसे डेरी तथा मुर्गी पालन विकास, कृषि, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास ।

आगामी वर्षों में अधिकाधिक क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है ताकि आगामी पांच वर्षों में परिधीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कारखाने की सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शेष सभी गांवों को लाया जा सके ।

स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं

697. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० बिमल कांति घोष :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, देश के विभिन्न भागों में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को किस प्रकार और कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इस योजना से विद्यार्थी किस सीमा तक लाभान्वित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम० फिल० तथा पी० एच० डी० के छात्रों को मानदेय

698. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1984 में एम० फिल० तथा पी० एच० डी० के शोध छात्रों को मानदेय देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा आरम्भ करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या हाल में इसके लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मानदेय प्राप्त करने में इस शर्त का ग्रामीण छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्व-विद्यमान स्थिति को बहाल करने के लिए उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ताकि सभी इच्छुक छात्र परीक्षा में बैठ सकें और इस मानदेय के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकें ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। 1984 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विषयों में आयोग द्वारा प्रदान की जा रही कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां देने के लिए एक अर्हक अनिवार्यता के रूप में एक राष्ट्रस्तरीय परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया था।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करती रही है। फरवरी, 1987 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वै० औ० अ० परिषद् ने संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी परीक्षा के लिए निर्धारित आयु-सीमा 30 वर्ष थी और वै० औ० अ० प० द्वारा 25 वर्ष थी। इन विभिन्नताओं के कारण यह निर्णय किया गया था कि संयुक्त परीक्षा के लिए आयु-सीमा 25 वर्ष निर्धारित की जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए तथा जिन उम्मीदवारों को अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण का अनुभव है उनके लिए 5 वर्ष तक की छूट होगी।

(घ) और (ङ) प्रत्याशी उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर इस मामले की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि संयुक्त परीक्षा के लिए आयु-सीमा 28 वर्ष निर्धारित की जाए जिसमें महिला उम्मीदवारों, अ० जा०/अ० ज० जा० उम्मीदवारों तथा उन उम्मीदवारों जिन्हें अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण का अनुभव है, उनके लिए 5 वर्ष तक की छूट होगी।

आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय स्मारकों में "फ्लड लाइट" लगाना

699. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश के कुछ चुनींदा पुरातत्वीय स्मारकों में "फ्लड लाइट" लगाने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कदम उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास आन्ध्र प्रदेश में किसी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक के परिप्रदीप्तिकरण का प्रस्ताव नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार का आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में लेपाक्षी मन्दिर के परिप्रदीप्तिकरण का प्रस्ताव है जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सिफारिश सौंपी गई है। विस्तृत प्रस्ताव के प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाएगी।

अलवर रेलवे स्टेशन के समीप ऊपरि रेल पुल

700. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल विभाग अलवर रेलवे स्टेशन (राजस्थान) के समीप गेज लाइन पर ऊपरि रेल पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू करेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अलवर के पास ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी पक्का प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना है।

विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय

701. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए अलग विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों को अर्बी, फारसी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, भाषमाली स्पैनिश और जर्मनी जैसी विदेशी भाषाओं में अनुशिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेष अनुदान दिए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खंड के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझा जाने वाला संस्थान घोषित किया गया है। अंग्रेजी के अतिरिक्त इसमें रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी तथा स्पैनिश भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उन विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने की ऐसी कोई पृथक योजना नहीं है जो अरबी, फारसी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, भाषामाली, स्पैनिश और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं की शिक्षा प्रदान करते हैं। संबंधित विश्वविद्यालयों के अन्य किसी भी शिक्षा विभागों की तरह विदेशी भाषा विभाग भी आयोग से विकास अनुदान प्राप्त करते हैं।

उत्तर प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र

702. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने लघु इस्पात संयंत्र कार्यरत हैं और कितने बन्द पड़े हुए हैं;

(ख) क्या इन संयंत्रों का कार्यकरण संतोषप्रद है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) उत्तर प्रदेश में 5.43 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले 26 लघु इस्पात कारखानों की स्थापना की गई है। मार्च, 1987 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक इकाई बन्द पड़ी है।

(ख) उत्तर प्रदेश में लघु इस्पात कारखानों ने अभ्यावेदन दिया है कि उनको बिजली की कमी तथा आयातित स्क्रेप पर भाड़ा-प्रभार की समस्याएं हैं। तथापि मई, 1987 में इन कारखानों का क्षमता उपयोग अखिल भारत के 86% आंकड़ों की तुलना में 62% है।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लाभ में कमी

703. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का लाभ वर्ष 1986-87 के दौरान घट कर केवल 5 करोड़ रुपए रह गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कारण से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने उत्पादन मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या मत है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखनलाल फोतेदार) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में तट दूर समुद्र तल का सर्वेक्षण

705. **श्री टी० बाल गौड :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए हाल में आन्ध्र प्रदेश में तट दूर समुद्र तल का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अब तक के सर्वेक्षण के फलस्वरूप, समुद्री सीमा के अन्दर तलछट पट्टी में जर्कन, मोनेजाइट, इल्मेनाइट आदि खनिजों के अंश पाये गये हैं। सर्वेक्षण अभी चल रहा है।

कार के रंगीन शीशों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव

706. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :

जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए कार के रंगीन शीशों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ताकि वाहनों में बैठे लोगों को आसानी से पहचाना जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मोटरयान विधेयक, 1987 का एक प्रावधान केन्द्रीय सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ रंगीन सुरक्षा कांच के प्रयोग को निषिद्ध करने सहित सुरक्षा-कांच के प्रयोग को विनियमित करते हुए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए है

सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्य का स्थगन

707. डा० दत्ता सामन्त : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र को विस्तार करने का प्रस्ताव स्थगित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संयंत्र का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सेलम इस्पात कारखाने पर दिनांक 31-3-87 तक पूंजीगत व्यय 180.43 करोड़ रुपये (अनन्तिम) था । वर्ष 1986-87 के संबंध में कारखाने का वार्षिक उत्पादन 26,630 टन स्टेनलेस स्टील चादरें/क्वायलें था ।

बिहार में तकनीकी शिक्षा का स्तर

708. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य में आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार को सुझाव दिया है कि तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाये;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए बिहार राज्य को कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में तकनीकी शिक्षा में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) संघ सरकार तकनीकी शिक्षा के स्तरों के सुधार और उनके रख रखाव के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह देती है। बिहार राज्य सरकार को भी इस संबंध में सलाह दी गई है।

तकनीकी संस्थाओं में समेकन, आधुनिकीकरण, और सुविधाओं को सुदृढ़ करने सहित तकनीकी शिक्षा का सामान्य विकास राज्य सेक्टर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इस पर व्यय राज्य योजना से वहन किया जाता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के सुधार संबंधी रूप रेखाओं के प्रभावी कार्यान्वियन को प्रायोगिक आधार पर प्रदर्शित करने के लिए केन्द्रीय योजनाएं भी तैयार की जाती हैं जिसके अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए सम्बन्धित तकनीकी संस्थाओं को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1986-87 के दौरान, तकनीकी शिक्षा के स्तरों और सुविधाओं को सुधारने के लिए बिहार राज्य में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं को 204.14 लाख रुपये का अनुदान मुक्त किया गया था। मानकों में सुधार की सीमा उस कारगरता पर निर्भर करेगी जिस कारगर ढंग से राज्य योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं और अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत पूरक और अनुपूरक उपायों/कार्यक्रमों को आगे आरम्भ करते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता

709. **श्री के० एन० प्रधानी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी स्वयंसेवी संस्थायें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त कर रहा है;

(ख) सरकार इन संस्थाओं के कार्यकलापों और लेखों पर किस तरह नियंत्रण रखती है; और

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त कुछ संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के फील्ड अफसर बोर्ड की सहायता से किए जाने वाले कार्यों को करने में संस्थाओं का निरीक्षण और दिशा निर्देशन करते हैं और परामर्श देते हैं। राज्य बोर्ड के सदस्य कल्याण कार्यों का समुचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को समय-समय पर सलाह मशविरा देते रहे। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों से उपयोगिता प्रमाणपत्र और सनदी लेखापालों द्वारा यथा विधि लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त करता है।

(ग) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या		
		1984-85	1985-86	1986-87
1.	5000 रुपए तक का वार्षिक अनुदान	151	136	1 ·4
2.	10,000 रुपए तक का वार्षिक अनुदान	8	7	5
3.	अवकाश शिविर	24	18	16
4.	महिला मंडल	8	7	7
5.	समेकित स्कूल पूर्व परियोजनाएं	2	2	—
6.	श्रमजीवी महिला होस्टल	1	3	5
7.	पोषाहार कार्यक्रम	54	30	92
8.	जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण	(2 शिविर)	(9 शिविर)	—
9.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	25 (इकाइयां)	15 (इकाइयां)	13 (इकाइयां)
10.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम	94 (पाठ्यक्रम)	76 (पाठ्यक्रम)	97 (पाठ्यक्रम)
11.	शिशु सदन	117	150	197
12.	जागृति विकास परियोजनाएं	—	—	3 (शिविर)

[अनुवाद]

यमुना नदी बेसिन के लिए आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली

710. **श्री पी० कुलनदईवेलु** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी बेसिन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आधुनिक पूर्वानुमान बाढ़ प्रणाली स्थापित की गई है;

(ख) क्या इस प्रणाली को "इन्सेट-1बी" से जोड़ने तथा सुदूरवर्ती स्टेशनों द्वारा और अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) अन्तर्राज्यीय नदी बेसिनों में अब तक कितने बाढ़ चेतावनी केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) ऐसे केन्द्रों की संख्या 147 है ।

बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को रोकने हेतु कदम

711. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को रोकने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बच्चों के स्कूल छोड़ने के बहुत से कारण हैं उनमें से कुछ शिक्षकों, अविभावकों तथा छात्रों के स्वभाव से सम्बन्धित हैं । ऐसा कोई एक भी कार्यक्रम नहीं है जिसे कार्यान्वित करके स्कूल छोड़ देने वालों की दरों को विशिष्ट रूप से कम किया जा सकें । स्कूल छोड़ देने के बहुत से कारण होने की वजह से स्थिति पर प्रभाव डालने के लिए एक सम्पूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकता है । लड़कियों को निशुल्क वर्दियां, निशुल्क मध्यान्ह भोजन, निशुल्क पाठय-पुस्तकें तथा हाजिरी छात्रवृत्तियां जैसे विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और यह मंत्रालय इसे काफी हद तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहा है । ये विभिन्न उपाय 1986-87 में कार्यान्वित हो रहे थे ?

राज्य सरकारों द्वारा नए प्रयासों तथा विद्यमान प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने, जो कि मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं, के अलावा भारत सरकार "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" जैसे नए प्रयास शुरू कर रही है ताकि सभी प्राइमरी स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके, बिना स्कूलों वाली बस्तियों में से स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों, काम करने वाले उन लड़के अथवा लड़कियों के लिए जो पूरे दिन के स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हों, के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा पुनर्गठन किया जा सके, शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन तथा पुनर्रचना तथा कोर पाठ्यचर्चा का विकास किया जा सके । इन सभी उपायों से यह आशा की जाती है कि इससे स्कूल छोड़ देने वालों की दरों में पर्याप्त रूप से कमी होगी ।

हिरासत में महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए स्थापित की गई समिति की सिफारिशें

712. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री एच० बी० पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला और बाल विकास विभाग द्वारा हिरासत में महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए पिछले वर्ष मई में स्थापित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

समिति ने महिलाओं के लिए हिरासत न्याय के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति अपनाने और अपराधिक न्याय और सुधार प्रक्रिया में महिलाओं के साथ व्यवहार सम्बन्धी एक व्यापक विधायी और प्रशासनिक दिशानिर्देशों की एक संहिता तैयार करने की सिफारिश की है ।

जिस नीति की सिफारिश की गई है, उसमें अपराधिक और सुधार न्याय के प्रशासन में महिलाओं के लिए लाभकारी उपबन्ध हैं और इसमें संक्षेप में महिलाओं की हिरासत के विनियमन सम्बन्धी व्यापक उद्देश्य और प्रक्रियाएं बताई गई हैं । समिति ने महिलाओं के प्रति निश्चित भेदभाव को खत्म करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है और विशेष सिफारिशें की हैं, जो अपराधिक न्याय और सुधार प्रणाली के प्रत्येक संचालकों को, जैसे पुलिस, न्यायकर्ता; कानून, जेल और उपचारी स्टाफ को लागू है ।

सुधारात्मक उपायों में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए व्यक्ति और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय; गिरफ्तारी करने पर और हिरासत में महिलाओं के कानूनी अधिकार; गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ व्यवहार के लिए निर्देश हवालात में और अन्य हिरासती परिस्थितियों में महिलाओं की विशेष आवश्यकता पूरी करने की सुविधाएं महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था ताकि महिला न्यायालयों द्वारा महिलाओं के लिए अलग से कार्यवाही हो, जैसे नारी बन्दीगृह अदालतें, अलग हवालात, महिलाओं और पुरुषों की एकीकृत पुलिस बल द्वारा पुलिस स्टेशन में विशेष काउन्टरों अथवा विशेष पुलिस स्टेशनों का प्रबन्ध किया जाना; और मुलजिम और अभियोगाधीन महिलाओं के लिए अलग कारागारों की व्यवस्था करना शामिल हैं ।

समिति ने सिफारिश की है कि महिला कैदियों के लिए उचित और समान मजदूरी हो और कार्यात्मक और वैधानिक साक्षरता तथा कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए; समाज कल्याण और मानसिक गृहों तथा पुलिस की हवालात और कारागर के अन्दर कानूनी सहायता का अधिकार; मानसिक रोगियों को अस्पताल में भेजने का अधिकार और कारागारों और भिक्षु गृहों इत्यादि में हिरासत में रखी ऐसी महिलाओं का मानसिक गृहों में स्थानान्तरण जहां मनोचिकित्सा की व्यवस्था संभव हो, हिरासत के दौरान अथवा हिरासत से छूटने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा महिला कल्याण के लिए चलाये गए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में, हिरासत में रखी महिलाओं को मुख्यधार से जोड़ना और हिरासत में रखी महिलाओं के बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाओं, पोषाहार बाल देख-भाल, शिक्षा और भ्रमण इत्यादि के अधिकारियों को मान्यता प्रदान करना ।

माता के रूप में महिलाओं की अद्वितीय भूमिका को मान्यता और नानजुडिश्यल और समुदाय आधारित विकल्पों के व्यापक प्रयोग सम्बन्धी नीतियों के निर्माण और निष्पादन में परिवार के अन्दर उसकी भूमिका को पर्याप्त महत्व प्रदान करना इस समिति की अन्य सिफारिश है। हिरासत में रखी महिलाओं की सामाजिक-वैधानिक परामर्श देने और ऐसे कार्य के वर्गीकरण किए जाने और प्राधिकृत किए जाने के लिए विधि स्कूलों और समाज कार्य स्कूलों पर निर्भर करने के लिए अधिकाधिक जोर दिया गया है।

विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशें हैं; न्यायिक, पुलिस, हिरासती और सुधारात्मक सेवा के सभी स्तरों पर और सभी संवर्गों में महिलाओं का व्यापक और सुरक्षित प्रतिनिधित्व; विभिन्न प्रकार के हिरासती केन्द्रों और परिस्थितियों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट सुरक्षा कोर का सृजन, हिरासती सूचना और रिकार्डों तक प्राधिकृत निरीक्षकों और निकायों की पहुंच और संस्थागत कार्य सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी निरीक्षकों द्वारा हिरासती केन्द्रों के निरीक्षण पर अधिक भरोसा करना; राष्ट्रीय महिला हिरासत न्याय प्राधिकरण नामक एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था का सृजन जो इस प्रणाली में परिवर्तन लाने और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने की जिम्मेदारी के साथ प्रबोधनकर्ता, सलाहकार और समन्वयकर्ता संस्था के रूप में कार्य करे और हिरासत में महिलाओं के स्तर और महिलाओं के लिए हिरासती न्यायसंबंधी राष्ट्रीय नीति में प्रगति के संबंध में संसद में राष्ट्रीय महिला हिरासत न्याय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पेश करे।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि रिपोर्ट की सिफारिशें जब मंजूर हो जाएं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सेवा और कारागार, हिरासत और सुधार सेवा जैसी सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्य सेवाओं का सेवा पूर्व और पुनश्चर्या प्रशिक्षण का इन सिफारिशों की जानकारी एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

[हिन्दी]

दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा-बरौनी लाइन पर सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

713. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा-बरौनी रेल लाइन पर वैशाली एक्सप्रेस, जो कि इस लाइन पर चलने वाली एकमात्र एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, में अत्यधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए इस लाइन पर एक और सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दूसरी सुपरफास्ट गाड़ी को कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, इस खण्ड पर भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से 1-10-1987 से 509/510 नयी दिल्ली-गुवाहाटी अवध-असम एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शोरानूर मंगलौर रेल लाइन को दोहरा करना

714. **डा० के० जे० आदियोडी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानूर से मंगलौर तक एक ही रेलवे लाइन होने के कारण से मार्ग पर काफी अधिक धन की खपत होती है, अधिक समय लगता है और श्रम घंटों का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस रेल लाइन को दोहरा करने का विचार है, यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

केरल में नवोदय स्कूल

715. **श्री ए० चार्ल्स :**
श्री एस० जी० घोलप :
श्री राधाकान्त डिगाल :
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष 1987-88 के दौरान देश भर में कितने नवोदय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) उनके खोले जाने के स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल के लिए कितने विद्यालय मंजूर किए गए हैं;

(घ) क्या केरल में उपरोक्त स्कूल खोलने में कोई विलम्ब किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 128 विद्यालयों के राज्य-वार स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) तीन ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1987-88 के दौरान संस्वीकृत किए गए नवोदय विद्यालयों की सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल संख्या	स्थान का विवरण
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	1. पीदापुरम, जिला ईस्ट गोदावरी 2. कागज नगर, जिला आदिलाबाद 3. लिपाकक्षी, जिला अनन्तपुर 4. जिला वरंगल, मेंडक 5. पिल्लौर, जिला प्रकाशम 6. कौमुदी गांव, जिला विशाखा-पत्तनम 7. गजुलाविन प्रोजेक्ट एरिया, जिला कूरनौल 8. गांव मदिरला, जिला-गंटूर 9. गांवपपलिरुकुसुमनै मंडल जिला खाममम 10. गांव गचिबौली जिला रंगारेड्डी 11. गांव चिरीर (प्रोजेक्ट एरिया) जिला कुडापह 12. कृष्णापुरम, जिला-निलौर
2.	अंडमान निकोबार द्वीप	1	1. गांव अखोम जिला निकोबार (कार निकोबार खंड)
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	1. तेजू, जिला लोहित 2. तिसा जिला तिरप 3. सिपा जिला ईस्ट किमांग 4. लिपाजरिंग जिला अपर सुबन-सीरी

1	2	3	4
4.	बिहार	15	1. बी० आई० टी० मिश्रा जिला रांची।
			2. चायबाला कैम्पस जिला सिंहभूमि
			3. गांव रिवार जिला, नवादा
			4. शक्तिनगर, चयन बांध, जिला भागलपुर
			5. गुरलडग कृषि फार्म सुपौल जिला सहारसा
			6. मिरजापुर, बाधुकर जो कि बिशनपुर जिला बेगूसराय के नाम से भी जाना जाता है
			7. गांव बैरूम, जिला औरंगाबाद।
			8. विक्रम, जिला पटना
			9. जाथिन, जिला गया
			10. जिलागांव खारौदिन जिला मुज्जफरपुर
			11. गांव बहादुरपुर (परमानेंट साहट) और दरभंगा (टैम्प० साहट) जिला दरभंगा।
			12. पूर्णिया जिला पूर्णिया
			13. जिला चिरी, जिला लोहारडिगा
			14. रालगृह जिला, नालंदा
			15. लालमाटिया, जिला गोडा
5.	चंडीगढ़	1	1. संघशासित, चंडीगढ़।
6.	दमण द्वीव	1	1. गांव बबुचारवदा, जिला द्वीव
7.	गुजरात	4	1. रूपनगर वालिया तालुक्का, जिला भडौच
			2. बोरखादी व्यार तालुक्का, जिला सूरत
			3. गांव दुमरा जिला कुच्छ
			4. गांव आलिबदा जिला जामनगर

1	2	3	4
8.	हरियाणा	3	1. गांव चाइन्सा, जिला फरीदाबाद 2. गांव बुटाना, जिला सोनीपत 3. गांव ओदन जिला सिरसा
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1. गांव पिपरोला, जिला उन्ना 2. गांव कटगांव, जिला किन्नौर 3. गांव कोटला खुर्द जिला उन्ना 4. गांव तारकवारी, जिला हमीरपुर
10.	जम्मू और काश्मीर	7	1. आशुभुगम जिला अनन्तनगर 2. हृष्बारा (गंडरबल) जिला श्रीनगर 3. वाहिद पोरा जिला बदगाम 4. लखनपुर हसोली रोड, जिला कथुआ 5. सूरनाकोटा जिला पूंछ । 6. करगिल, जिला करगिल 7. नुद जिला जम्मू
11.	कर्नाटक	10	1. गांव सेठीगिरा, जिला नार्थ केनरा 2. गांव मोवींकर, जिला हसन 3. गांव तिपरन, जिला बिदर 4. गांव गलीवेदू, जिला कूर्ग 5. गांव भीमरायगूदी, जिला गुलबर्ग 6. गांव केलागिरी जिला धारवाड़ 7. गांव कोथालीकूपानवदी, जिला बेलगांम 8. आलमत्ती डाल साइट, जिला बीजापुर 9. गांव चिकाजोगिहली, जिला बिल्लारी 10. गांव करथल, जिला चित्रदुर्ग

1	2	3	4
12.	केरल	3	1. गांव भागवादपदपुरी चेरुबनहेरी चिनडायाड, जिला कनौर 2. गांव पोननथूरुथू इन पन्नाचिकड, जिला कोट्टायम 3. गांव पलयाड, बडार, जिला कालीकट
13.	मध्य प्रदेश	13	1. गांव अमरकथक, जिला साहदोल 2. गांव मनपुर, जिला इन्दौर 3. जिलागांव चन्द्रकेश्वर, जिला देवास 4. गांव मोहनी सागर, जिला शिवपुरी 5. गांव खुराई, जिला सागर 6. गांव चुरट, जिला सिद्दी 7. गांव बदिया तोला, जिला राजनन्दगांव 8. गांव हथा, जिला डमोह । 9. रामपुर जिला मन्दसौर 10. भीरखोदी जिला भिन्ड 11. मलहर जिला बिलासपुर 12. कांचीवडा जिला स्कोनी 13. बोराई, जिला दुर्ग
14.	महाराष्ट्र	12	1. गांव तकिल दोकेश्वर, जिला अहमदनगर 2. गांव धनगांव (तालुक्का खैंज) जिला बीड 3. गांव चिखला, जिला थाना 4. गांव अक्कयकूवा, जिला धूली 5. गांव सिकीगांव, जिला जलगांव 6. गांव खोदगांव, जिला नासिक 7. गांव नेवीगांव बन्ध, जिला भण्डारा

1	2	3	4
			8. गांव एउमरसारा, जिला यव-ममल
			9. गांव पुरतूर जिला जलना
			10. वासमत नगर तालुक्का, जिला प्रबानी
			11. जिला चन्दरपुर
			12. ग्राम वोर गांव मेघ, जि० वर्धा
15.	मणिपुर	4	1. गांव सन्दूबा अचूबा, जिला थौउब
			2. गाव चिंगपेई, जिला विष्णुपुर
			3. गांव तुनोम जिला चुराचन्दपुर
			4. गांव पपकरो माऊ जिला सेनपती
16.	मिजोरम	2	1. थेजावुल, जिला एजिल
			2. गांव पुकपुई, जिला लौंगली
17.	उड़ीसा	6	1. गांव बालपाड़ा, जिला बालागर
			2. गांव चिपलिपा, जिला कसमतलपुर
			3. गांव सिलितिकिग, जिला सुन्दरगढ़
			4. गांव विद्याधरपुर (परमामेंट साइट) और नीलगिरि (टेम्परेरी साइठ) जिला बालासौर
			5. गांव नरला जिला कलाहंगली
			6. गांव सुरंगी, जिला गंजम
18.	पांडिचेरी	2	1. गांव पलौर, जिला मेहु
			2. गांव मथाकुर, जिला यनम
19.	पंजाब	2	1. गांव पोजवल जिला होशियारपुर
			2. गांव गांदवल, जिला अमृतसर
20.	राजस्थान	9	1. गांव हुर्दं (गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा
			2. गांव मन्दपिह जिला चित्तौरगढ़

1	2	3	4
			3. गांव जसवन्तपुरा जिला जलोर
			4. गांव पतन (नीच का थाना) जिला सीकर
			5. गांव अतरु जिला कोटा
			6. गांव पचपदरानगर, जिला बाड़मेर
			7. गांव थाकरदा जिला डुंगरपुर
			8. गांव नन्दला (नरैरा बाड़) जिला अजमेर
			9. मोहनगढ़ जिला जैसलमेर
21. त्रिपुरा		2	1. गांव वीरचन्दरा नगर (मौजा साउथ टकमाचरा) दक्षिण जिला
			2. गांव थुचिन्दाबारी (मौजा थूचिन्दरा) पश्चिम जिला
22. सिक्किम		1	1. रोहतक पश्चिम जिला
23. नागालैंड		1	1. याकूकली जिला कोहिमा
24. उत्तर प्रदेश		9	1. गांव ज्ञानपुर जिला आजमगढ़
			2. गांव दिलवाड़ा सजिला ललितपुर
			3. गांव रोहिल्ला जिला फर्रुखाबाद
			4. गांव पत्रकलां जिला मिर्जापुर
			5. गांव कीर्तिनपुर जिला बहैरिया
			6. गांव उत्तराखण्ड विद्यापीठ जिला चमोली
			7. गांव कोलागढ़ जिला टिहरी
			8. गांव सारसौल, जिला कानपुर
			9. गांव ताड़ीखेत, जिला अलमोड़ा

कम शक्ति के टीके

716. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि बाजार में उपलब्ध पोलियो का टीका, ट्रिपल एन्टीजन और खसरे का टीका, आदि अपेक्षित स्तर से कम शक्ति के हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दवाई विक्रेताओं से इन जीवन रक्षक टीका के कितने नमूने लिए गए तथा प्रत्येक टीके का नाम क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, वर्षवार ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) इस कदाचार को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए; और

(च) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (च) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा औषधों के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित किया जाता है। पिछले 2 वर्षों में परीक्षण किए गए पोलियो वैक्सीन, ट्रिपल एन्टीजन और खसरे के टीकों की नमूनों की संख्या के बारे में सरकार के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

बताया गया है कि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई क्रियाविधि के अनुसार सभी नमूने लिए गए थे और इनका केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के सरकारी विश्लेषक द्वारा परीक्षण किया गया था। राज्य औषध निरीक्षक, जो निरीक्षण करने के प्राधिकारी होते हैं, को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत घटिया स्तर की वैक्सीनों के संबंध में उचित कार्यवाही करना आवश्यक होता है।

विवरण

वर्ष	वैक्सीन का नाम	प्राप्त किए गए नमूनों की संख्या	मानक	घटिया स्तर	परीक्षणाधीन
1985-86	ट्रिपल एण्टीजन (डी० पी० टी०)	22	20	1	1
	पोलियो वैक्सीन	13	6	7	—
	खसरे के टीके	शून्य	शून्य	शून्य	—
1986-87	ट्रिपल एण्टीजन (डी० पी० टी०)	23	16	—	7
	पोलियो वैक्सीन	20	8	12	—
	खसरे के टीके	शून्य	शून्य	शून्य	—

भूमिगत जल के स्तर में भारी गिरावट

717. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधन विकास के केन्द्रीय दल के सम्मुख मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में भूमिगत जल के स्तर में भारी गिरावट आने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में भूमिगत जल के स्तर में भारी गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन राज्यों में झीलें सूख रही हैं और तालाबों में गाद जमा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार जल उपलब्ध कराने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इसका मुख्य कारण वर्षापात में एकांतरक परिवर्तन होना है जिसके फलस्वरूप सूखे की स्थिति हो जाती है तथा फलतः भूजल निकासी में वृद्धि होती है।

(ग) झीलों के जल स्तर में गिरावट आई है।

(घ) पहले से ही कार्यान्वयनाधीन उपायों में भूमि एवं जल प्रबंध परियोजनाएं अर्थात् वन-रोपण, कन्टोर बंदों का निर्माण, नाला मुहबंदी तथा अंतःस्रवण टैंकों का निर्माण एवं मरम्मत और प्रचालनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शामिल हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

718. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित अनेक स्थान चालू शिक्षा सत्र के दौरान रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभ के लिए उक्त सब स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले अभी किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

719. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की कितने एककों का विस्तार किया जा रहा है और कितने एकक अभी चालू होने हैं; और

(ख) क्या कोई ऐसी एकक है जो चालू हो गए हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है अथवा वे अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) इस समय "सेल" के निम्नलिखित तीन कारखानों का विस्तार किया जा रहा है :—

1. भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता का 25 लाख क्षमता से 40 लाख टन तक।
2. बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता का 17 लाख टन क्षमता से 40 लाख टन।
3. दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की अपरिष्कृत इस्पात क्षमता का 160,000 टन वार्षिक क्षमता से 260,000 टन वार्षिक क्षमता तक।

(ख) और (ग) भिलाई इस्पात कारखाने की अपरिष्कृत इस्पात की वार्षिक क्षमता का 25 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार किया जा रहा है।

वर्ष 1986-87 में अपरिष्कृत इस्पात की 15 लाख टन की क्षमता के विस्तार के मुकाबले में इस सुविधा की क्षमता का उपयोग 47 प्रतिशत था। वर्ष 1986-87 में विस्तार कार्यक्रम (11.88 लाख टन के अन्तर्गत विक्रेय इस्पात की सुविधाओं का उपयोग 47 प्रतिशत था)।

विस्तार योजना में तप्त धातु के 9.3 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए भी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। ये सुविधायें अभी चालू नहीं हुई हैं, परन्तु वर्तमान सुविधाओं से तप्त धातु के उपयोग से यह आंका गया था कि वर्ष 1986-87 में विस्तार सुविधाओं की अपरिष्कृत इस्पात और विक्रेय इस्पात की अन्तरिम क्षमताएं क्रमशः 9 लाख टन तथा 7 लाख टन थीं और वर्ष 1986-87 में दोनों मामलों में क्षमता का 78 प्रतिशत उपयोग हुआ था।

विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत अपरिष्कृत इस्पात तथा विक्रेय इस्पात की पहले से स्थापित क्षमताओं की क्षमता के उपयोग में कमी, तप्त धातु की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुई है। तप्त धातु की सुविधा लगभग वर्ष 1987-88 के अन्त में शुरू की जाएगी।

बोकारो इस्पात कारखाने की अपरिष्कृत इस्पात की वार्षिक क्षमता का 17 लाख टन से 40 लाख तक विस्तार किया जा रहा है।

तप्त धातु के उत्पादन की सुविधाएं पूरी तरह से शुरू हो गयी हैं। और वर्ष 1986-87 में इनकी क्षमता का 74 प्रतिशत उपयोग हुआ था।

विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 23 लाख टन अतिरिक्त अपरिष्कृत इस्पात की व्यवस्था करने का अनुमान लगाया गया था। पूर्ववर्ती इकाइयों के विस्तार के द्वारा इसका एक भाग (लगभग 8 लाख टन) पूरा किया जाना था तथा 15 लाख टन नई स्टील मेल्टिंग शॉप से पूरा किया जाना था। वर्ष 1986-87 में स्टील मेल्टिंग शॉप की क्षमता का लगभग 54 प्रतिशत उपयोग हुआ था।

इसी प्रकार विस्तार योजना के अन्तर्गत विक्रेय इस्पात का 18 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन नई ठंडी बेलन मिल से पूरा कर लिया जाएगा, इस मिल से 11.85 लाख टन विक्रेय इस्पात मिल जाएगा तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार से शेष 6.16 लाख टन विक्रेय इस्पात मिल जाएगा। ठंडी बेलन मिल अभी निर्माणाधीन है और इसके वर्ष 1987-88 के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में कमी, जिसके परिणामस्वरूप विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, का कारण है : आक्सीजन की कमी। इस कमी को लगभग जून, 1988 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विस्तार की तीसरी योजना सेल के दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में कार्यान्वित की जा रही है। इसकी अपरिष्कृत इस्पात की वार्षिक क्षमता 1.6 लाख टन से बढ़ाकर 2.6 लाख टन की जा रही है। इस विस्तार के सितम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में स्टाफ नर्सों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति

720. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों में स्टाफ नर्सों को केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे तदर्थ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) नर्सों की नियुक्ति मुख्यतया नियमित आधार पर की जाती है। लेकिन, स्टाफ नर्सों की तदर्थ नियुक्तियां मुख्य रूप से न भरी गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उन रिक्तियों पर उस समय तक की जाती है जब तक इन वर्गों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते।

(ग) फिलहाल ऐसे तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पहिया सेटों की निर्माण लागत

721. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 के दौरान बंगलौर स्थित रेल पहिया तथा एक्सल संयंत्र में निर्मित पहिया सेट का मूल्य 30,400 रुपये था जबकि उसी वर्ष के दौरान एक आयातित पहिया सैट का सीमाशुल्क सहित मूल्य 15,000 रुपए था;

(ख) यदि हां, तो स्वदेश में निर्मित पहिया सेटों का इतना अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहिया और एक्सल संयंत्र लगाये जाने की मूल लागत का अनुमान 38.6 करोड़ था लेकिन उसकी लागत बढ़कर 146 करोड़ रुपये हो गई; और

(घ) लागत में इनकी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1985-86 में बेंगलूर के पहिया और धुरा संयंत्र में निर्मित पहिया सेट का मूल्य 31,000 रुपए निर्धारित किया गया था। इसमें विकास उचंत की मात्रा शामिल थी जिसकी अदायगी प्रारम्भिक वर्षों में करनी होती है। उत्पादन की वास्तविक लागत केवल 27,036 रुपये थी।

जहां तक पहिया सेट की आयातित लागत का संबंध है, यह समय-समय पर अलग-अलग रही है और यह सर्वविदित है कि कुछ देशों में मूल्य पूर्णतः लागत पर आधारित नहीं है हालांकि 1985-86 में आयातित एक बी० ओ० एक्स० एन० पहिया सेट का सीमा शुल्क सहित मूल्य 14,500 रुपये (लगभग) था जबकि इस समय इसका आयातित मूल्य 29,000 रुपये (लगभग) है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती आयात मूल्य केवल "क्षेपण" मूल्य पर आधारित था।

(ग) और (घ) 1973 में एक रेलवे पहिया और धुरा संयंत्र की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया था। नवम्बर, 1977 में योजना आयोग ने केवल पहिया यूनिट स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया था और यह यूनिट (धुरा यूनिट के बिना) 38.39 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूर की गयी थी। समीक्षा के बाद धुरा यूनिट सहित पूर्ण परियोजना को जून, 1978 में मंजूरी दी गयी थी। विस्तृत परियोजना का, जिसमें पहिया यूनिट और धुरा यूनिट दोनों शामिल थे और जिसे जुलाई, 1986 में मंजूरी दी गयी थी, संशोधित अनुमान 146 करोड़ था। वे कारक, जिनकी वजह से इसकी लागत में वृद्धि हुई, थे – परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन तथा एक दशक की अवधि में मूल्यों में हुई वृद्धि।

राष्ट्रीय जल नीति

722. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री एच० एम० नन्जे गौडा :
श्री एस० एन० गुरड्डी :
श्री आर० एम० भोये :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है;

(ख) क्या मसौदे पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने विचार कर लिया है; और

(ग) राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मसौदा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है जिस पर सितम्बर, 1987 में प्रस्तावित अगली बैठक में विचार किया जाना है।

कन्याकुमारी से देश के विभिन्न भागों को सीधी रेल गाड़ियां

723. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों और तीर्थ-यात्रियों द्वारा कन्याकुमारी से देश के विभिन्न भागों को और अधिक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या 19/20 त्रिवेन्द्रम मेल को त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक बढ़ाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) कन्याकुमारी से और अधिक थ्रू गाड़ियां चलाने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

क्यूबा के साथ खेल संबंधी समझौता

724. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और क्यूबा ने खेल के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे समझौते किसी अन्य राष्ट्र के साथ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) कुछ अन्य देशों अर्थात् चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया मारीशस और ग्रीस के साथ खेल न्याचारों पर हस्ताक्षर करने की सम्भावनाओं की काफी समय से छानबीन की जा रही है । यह कहना कठिन है कि उसके परिणाम क्या होंगे क्योंकि इसे अन्तिम रूप देना सम्बन्धित देशों की प्रतिक्रिया पर आधारित है ।

विवरण

क्यूबा और भारत के बीच हस्ताक्षरित नयाचार का लक्ष्य वर्ष 1987-89 के दौरान शारीरिक शिक्षा, खेल, मनोरंजन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है । करार में निम्नलिखित आदान-प्रदान की व्यवस्था है :—

क्यूबा में

1. खेल प्रशिक्षण के आयोजन, योजना और नियंत्रण के बारे में अनुभव के आदान-प्रदान के लिए दो अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल, दो व्यक्ति 7 दिन, सितम्बर/दिसम्बर, 1987.

2. अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट "गिराल्डो कोरडोवा कारडिन," में भाग लेने के लिए भारत का एक मुक्केबाजी में एक प्रतिनिधिमण्डल—15 दिन, 10 व्यक्ति तक, मई-जून 1988.

3. सभी के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में अनुभव के आदान-प्रदान के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के दो अधिकारी, दो व्यक्तियों तक, 7 दिन, 1 सत्र, 1988.

4. अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट "कैपेब्लांका इन मैमोरियम" में भाग लेने के लिए भारत के दो शतरंज खिलाड़ी, 2 व्यक्ति, 20 दिन, मई/जून 1988 और 1989.

5. मूल्यांकन और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए भारत का शारीरिक उपयुक्तता (योगा) का एक विशेषज्ञ, एक व्यक्ति 30 दिन तक 1988 और 1989 में तिथि सहमति द्वारा तय की जाएगी।

भारत में

1. भारत की राष्ट्रीय टीम और राष्ट्रीय बालीबाल संघ का मूल्यांकन करने के लिए पुरुष बालीबाल का एक क्यूबा का प्रशिक्षक. 1 वर्ष, द्वितीय सत्र, 1987, क्यूबा के प्रशिक्षक की ठेके की शर्तें दोनों देशों के आर्थिक सहयोग संस्थानों के जरिए तय की जाएंगी।

2. भारतीय राष्ट्रीय संघ का मूल्यांकन करने के लिए क्यूबा का एक मुक्केबाज प्रशिक्षक, 1 व्यक्ति 1988 में 6 महीने तक और 1989 में 2 महीने तक, तिथि सहमति द्वारा तय की जाएगी।

3. भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ अनुभव के आदान-प्रदान के लिए क्यूबा का एक बास्केटबाल प्रशिक्षक, 60 दिन तक, मई-जुलाई, 1988.

4. दोहरी प्रतियोगिता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए क्यूबा की एक क्षेत्रीय हाकी टीम, 22 व्यक्तियों तक, वर्ष 1988-89 में तिथि नियंत्रण द्वारा।

5. अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए क्यूबा का एक मुक्केबाजी प्रतिनिधिमण्डल 10 व्यक्ति, तिथि आमत्रण द्वारा 1989.

6. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यूबा के दो शतरंज खिलाड़ी, 2 व्यक्ति, तिथि आमंत्रण द्वारा 1989.

सामान्य

दोनों पक्ष शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहायता और सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

725. **डा० अन्न शेखर त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पिछले दो महीनों के दौरान कुल कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई;

(ख) उन्हें रद्द किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को कुल कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(घ) इन रद्द की गई गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेलों को पिछले दो महीनों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में टूट-फूट, सूखा, आन्दोलन, बन्द तथा अन्य परिचालनिक कारणों से विवश होकर अस्थायी तौर पर गाड़ियां रद्द करनी पड़ी थी ज्यों ही स्थिति में सुधार होता है, में गाड़ियां पुनः चालू कर दी जाती हैं। रद्द किए गए अलग-अलग फेरों/गाड़ियों तथा इनसे हुई वित्तीय हानि के ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं।

हरियाणा में रेलों के विस्तार की योजना

726. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में रेलों का आधुनिकीकरण करने और रेल नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1. रेलों के राष्ट्रीय जालतंत्र का आधुनिकीकरण तथा विस्तार समग्र राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है न कि राज्य-वार आधार पर। तथापि, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य अनुमोदित किए गए हैं जो रेल जाल तंत्र के आधुनिकीकरण में सहायक सिद्ध होंगे :—

(1) पानीपत और अम्बाला के बीच दोहरी लाइन बिछाना। इसका अधिकांश भाग चालू कर दिया गया है तथा शेष भाग 1988 में चालू किया जाना है।

(2) गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना।

(3) रोहतक और जाखल के बीच चुनिन्दा खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाना।

(4) समपारों के बदले पांच ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण।

(5) भिवानी स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास।

2. जहां तक जाल तंत्र के विस्तार का संबंध है, बहादुरगढ़ और झज्जर तथा रोहतक/जींद और हांसी/हिसार के बीच नयी लाइनों के निर्माण के लिए निहितार्थों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षणों को मंजूरी दे दी गयी है। इन पर अगली कार्रवाई करने के बारे में विचार सर्वेक्षणों को पूरा होने पर किया जाएगा जो परियोजनाओं की वित्तीय लाभप्रदता पर निर्भर करेगी।

जहाजों की खरीद के लिए लाइसेंस जारी करने की नई प्रक्रिया

727. **श्री पी० एम० सईद** :
डा० टी० कल्पना देवी :
श्री विमल कान्ति घोष :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों की खरीद के लिए लाइसेंस जारी करने की नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन लोक एवं निवेश कम्पनी, वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नौवहन महानिदेशक इत्यादि के प्रतिनिधियों सहित जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 1-4-1987 से जहाज अधिग्रहण लाइसेंसिंग नामक एक नई समिति का गठन किया गया है। यह लाइसेंसिंग समिति मुख्य रूप से जहाजों की खरीद के लिए आवेदन पत्रों को अनुमोदन प्रदान करती है जो कुछ खास व्यापक पैरामीटरों जैसे राष्ट्रीय व्यापार के लिए इन जहाजों की आवश्यकता, सार्वजनिक एवं गैर सरकारी क्षेत्रक के बीच टनेज आवंटन का अनुपात, पंचवर्षीय योजना में चालू टनेज हेतु निश्चित लक्ष्य, देश में उपलब्ध जहाज निर्माण क्षमता आदि के आधार पर प्रदान किया जाता है। तथापि प्रस्तावित खरीद के लिए वित्तीय प्रबन्धों को भारतीय क्रेडिट व निवेश कम्पनी/बैंकों के जरिए अलग से कम्पनी द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है।

कर्नाटक द्वारा अमर भद्रावती की क्षमता में एकतरफा रूप से वृद्धि किया जाना

728. श्री० सी० जंगा रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार तुंगभद्रा नदी पर अपर भद्रावती की क्षमता में एकतरफा रूप से वृद्धि कर रही है;

(ख) क्या इससे आन्ध्र प्रदेश की श्रीशैलम और नागार्जुन सागर परियोजनायें प्रभावित होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मास्को में भारत महोत्सव

729. श्री कमल नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में मास्को में आरम्भ किए गए भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए कितने कलाकारों को भेजा गया और वे किन-किन विभागों के हैं; और

(ख) कलाकारों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सोवियत संघ में भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए अब तक 1096 कलाकार भेजे गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) युवा कार्य और खेल विभाग : 422

(ii) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद : 668

(iii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय : 6

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

हाड़ाभांगी सिंचाई परियोजना

731. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाड़ाभांगी सिंचाई परियोजना के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक सहायता में से कितनी धनराशि पहले ही वितरित की जा चुकी है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस परियोजना के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और क्या परियोजना से सिंचाई के अलावा पन-बिजली भी पैदा की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मुख्य बांध के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और कार्य आरंभ हो चुका है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा सिंचाई एक परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक ने 58 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की है जिसके अन्तर्गत हरभंगी परियोजना सहित 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं । इस राशि को पूरा वितरित कर दिया है । मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए बैंक सहायता का कोई परियोजना-वार आबंटन नहीं है । उड़ीसा सिंचाई एक पूरा होने पर, हरभंगी परियोजना सहित वही 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करते हुए उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना शुरू की गई है तथा 105 मिलियन अमरीकी डालर की बैंक सहायता में से मार्च, 1987 तक 52 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वितरित कर दी गई है ।

(ख) हरभंगी परियोजना के मार्च, 1991 तक पूरा हो जाने की संभावना है । इस परियोजना में जल विद्युत प्रजनन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

महाराष्ट्र की परियोजनाओं के जल-स्तर में गिरावट

732. **प्रो० विमल कान्ति घोष :**
श्री बालासाहेब विखे पाटिल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 35 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से 20 में जल-स्तर में 75 प्रतिशत से अधिक गिरावट रिकार्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण-संबंधी स्थिति के खराब होने के कारण अधिक विदोहन से भूमि-जल की स्थिति और खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए दीर्घावधि आधार पर किसी स्थायी उपचार के बारे में विचार किया है;

(घ) क्या भूमि-जल के उपयोग के बारे में नीति तैयार करने के लिए किसी नई नीति पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) महाराष्ट्र में 5 जलाशयों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त सूचना में बताया गया है कि जुलाई, 1987 के मध्य में उनकी सक्रिय जल भण्डारण क्षमता गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तीन मामलों में लगभग 55 से 88% तक कम थी ।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल प्रणालियों के रुख की आवधिक मानीटरी से पता चलता है कि जबकि केवल दो लघु क्षेत्रों में भूजल स्तर में दीर्घावधिक गिरावट रिकार्ड की गई है, वर्ष 1982-86 के दौरान सूखे से प्रभावित 12 जिलों में मानसून-पूर्व औसत स्तरों में निबल गिरावट आई है ।

(ग) जिन क्षेत्रों में भूजल स्तरों में दीर्घावधिक गिरावट आई है, वहां प्रयोगात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से सतही और भूजल संसाधनों के उचित मूल्यांकन तथा उनके इष्टतम संयुक्त प्रयोग की योजना बनाने का अनुरोध किया गया है । निर्माणाधीन राष्ट्रीय जल नीति में इस पहलू को शामिल किया जायेगा ।

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन

733. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :**
श्री आनन्द पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में बजटीय आबंटनों में कितनी वृद्धि या कमी हुई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) से (ग) पहली पंचवर्षीय योजना से सातवीं योजना तक की विभिन्न योजना अवधियों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए परिव्यय/व्यय तथा पिछली अवधि के मुकाबले प्रत्येक योजना के लिए गए परिव्यय/व्यय की प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

अवधि	स्वा० और प० क० के लिए परिव्यय/वास्तविक	प्रतिशत वृद्धि
1. पहली योजना (1951-56) वास्तविक	65.3	—
2. दूसरी योजना (1956-61) वास्तविक	143.0	118.99
3. तीसरी योजना (1961-66) वास्तविक	250.8	75.38
4. चौथी योजना (1969-74) वास्तविक	613.5	144.61
5. पांचवीं योजना (1974-79) वास्तविक	1252.6	104.17
6. छठी योजना (1980-85) परिव्यय	2831.1	126.01
7. सातवीं योजना (1985-90) परिव्यय	6649.2	134.86

पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना

734. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों के केन्द्रीय संघ ने अपने कर्मचारियों के लिए भी उत्पादकता पर आधारित बोनस दिए जाने की मांग की है जैसे कि रेलवे और डाक तथा तार कर्मचारियों को पहले ही मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बोनस योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पत्तन और गोदी श्रमिकों की फैडरेशनें उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम लागू करने की मांग कर रही हैं। श्रमिक फेडरेशनों के साथ परामर्श करके लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर अभी श्रमिक फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा धुआंरहित तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

735. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के धुआं रहित तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध से भारत में कितने लोग प्रभावित हुए;

(ख) भारत में धुआं वाले और धुआं रहित तम्बाकू का सेवन करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में धूम्रपान के संबंध में और इसके खतरों का प्रचार करने के लिए क्या पूर्वोपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) धुआं रहित तम्बाकू के सेवन पर विचार-विमर्श करने के लिए जून, 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ अध्ययन ग्रुप की जेनेवा में हुई बैठक में इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है।

(ख) भारत में कितने लोग तम्बाकू के उत्पादों का सेवन करते हैं, इसके बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 1975 के अनुसार सिगरेट का व्यापार कर रहे सभी निर्माताओं या व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक है कि वे बेचे जाने वाले सभी डिब्बों और सिगरेट के पैकटों पर एक सांविधिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। इसी प्रकार की एक चेतावनी सभी विज्ञापनों में भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होती है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के नियंत्रण के लिए प्रसगठित सांविधिक उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :

1. बीड़ी बनाने के तम्बाकू, पाइप तम्बाकू, सिगार, तम्बाकू-आधारित पानमशाला/गुटका, तम्बाकू आधारित टूथ पाउडर/टूथ पेस्ट इत्यादि जैसे अन्य तम्बाकू उत्पादों पर भी मौजूदा सांविधिक चेतावनी को लागू करना।

2. सभी किस्म के तम्बाकू वाले उत्पादों पर तथा जहां तक सम्भव हो जिन डिब्बों या पैकेटों में ये तम्बाकू वाले उत्पाद रखे जाते हैं, उन पर "धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" नामक वर्तमान सांविधिक चेतावनी के अलावा अन्य प्रभावकारी नारों का उपयोग करना।

3. प्रत्येक सिगरेट पैकेट, डिब्बे और प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर क्रास्ड बोन्स और खोपड़ी जैसे सर्वविदित खतरे के चिन्ह का उपयोग करना।

4. बिक्री के लिए निकासी-बिन्दु पर दो भाषाओं में जैसे अंग्रेजी और हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में सांविधिक चेतावनी छापना।

5. धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण।

एम० वी० अवामिति के डूबने के कारणों की जांच

736. **श्री उत्तमराव पाटिल :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री राम भगत पासवान :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मदन पाण्डे :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एम० वी० अवामिति नामक एक जहाज अरब सागर में रत्नगिरि के पास डूब गया;

(ख) यदि हां, तो खोए हुए चालक दल के सदस्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला और खोये हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हां, एम० वी० अवामिति 8-7-1987 को अरब सागर में जयगढ़ के निकट डूब गया।

(ख) एम० वी० अवामिति मुन्दरा से नमक कार्गो लादकर चला और बम्बई से 6-7-1987 को आगे बढ़ा। जहाज को वर्षा के कारण खराब मौसम का सामना करना पड़ा और वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। 8-7-1987 को जहाज स्टारबोर्ड की ओर से झुक गया और डूब गया। कर्मीदल के चार सदस्य तट पर सुरक्षित पहुंच गए। पांच लाशें तट पर आ लगीं। कर्मीदल के 14 सदस्य लापता हैं।

(ग) नौवहन महानिदेशक ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 360 के तहत हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

(घ) अभी जांच प्रारंभ नहीं हुई है और इसलिए इसके निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हैं। कर्मीदल के 19 सदस्यों की जानें गईं, उनके निकटतम संबंधियों को कुल लगभग 20,49,182 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

सम्बलपुर रेलवे डिवीजन

737. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित सम्बलपुर डिवीजन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस नए डिवीजन का अधिकार क्षेत्र क्या निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या उन अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रस्तावित संबलपुर मंडल में दक्षिण पूर्व रेलवे के झारसगुडा-बालंगीर, बालंगीर, टिटलागढ़, टिटलागढ़-रायगण्डा और टिटलागढ़-रामपुर खण्ड तथा संबलपुर तालचेर निर्माणाधीन नई लाइन खण्ड शामिल होगा ।

(घ) संबलपुर मण्डल के क्षेत्राधिकार में बोण्डामुण्डा से हेमगीर तक के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । लेकिन, यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

[हिन्दी]

ग्वालियर से कलकत्ता, केरल और गुजरात के लिए गाड़ियां चलाना

738. **श्री कम्मोदी लाल जादव :**
श्री मतिलाल हंसदा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्वालियर से कलकत्ता, केरल और गुजरात के लिए अप और डाउन गाडियों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्वालियर से कलकत्ता, केरल और गुजरात के लिए रेल सेवा कब तक शुरू जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ग्वालियर 2 जोड़ी गाड़ियों द्वारा केरल से और एक थू सेवा यान से कलकत्ता से जुड़ा है ।

(ख) और (ग) फिलहाल उल्लेख किए गए अन्य गन्तव्यों तक सीधी गाड़िया चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

[अनुवाद]

आयातित टिन की चादर का वितरण

739. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी टिन प्लेटों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, भारत सरकार हर वर्ष भारत में कंटेनर संसाधन उद्योग की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए टिन प्लेटों के आयात की अनुमति देती है;

(ख) क्या इन आयातित टिन की चादरों के वितरण के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन आयतित टिन प्लेटों के वितरण के लिए कौन-सी पद्धति अपनाई जाती है; और

(घ) क्या उन्हें विभिन्न उद्योगों को तदर्थ आधार पर आवंटित किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) टिन प्लेट का आयात वर्षानुवर्ष किया जाता है क्योंकि इसकी देशी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

(ख) टिन प्लेट के आयात की अनुमति, सरकार की आयात निर्यात सम्बन्धी नीति के उपबंधों के अनुसार दी जाती है।

(ग) टिन प्लेट का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत किया जाता है, जो इस प्रकार के सभी मामलों को विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात को भेजता है। विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात, देशीय उपलब्धता, पिछली खपत और प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिशों जैसे कारणों को ध्यान में रखकर आयात-आवेदनों को निपटाता है। आयात-निर्यात नीति के पुनःपूर्ति तथा अग्रिम लाइसेंस उपलब्धों के अन्तर्गत सीधा आयात अनुमत्य है।

(घ) जी नहीं।

"इन्टरफेरन का आयात/उत्पादन

740. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए "जेनेटिक ट्रल्स" के माध्यम से "इन्टरफेरन" का उत्पादन किए जाने के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया गया है;

(ख) क्या देश में किसी बीमारी की रोकथाम के लिए किसी "इन्टरफेरन" का कभी आयात किया गया है; और

(ग) विश्व में "इन्टरफेरन" के अनुसंधान और विकास कार्य की स्थिति क्या है तथा इस क्षेत्र में भारत का कौन-सा स्थान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत में इन्टरफेरोन के उत्पादन में कोई अनुसंधान और विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) किसी भी रोग बीमारी का मुकाबला करने के लिए देश में इन्टरफेरोन का आयात नहीं किया गया।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूमन इन्टरफेरोन जीन क्लोन कर दिया गया है।

एर्नाकुलम कायकुलम रेलवे लाइन

741. प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम-कायकुलम रेलवे लाइन के लिए अब तक कुल कितनी धन राशि मंजूर की है गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस रेलवे लाइन के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 44.24 करोड़ रुपए।

(ख) जून, 87 तक 31.91 करोड़ रुपए।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) इसकी लम्बाई 100 कि० मी० है और अब इस पर 73.50 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में गिरावट

742. श्री भद्रेश्वर तांती :
डा० वी० वेंकटेश :
श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 जून, 1987 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "दि डेली ट्रेवेल्स आफ पीपल ट्रेवलिंग बाई डी० टी० सी० बसिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उनको इस महानगर के हजारों दैनिक यात्रियों की समस्याओं की जानकारी है जिन्हें परिवहन के लिए दिल्ली परिवहन निगम पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण में बहुत अधिक गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) दिल्ली परिवहन निगम में अनुशासन और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सतत आधार पर उपाए किए जाते हैं। किए जा रहे उपायों में कुछ उपाय ये हैं—पुरानी बसों को बदलना, डिपुओं और टर्मिनलों जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न निष्पादन मानदण्डों

के लिए मानक और लक्ष्य निर्धारित करना, चालक दल का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, चालक दल के व्यवहार की जांच करने के लिए मोबाइल स्क्वाड्स, बेड़े की तुरन्त मरम्मत और रख-रखाव, स्टाफ कल्याण संबंधी उपाय आदि।

लाला रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल की वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय करना

743. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धन और उपकरणों की कमी के कारण लाला रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल, दिल्ली की वर्तमान स्थिति की जानकारी है और जो पूर्णतः बन्द हो जाने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनके कारण इस प्रकार अस्पताल की यह स्थिति हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाला रामसरूप क्षयरोग अस्पताल को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। लाला रामसरूप क्षयरोग अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली टी० बी० एसोसिएशन आफ इण्डिया के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है। भारत सरकार इस अस्पताल के रख-रखाव के लिए टी० बी० एसोसिएशन आफ इण्डिया को वार्षिक अनुदान देती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए हैं :

वर्ष	लाख रुपए
1984-85	16.66
1985-86	19.50
1986-87	22.50

इस अस्पताल द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को हटाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक इस अस्पताल के रख-रखाव के लिए टी० बी० एसोसिएशन आफ इंडिया को 22 लाख रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं।

रेल गाड़ियों में और अधिक सवारी डिब्बे लगाना

744. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय रेल गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने और दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण, टेलीफोन सुविधाओं में सुधार लाने हेतु कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 91/92 प्रयागराज और 119/120 गोमती एक्सप्रेस के भार में परीक्षण के तौर पर हाल में क्रमशः 5 सवारी डिब्बों और एक सवारी डिब्बे की वृद्धि की गई है। अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार गाड़ियों के भार में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। इसके साथ-साथ, दिल्ली क्षेत्र में गाड़ी आरक्षणों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

25 लाइनों वाली एक इन्टर काम प्रणाली की व्यवस्था करके दिल्ली स्टेशन पर टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। इससे आम जनता को परिचालन के सम्बन्ध में दी जाने वाली सूचना शीघ्र और समय पर मिल सकेगी। केवल आरक्षण सम्बन्धी पूछताछ के लिए नयी दिल्ली के भारतीय रेल सम्मेलन आरक्षण काम्पलेक्स में, डाकतार विभाग की 5 लाइनों पर स्वचलन पूछताछ सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। इससे आम जनता का आरक्षण पूछताछ टर्मिनलों से सम्पर्क तत्काल सुलभ हो जायेगा।

विश्वविद्यालयों के विवादों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण

745. **श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए कोई पृथक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विश्वविद्यालयों में विवादों के शीघ्र निपटान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) न्याय प्रशासन की पद्धति के विकेन्द्रीयकरण के अपने प्रयासों के भाग के रूप में विधि आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कार्य दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज के अनुसार जब प्रस्तावित न्यायाधिकरण स्थापित हो जाएगा तो यह ऐसे कारणों; वाद-विवादों तथा झगड़ों को देखेगा, जिसमें सरकार विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक और छात्र शामिल हैं।

विधि आयोग ने मार्च 1987 में सम्बन्धित एजेंसियों को उनके विचार जानने के लिए यह दस्तावेज परिचालित किया था। विधि आयोग द्वारा उपर्युक्त विषय पर अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं की गई है।

डेविस कप में भारत-इसराईल खेल

746. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खिलाड़ियों को डेविस कप टूर्नामेंट में इसरायली खिलाड़ियों के साथ खेलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस पर अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) डेविस कप टूर्नामेंट के शासी नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य दायित्व को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने इजराईल के साथ खेलने का निर्णय लिया था। एसोसिएशन ने निष्पक्ष स्थान पर मैच खेलने की सम्भावनाओं की छान-बीन की थी परन्तु ऐसा सम्भव न होने हर उन्होंने भारत में मैच खेलने को चुना था। चूंकि यह खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यकलाप को बढ़ावा देने से संबंधित अनिवार्य दायित्व था, इसलिए भारत सरकार ने इजरायली खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को वीजा देने की मंजूरी दी थी ताकि मैच हो सकें। भारत की अरब देशों और पेलेस्टीनियन समस्या के प्रति वचनबद्धता के समर्थन की संगत नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और किसी भी तरह से निर्णय से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत की स्थिति अरब और कुछ अन्य सम्बन्धित सरकारों को स्पष्ट की गई थी। इनमें से कुछ ने निर्णय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी थी। तथापि, यह सरकार की धारणा है कि कईयों ने निर्णय के तर्क को ठीक समझा है।

असम में बाढ़ नियन्त्रण उपाय

747. **श्री पराग चालिहा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम राज्य सरकार और संसद सदस्यों से भी 1986 के प्रारम्भ से ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत तात्कालिक और विशेष उपायों सहित असम राज्य में बाढ़ से बचाव और बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न उपाय करने के लिए शीघ्र धन की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों सहित ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के प्रति सातवीं योजना में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके प्रति, मार्च, 1987 तक राज्य सरकार को 28.50 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इस प्रयोजन के लिए 1987-88 के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें से हाल ही में 5.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं की प्रगति

748. श्री जो० एस० कसवराजू :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अप्रैल में स्वीकृत की गई नर्मदा सागर और सरदार सरोवर दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के उत्पादन से कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं से लगभग 5.5 मिलियन टन कृषि उत्पादन की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) परियोजनाओं की पूरा करना योजनाओं में उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

नवोदय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

749. श्री शांताराम नाईक क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नवोदय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन के बारे कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनके कार्य-निष्पादन से सन्तुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो त्रुटियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) नवोदय विद्यालय योजना को कार्यान्वित करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति नामक स्वायत्त संगठन 28 फरवरी, 1986 को स्थापित किया गया था। पहले नवोदय विद्यालय वर्ष 1986 में स्थापित किए गए थे। यह हाल ही में तैयार की गई योजना है अत: इसका पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। योजना के कार्यान्वयन की जांच सामान्य सरकारी मानिटरिंग तंत्र के माध्यम से और समिति की कार्यकारी समिति के माध्यम से की जाती है।

कुल मिलाकर योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से सरकार संतुष्ट है। फिर भी समिति ने आरम्भ से ही कार्य शुरू किया है और इसलिए यह भौतिक और प्रबन्ध सम्बन्धी अवस्थापना का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार, यह शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर रही है और स्कूलों में उनका पर्यवेक्षण कर रही है; इन क्षेत्रों की कमियों को निकट भविष्य में समाप्त किये जाने की आशा है।

मणिपुर की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

750. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में चालू परियोजनाओं केन्द्र की देखरेख में तथा राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की क्या प्रगति है और केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं के लिए परियोजनावार कितनी धनराशि मंजूर की गई है और ये परियोजनाएं कितनी अवधि में चालू हो जाएंगी तथा इससे क्या लाभ होंगे;

(ख) क्या केन्द्र जल पूर्ति, सिंचाई पनबिजली के लिए नई परियोजनाओं के बनाने में मणिपुर राज्य की सहायता कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना निम्नवत है

परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत करोड़ रुपए में	3/87 तक प्रत्याशित व्यय करोड़ रुपए में	लाभ हजार हेक्टे० में	पूरा होने का लक्ष्य
केन्द्र द्वारा मानीटर				
1. थोबल बांध	80.00	20.92	34.00	3/94
2. खुगा	34.00	8.26	15.00	3/91
अन्य				
1. सिंगदा बांध	12.70	9.67	4.00	सातवीं योजना
2. लोकतक लिफ्ट सिंचाई	27.37	24.50	40.00	सातवीं योजना
3. खोपुम बांध	[2.98	3.05	1.00	सातवीं योजना
4. इम्फाल बराज	6.34	5.65	6.40	सातवीं योजना
5. सेकमई बराज	8.40	7.58	8 50	सातवीं योजना

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कदम

751. श्री पी० नामग्याल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व का 5 अरबवां बच्चा 11 जुलाई, 1987 को यूगोस्लाविया शहर में जन्मा था;

(ख) 11 जुलाई, 1987 को भारत की कुल जनसंख्या क्या थी; और

(ग) भारत सरकार देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाने की योजना तैयार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि विश्व का 500 करोड़वां बच्चा 11 जुलाई, 1987 को यूगोस्लाविया के एक शहर में पैदा हुआ है। संभवतः यह तथ्यात्मक होने की अपेक्षा प्रतीकात्मक अधिक है।

(ख) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई जनसंख्या संबंधी विशेषज्ञ समिति के मध्य अनुमानों के आधार पर जुलाई, 1987 में भारत की जनसंख्या लगभग 78.18 करोड़ के आस-पास है।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रही है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है : उन्नत संचार माध्यमों के जरिये गर्भ-निरोधकों की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करना तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, जनसंख्या शिक्षा तेज करना, बच्चे के जीवित रहने की दर में वृद्धि करना और कार्यक्रम ढांचे का पुनर्गठन करना तथा इसके प्रबन्ध में सुधार करना।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

752. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल्यूमिनियम का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन होता है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होती है;

(ख) प्रति व्यक्ति उत्पादन निष्पादन कितना है और अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है; और

(ग) इसमें यदि कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत में वर्ष 1986 के दौरान प्राथमिक एल्यूमिनियम का उत्पादन 2,57,096 टन था, जिसका कारखाना-बाह्य मूल्य लगभग 502 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) यह जानकारी कदाचित भारत तथा अन्य देशों में एल्यूमिनियम के घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति की खपत के बारे में मांगी गई है। पक्की जानकारी तो सुलभ नहीं है, परन्तु कुछ देशों में अनुमानित उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत इस प्रकार होने की सूचना है :

	उत्पादन (1985) हजार टन	प्रति व्यक्ति खपत
संयुक्त राज्य अमरीका	3514	27 कि० ग्रा०
जापान	227	18 कि० ग्रा०
फ्रांस	293	12 कि० ग्रा०
ब्रिटेन	275	11 कि० ग्रा०
दक्षिण कोरिया	18	3.9 कि० ग्रा०
ब्राजील	550	2.1 कि० ग्रा०
भारत	266	0.4 कि० ग्रा०
पाकिस्तान	—	0.3 कि० ग्रा०
इंडोनेशिया	217	0.2 कि० ग्रा०

किसी देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन उसके स्रोतों की स्थिति पर आधारित स्थापित क्षमता पर निर्भर होता है; जबकि प्रति व्यक्ति खपत अधिकांशतः उसके आर्थिक विकास और प्रौद्योगिक आवश्यकताओं के स्तर निर्भर होती है। सोवियत संघ के बारे में जानकारी सुलभ नहीं है।

लातूर से कुरुडवाडी तक वर्तमान रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और लातूर तथा लातूर रोड के बीच नई लाइन बिछाना

753. **श्री अरविन्द टी० काम्बले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर से कुरुडवाडी तक वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और लातूर तथा लातूर रोड के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जायेगा; और

(ग) क्या प्रस्तावित नई रेल लाइन उस्मानबाद से होकर गुजरेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर खर्च की गई धनराशि

754. **श्री रामभगत पासवान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में और विशेषकर दरभंगा जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) क्या कारण है कि बाढ़ नियंत्रण पर काफी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद बाढ़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सका ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में बाढ़ नियंत्रण, जल-निकास, समुद्र-कटावरोधी तथा जल-जमाव कार्यों पर हुआ व्यय निम्नवत् है :—

वर्ष	करोड़ रुपए में
(1) 1984-85	21.99
(2) 1985-86	39.41
(3) 1986-87	35.00 (प्रत्याशित)

जिलावार आंकड़े केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) बाढ़ को कम तो किया जा सकता है परन्तु सभी मामलों में पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता । बिहार में कुल लगभग 42.6 लाख हेक्टेयर बाढ़-प्रवण क्षेत्र में से, मार्च, 1986 के अन्त तक लगभग 28.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर दी गई है तथा वर्ष 1986-87 के दौरान सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रत्याशित क्षेत्र 0.2 लाख हेक्टेयर है ।

[अनुवाद]

मंगला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलित डिब्बा जोड़ना

755. **श्री के० मोहनदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और निजामुद्दीन के बीच चलने वाली मंगला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में एक और वातानुकूलित डिब्बा जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े पत्तनों में भीड़भाड़

756. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बड़े पत्तनों में भीड़भाड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बड़े पत्तनों में भीड़भाड़ समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) बंबई को छोड़कर महापत्तनों में भीड़भाड़ नहीं है। बंबई में हाल ही में स्टेविडोरों द्वारा नियुक्त गीयरमेन, गीयर वाचमेन, कार्पेन्टरों द्वारा 16 जुलाई, 1987 की दूसरी शिफ्ट से हड़ताल करने के कारण माल के चढ़ाने और उतारने पर असर पड़ा है। विवाद को मध्यस्थता के लिए ले जाया गया है और भारत सरकार की मध्यस्थता मशीनरी के माध्यम से विवाद का हल ढूंढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान में रेल लाइनें बिछाना

757. श्री शांति धारीवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनें बिछाने के लिए राजस्थान में कितने सर्वेक्षण किए गए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप क्या सिफारिशें की गयीं;

(ग) रेल लाइनें बिछाने के लिए कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विगत 15 वर्षों के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित नयी रेल लाइनों के सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं :

1. अलवर-मथुरा
2. कोटा-नीमच
3. जामसर-छतरगढ़
4. बिलाड़ा-बर
5. (i) शिवगढ़ के रास्ते रतलाम-बांसवाड़ा का डूंगरपुर तक संभावित विस्तार सहित।
   (ii) सैलाना के रास्ते रतलाम-बांसवाड़ा।
6. नाथद्वारा-फालना
7. पुष्कर के रास्ते अजमेर-मेड़ता रोड
8. सवाई माधोपुर-टोंक।

(ख) से (घ) मथुरा-अलवर और कोटा-नीमच नयी लाइनें अनुमोदित कर दी गयी हैं और ये निर्माणाधीन हैं। शेष नयी लाइनें वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय तंगियों के कारण, शेष लाइनों का निर्माण शुरू करना संभव नहीं है।

रेल फाटकों (लेवल क्रासिंग) पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए नए उपकरण

758. डा० वी० एल० शैलेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर बड़ी संख्या में हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, रेल विभाग इन फाटकों पर रेलगाड़ी आने की स्वतः चेतावनी देने वाले उपकरण लगाने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग के विचाराधीन अन्य उपकरणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नए उपकरणों के रेलगाड़ी चलाकर कोई परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) इनके कब लगाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। चौकीदार वाले समपारों पर रेलगाड़ी आने की स्वतः चेतावनी देने वाले उपकरण पहले से ही मौजूद हैं। ये उपकरण लगभग 400 मीटर लम्बी/ट्रिडिल शार्ट ट्रैक सर्किटों के जरिए कार्य करते हैं और इनके लिए भूगत केबुलों की जरूरत होती है।

(ख) 31-3-86 तक 320 व्यक्त समपारों पर रेलगाड़ी आने की स्वतः चेतावनी देने वाले उपकरणों की व्यवस्था कर दी गयी है। मैसर्स सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा बेतार पर आधारित एक नया लागत सार्थक उपकरण विकसित किया गया है। इसके लिए केबुलों की जरूरत नहीं होती है।

(ग) उत्तर रेलवे के बादली तथा मारीपत स्टेशनों के निकट समपार फाटकों पर इस नए उपकरण का परीक्षण किया जाना है। परीक्षण शीघ्र शुरू किये जाने की आशा है।

(घ) परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने के बाद नए उपकरण लगाने पर विचार किया जायेगा।

औषधियों के लिए राज्यों को सहायता

759. **श्री अनिल बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को औषधियों के लिए जिस के रूप में अथवा नकद सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार दी गई राज्य-वार सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में निगमित क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव

760. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम में निगमित क्षेत्र को शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार निगमित क्षेत्र को अपने परिवार कल्याण कार्यकलापों में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। देश की अनेक प्रमुख इकाइयों ने परिवार कल्याण कार्यकलापों को अपने एक सम्मिलित उद्देश्य के रूप में पहले ही शुरू कर दिया है। सरकार ने एफ० आई० सी० सी० आई, पी० एच० डी० सी० सी० आई, ई० एफ० आई०, ए० आई० सी० ई० आदि जैसे औद्योगिक ग्रहों के शीर्षस्थ संगठनों को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किया है। भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संघ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप संबंधी निधि की सहायता से निगमित क्षेत्र में कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं ताकि सदस्यों को छोटे परिवार का आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में लगी 11 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उनके विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रचलित गर्भ निरोधकों का विक्रय करने के लिए सरकार के सामाजिक विपणन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के तरीकों के प्रयोग में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में गर्भ निरोधकों के कवरेज को बढ़ाना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में निगमित क्षेत्र को शामिल करने के लिए देश भर में कई बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। परिवार कल्याण की नीतियों और दृष्टिकोण के संबंध में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से हाल ही में परिवार कल्याण नियोजन संबंधी एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है जिसमें सरकार के, नियोक्ता संघों के और मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

कैंसर अनुसंधान केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता

761. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कैंसर अनुसंधान केन्द्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंसर अनुसंधान केन्द्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	1984-85	1985-86 (रुपए लाखों में)	1986-87
1	2	3	4
1. कैंसर संस्थान मद्रास	35.00	36.00	25.00
2. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता	29.00	38.65	20.00

1	2	3	4
3. गुजरात कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	44.87	25.00	20.00
4. रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	30.50	29.00	25.00
5. किदवाई मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आनूकोलाजी, बंगलौर	35.00	25.00	20.00
6. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक	4.00	15.00	15.00
7. कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	11.90	15.00	12.00
8. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	30.00	25.00	25.00
9. डा० बी० बी० कैंसर संस्थान गौहाटी	12.50	15.00	15.00
योग	232.17.	223.65	170.00

तालचेरसम्बलपुर रेल लाइन

762. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन बिछाने के लिए अतिरिक्त धन का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस लाइन के बिछाने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लाइन के बिछाने का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 2 करोड़ रुपये।

(ग) जून, 1987 तक 8 प्रतिशत।

(घ) इस निर्माण का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों के प्रस्तावों का स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े रहना

763. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों संबंधी अनेक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी मूल निर्माण कार्यों के ग्यारह अनुमानों पर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का संयंत्र-वार लाभ/हानि का लेखा

764. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का संयंत्र-वार लाभ/हानि का लेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : एक विवरण नीचे दिया गया है गया है जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान, "सेल" के इस्पात कारखानों को हुए लाभ/हानि को दर्शाया गया है :—

कारखाने	लाभ (+) /हानि (—) 1983-84	1984-85	(करोड़ रु०) 1985-86
भिलाई इस्पात कारखाना	(—) 2.83	(+) 49.28	(+) 64.38
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 63.73	(—) 53.36	(—) 26.52
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—) 100.32	(+) 27.10	(+) 33.62
बोकारो इस्पात कारखाना	(—) 0.55	(+) 11.47	(+) 112.93
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 33.75	(—) 30.62	(—) 28.30
सेलम इस्पात कारखाना	(—) 18.02	(+) 0.53	(+) 2.92
अन्य इकाइयां	(+) 3.63	(—) 0.76	(—) 0.03
कुल "सेल"	(—) 214.53	(+) 4.24	(+) 159.00
"इस्को"	(—) 24.06	(—) 81.60	(—) 60.99

वर्ष 1986-87 के संबंध में कारखाना-वार लाभदायकता की जानकारी, लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जाने/लेखा परीक्षा होने के बाद मिलेगी।

वर्ष 1987-88 के दौरान अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए धन का नियतन

765. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 की वार्षिक योजना में केंद्रीय/केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रक के लिए केन्द्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित दोनों प्रकार की स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 198 -88 में किए गए आबंटन तथा तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रु० में)

I. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल जल परिवहन निगम की स्कीमें			
(क) 63 जहाजों की खरीद	—	15.00	
(ख) राजाबागान डाकयार्ड का आधुनिकीकरण	—	5.00	20.00
II. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्कीमें			
(क) राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास	—	5.50	
(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्यमों को ब्याज सबसिडी का अनुदान	—	0.50	9.04
(ग) तकनीकी अध्ययन	—	0.04	
(घ) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	—	1.50	
(ङ) प्रमुख जयमार्गों का हाइड्रो-ग्राफिक सर्वेक्षण	—	0.50	
(च) सर्वेक्षण लांचों की खरीद	—	1.00	
III. अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित स्कीमों का अनुसंधान एवं विकास	—	0.5	0.5
IV. विभिन्न राज्यों में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए केन्द्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें			
असम			
(केन्द्रीय स्कीम)			
करीमगंज में टर्मिनल सुविधाएं	—	1.50	
(केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें)			1.60
पांडू में स्लिपवे का निर्माण	—	0.10	

आंध्र प्रदेश			
वकिंघम नहर, कोमामूर नहर, एलुस नहर और काकीनाडा नहर का सुधार	—	0.20	
बिहार			
गण्डक/कोसी जल-राशिक सर्वेक्षण एवं तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	—	0.10	
गोवा			
मांडवी, जुआरी एवं मापुसा नदियों में नौगमन प्रसाधनों एवं कैपिटल ड्रेजिंग की व्यवस्था	—	0.21	
केरल			
उद्योग मंडल नहर का सुधार	—	0.15	
ड्रेजर एवं वाटर हाइसिंथ हारवैस्टर का प्रबंध	—	0.20	0.60
चंपाकारा नहर चरण-II का सुधार	—	0.25	
तमिलनाडु			
वकिंघम नहर का सुधार			0.10
उत्तर प्रदेश			
गंगा के फीडर मार्गों के लिए जल-राशिक सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन	—		0.08
पश्चिम बंगाल			
हुगली में फैरी सेवाओं के लिए टर्मिनल का निर्माण	—		0.02
सफल योग :			32.00

इलाहाबाद डिवीजन में खागा, मनोरी, सिराथू तथा भरवारी स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का रुकना जारी रखना

766. डा० बी० एल० शैलेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने सीधे जाने वाले यात्रियों की मांग पर रेल-गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए इलाहाबाद डिवीजन में खागा, मनौरी, सिराथू तथा भरवारी रेलवे स्टेशनों पर चार प्रमुख रेलगाड़ियों का रोकना बंद कर दिया है, और जिसके फलस्वरूप इन स्टेशनों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी असुविधा हो गई है;

(ख) क्या उन्हें और रेल प्रशासन को अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इन प्रभावित लोगों को, जिन्हें रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने से परेशानी हुई है, अपेक्षित राहत देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगी और शीघ्र राहत देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन स्टेशनों पर उन गाड़ियों का रुकना जारी रखेगी जिनका रुकना बन्द कर दिया गया था ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से संगम और अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस गाड़ियों के खागा, भरवारी और सिराथू, संगम एक्सप्रेस का मनौरी में और एन० ई० एक्सप्रेस के खागा, मनौरी और भरवारी में ठहराव समाप्त कर दिये गये थे।

(ख) और (ग) समीक्षा करने के बाद, रेलों का 7/8 तुफान एक्सप्रेस और 164 संगम एक्सप्रेस को 1-10-87 से भरवारी और सिराथू स्टेशनों पर ठहराव की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। खागा और मनौरी स्टेशनों पर अन्य गाड़ियों को ठहराव देने का औचित्य नहीं है।

देश में एक समान स्वास्थ्य सेवायें

767. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने लक्ष्य के अनुसार दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने में बहुत कम प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या देश में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को सक्रिय बनाने और सभी को एक समान स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सातवीं योजना के पहले दो वर्षों (1985-87) के दौरान 576 दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) के खोलने के लक्ष्य के मुकाबले 310 दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोले गए हैं जो लगभग 53.8 प्रतिशत बैठता है। तथापि सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्य तथा खोले गए उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति संलग्न विवरण-I में देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में छठी योजना से आगे दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने पर अधिक बल दिया गया है जिसका उद्देश्य 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत-ढांचे पर अधिक बल दिया जाएगा तथा जनसंख्या मानदंड को उदार बनाया जाएगा जैसाकि नीचे दिया गया है—

1. प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध करने की योजना।
2. साधारणतया प्रत्येक 5,000 आबादी और आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक 3000 आबादी के लिए एक उपकेन्द्र उपलब्ध करने की योजना, जिसमें एक पुरुष और एक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होंगे।
3. मौजूदा ग्रामीण औषधालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाना और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना ताकि अन्ततः साधारणतः प्रत्येक 30,000 ग्रामीण आबादी और आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में प्रत्येक 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो सके।
4. प्रत्येक एक लाख ग्रामीण आबादी के लिए चरणबद्ध ढंग से खोले जाने वाले दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारिक विशेषज्ञताओं में उपचार की सुविधाएं जुटाना। ये केन्द्र चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रेफरल संस्था के रूप में कार्य करेंगे।
5. एक समन्वित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अन्य योजनाएं बनाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, रोग प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण सेवाएं, मलेरिया, दृष्टिहीनता, क्षय रोग, कुष्ठ और दूसरे संचारी रोगों का नियंत्रण, विटामिन "ए" की कमी और रक्ताल्पता से बचाव, स्वास्थ्य शिक्षा और रोगी परिचर्या शामिल है।

आशा है कि सातवीं योजना के दौरान अपेक्षित संख्या में उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 50 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल लिए जाएंगे।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिव्यय का प्रमुख भाग उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। सातवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के राज्यवार परिव्यय की एक प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

सातवीं योजना के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने में हुई प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना के लक्ष्य 1985-90	1985-87 के लक्ष्य	1985-87 के दौरान उपलब्धि	1985-87 के दौरान उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	100	38	—	—

1	2	3	4	5
2. असम	30	12	19	158
3. बिहार	97	25	24	96
4. गुजरात	100	35	53	151
5. हरियाणा	50	20	19	95
6. हिमाचल प्रदेश	7	2	3	150
7. जम्मू व कश्मीर	15	6	—	
8. कर्नाटक	86	15	30	200
9. मध्य प्रदेश	100	20	—	—
10. केरल	100	25	शून्य	—
11. महाराष्ट्र	78	95	1	1
12. मणिपुर	10	7	शून्य	—
13. मेघालय	8	4	1	25
14. नागालैंड	6	1	2	200
15. उड़ीसा	92	35	11	31
16. पंजाब	56	22	12	80
17. राजस्थान	25	15	10	66
18. सिक्किम	4	1	शून्य	—
19. तमिलनाडु	120	27	40*	148
20. त्रिपुरा	7	5	1	20
21. उत्तर प्रदेश	259	108	60*	55
22. पश्चिम बंगाल	184	50	21	42
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	1	शून्य	—
24. अरुणाचल प्रदेश	7	3	2	66
25. चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	—
26. दादरा नगर हवेली	2	शून्य	शून्य	—

1	2	3	4	5
27. दिल्ली	—	शून्य	शून्य	—
28. गोआ दमन व दीव	2	1	शून्य	—
30. लक्षद्वीप	—	शून्य	शून्य	—
31. मिजोरम	4	2	शून्य	—
31. पांडिचेरी	1	1	1	100
कुल	1553	576	310	53.8 प्रति०

1 अरुणाचल प्रदेश राज्य में दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पैटर्न नहीं है।

* सूचना मासिक प्रगति रिपोर्ट मार्च, 1987 पर आधारित है।

* यह सूचना 25 मई, 1988 को राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के हुए सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

दिनांक 28-7-87

(आंकड़े अनन्तिम)

विवरण-II

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार परिव्यय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय (रुपये लाखों में)
1 2	3
1. आंध्र प्रदेश	6739
2. असम	2848
3. बिहार	6000
4. गुजरात	4000
5. हरियाणा	3546
6. हिमाचल प्रदेश	1003
7. जम्मू व कश्मीर	2407
8. कर्नाटक	5000

1	2	3
9.	केरल	2400
10.	मध्य प्रदेश	7500
11.	महाराष्ट्र	19517
12.	मणिपुर	600
13.	मेघालय	700
14.	मिजोरम	675
15.	नागालैंड	450
16.	उड़ीसा	1700
17.	पंजाब	4000
18.	राजस्थान	3400
19.	सिक्किम	200
20.	तमिलनाडु	5000
21.	त्रिपुरा	500
22.	उत्तर प्रदेश	20000
23.	पश्चिम बंगाल	6800
24.	अरुणाचल प्रदेश	695
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	222
26.	चंडीगढ़	115
27.	दादरा व नागर हवेली	55
28.	दिल्ली	—
29.	गोआ दमन व दीव	132
30.	लक्षद्वीप	46
31.	पांडिचेरी	84
	योग	106335

रद्द की गई रेलगाड़ियों को पुनः चलाया जाना

768. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1986 से जोनवार कितनी यात्री रेल गाड़ियां पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द की गई हैं और उन्हें अभी तक पूर्णतः पुनः चालू नहीं किया है; और

(ख) उन्हें कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलों पर प्रत्येक में एक-एक, मध्य रेलवे पर 2, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 3, उत्तर रेलवे पर 15 और पश्चिम रेलवे पर 27 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी हैं।

(ख) गाड़ी सेवाएं पानी की कमी, रेल पथ पर दरारें, आन्दोलनों, परिचालनिक कारणों और यातायात कम होने आदि के कारण रद्द की गई हैं। इसकी निरंतर समीक्षा की जाती हैं और जैसे ही स्थिति में सुधार हो जायेगा, अपेक्षित सेवाएं पुनः चालू कर दी जायेंगी।

रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा

769. **डा० ए० के० पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में और प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में हुई विभिन्न रेल दुर्घटनाओं में जोनवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) प्रत्येक जोन में कितने मामलों में मुआवजे के दावों को निपटाने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय और मुआवजे का भुगतान किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है ताकि पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को पूर्व-निर्धारित समय में मुआवजा मिल सके और उन्हें इस संबंध में को परेशानी न हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसी विधवा को अपने पति की मृत्यु का मुआवजा प्राप्त करने में औसतन कितना समय लगता है और उसे कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जोन	1984-85		1985-86		1986-87		1988-88	
	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
मध्य	31	198	48	72	3	26	—	7
पूर्व	22	96	13	81	75	87	—	7
उत्तर	37	91	50	136	23	67	5	28
पूर्वोत्तर	51	109	20	75	28	57	2	3
पूर्वोत्तर सीमा	5	94	30	92	32	127	1	30
दक्षिण	8	5	5	20	30	162	—	3
दक्षिण मध्य	5	20	9	58	24	83	3	—
दक्षिण पूर्व	166	205	13	60	15	24	2	4
पश्चिम	31	42	26	87	37	142	—	1

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) न्यायालय संबंधी पूर्ण कार्यवाहियां पूरी कर लेने के पश्चात पदेन/तदर्थ दावा आयुक्तों द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं से प्रोद्भूत क्षतिपूर्ति दावों से सम्बद्ध मामले निपटाये जाते हैं और राज्य सरकार के इन न्यायिक अधिकारियों के ऊपर रेलों का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, रेलें दावों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से दावा आयुक्तों पर बल देने का अनुरोध करती रही हैं।

(ङ) रेलें इस संबंध में कोई सूचना नहीं रखती हैं।

सभी के लिए शिक्षा

770. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए शिक्षा के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यह लक्ष्य प्राप्त करने में नई शिक्षा नीति कहां तक सहायक होगी; और

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात में, इसके लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसर और समानता को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 1995 तक नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप्रेशन ब्लैक बोर्ड तथा अनौपचारिक शिक्षा के एक उन्नत कार्यक्रम सहित अनेक उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू करने का निर्णय किया गया है जिसका उद्देश्य 1990 तक 15-35 आयु-वर्ग में 3 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों और 1995 तक 5 करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को शामिल करना है।

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 16% अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। अभी-अभी शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रमुख ध्यान विशेष रूप से महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होगा। इस उद्देश्य के लिए, जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत गुजरात को अनुदान भी मुक्त किए गए हैं। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले खण्डों का चयन करते समय शैक्षिक रूप से वंचित खण्डों को प्राथमिकता दी जानी है जहां अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य है। गुजरात में कार्यान्वित की जा रही है, जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत अन्य योजनाओं में नए प्राथमिक स्कूल खोलना, एकल शिक्षक स्कूल का परिवर्तन, जनजातीय छात्रों के अभिभावकों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को वित्तीय सहायता, आवासीय स्कूलों का प्रावधान, उपचारी प्रशिक्षण, प्राथमिकता के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक केन्द्र तथा शिशु शिक्षा केन्द्र खोलना, आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय लोगों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं ; जैसे कि परीक्षा शुल्क, शिक्षा शुल्क में छूट, छात्रवृत्तियां, नि:शुल्क पुस्तकें तथा वस्त्र और आश्रम स्कूल तथा छात्रावास खोलना।

अधिक मेडीकल विश्वविद्यालयों की स्थापना

771. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने मेडीकल विश्वविद्यालय कार्यरत है और प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में और मेडिकल कालेजों की स्थापना करने के संबंध में भारी मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने इस प्रकार की मांग की है और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक, केवल आंध्र प्रदेश में।

(ख) और (ग) तमिलनाडु विधान सभा ने तमिलनाडु मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयक पहले ही पास कर दिया है और तमिलनाडु सरकार ने उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। भारत सरकार को अभी तक किसी अन्य राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

हिप्पियों में एड्स रोग

772. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिप्पी आमतौर से एड्स रोग से ग्रस्त होते हैं ;

(ख) क्या हिप्पियों को देश के भीतर प्रवेश की अनुमति देने से पहले उनकी जांच करने के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं ताकि यह भयावह रोग देश में न फैले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां। एड्स संक्रमण के लिए इन्जेक्शन से नशीली दवा लेने वालों को प्रमुख रूप से अधिक जोखिम वाला ग्रुप माना गया है।

(ख) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी विदेशियों को (मिशनों में काम करने वालों को छोड़कर) जिनमें हिप्पी और विदेशी छात्र भी शामिल हैं, जिनके एक वर्ष से अधिक समय तक भारत में रुकने की सम्भावना हो, यहां आने पर एड्स संबंधी परीक्षण कराना होगा। तथापि, ऐसे विदेशी छात्रों को जो पहले से ही भारत में हैं, दाखिले के समय एड्स परीक्षण नहीं कराना पड़ेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कला संकाय में स्नातकोत्तर सायंकालीन कक्षाएं

773. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने कला संकाय में स्नातकोत्तर की सायंकालीन कक्षाएं समाप्त कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सायंकालीन कक्षाए पुनः शुरू किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटेल पर रख दी जाएगी।

वी० पी० चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली में एम० डी० के छात्रों को रेजीडेंसी स्कीम के अन्तर्गत भुगतान किया जाना

774. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज, जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज में एम० डी० एम० एस० के मेडीकल छात्रों को रेजीडेंसी स्कीम के अन्तर्गत 2500 रुपये प्रतिमाह से अधिक का भुगतान किया जाता है जबकि वी० पी० चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली एम० डी० (जीव रसायन) के छात्र रेजीडेंसी स्कीम के अन्तर्गत कोई भी धनराशि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने और दिल्ली के सभी मेडिकल कालेजों के लिए एक समान नियम निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान में गैर-क्लीनिकल विषयों में रेजीडेंसी योजना आरम्भ करने की स्कीम स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली में गैर-क्लीनिक विषयों में रेजीडेंसी योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को आवंटन

775. **श्री मतिलाल हमदा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को किए जाने वाले आवंटन की धनराशि में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, नहीं।

अपता-रोहा मंगलौर कोंकण रेलवे लाइन

776. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल लाइन का रोहा से आगे विस्तार करने के लिए पश्चिम तट कोंकण रेलवे के अपता से मंगलौर तक सर्वेक्षण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कोंकण रेल लाइन का रोहा से आगे विस्तार करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : मंगलोर-ऊदीपी खंड की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। ऊदीपी-माडगांव और रतनागिरी-रोहा खंडों पर क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

(ख) सर्वेक्षण पूरा होने पर आगे की कार्रवाई के बारे में विचार किया जायेगा।

ताजमहल का धंसने से बचाव

777. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाचार पत्रों में विशेषज्ञों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार ताज महल धीरे-धीरे धंसता जा रहा है और प्रदूषित वातावरण से इसकी मूल चित्रकला प्रभावित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के सिंचाई बांधों में सुरक्षा व्यवस्था

778. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा के सिंचाई बांधों में सुरक्षा की व्यवस्था न होने के प्रति चिंता व्यक्त की है और यह चेतावनी दी है कि इससे अनुप्रवाह क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा ;

(ख) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों के एक दल ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं का दौरा भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा में बैंक से सहायता प्राप्त कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों पर विश्व बैंक के एक दल ने कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने एक बांध पुनरीक्षा पैनल गठित किया है जिसमें विशेषज्ञों का एक दल शामिल है। इस पैनल ने सभी मध्यम परियोजनाओं का दौरा किया है किन्तु यह नहीं बताया है कि बांध असुरक्षित हैं। तथापि, उन्होंने सुझाव दिया है कि जल विज्ञान का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। केन्द्रीय जल आयोग पुनरीक्षा मिशन ने भी यही सुझाव दिया है और अतिरिक्त

सुरक्षा उपाय के रूप में सलाह दी है कि कुछ पूर्ण बांधों को चालू मानसून मौसम में उनकी अधिकतम क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग के सुझावों/दिशा-निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

गोदावरी डेल्टा के सुधार के लिए राज्य सरकार को सहायता

779. **श्री जी० भूपति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोदावरी डेल्टा, जो पिछले वर्ष गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, के सुधार के लिए राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गोदावरी डेल्टा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्य में बाढ़ राहत कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने 132.37 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की थी।

[हिन्दी]

फैजाबाद रेलवे स्टेशन का विस्तार

780. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद रेलवे स्टेशन के विस्तार आदि के लिए बनाई गई योजनायें मंजूर कर ली गई हैं तथा आवश्यक धनराशि दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) योजना के प्रथम तथा दूसरे चरण में कौन से निर्माण कार्य सम्पन्न किए जायेंगे तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए योजनाओं से संबंधित कार्य के अब तक शुरू किए जाने के क्या हैं; और

(ङ) दोनों चरणों के कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) इस काम को चरणों में न करने का विनिश्चय किया गया है। प्रथम चरण में पूर्व की ओर 73 लाख रुपए की लागत से यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का काम, शंटिंग ग्रीवा का विस्तार आदि सहित शुरू किया गया है। चरण II के अनुमोदन के बारे में योजना और अनुमानों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद आगामी वर्षों में विचार किया जायेगा।

(घ) अब तक योजना और अनुमान को अन्तिम रूप देने जैसे प्रारंभिक कार्य किये जा रहे थे। अब कार्य को शुरू करने की योजना बनाई गई है।

(ङ) चरण-I का पूरा होना भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करेगा। अगले चरण को पूरा करने के बारे में उसके अनुमोदन के बाद विचार किया जायेगा।

लखनऊ जंक्शन पर साबरमती एक्सप्रेस के आने के स्टेशन में परिवर्तन

781. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद और अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लखनऊ जंक्शन पर उत्तर रेलवे के स्थान पर पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन पर परिवर्तित करने का क्या कारण है;

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय को यह जानकारी है अथवा यह ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि इस परिवर्तन के कारण यह रेलगाड़ी प्रतिदिन 5 से 6 घंटे तक विलम्ब से चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लखनऊ स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर रूट रिलें अन्तर्पाशन सुविधाओं की व्यवस्था करने के कारण साबरमती एक्सप्रेस की सम्हलाई का काम 4-5-1987 से लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर अन्तरित कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। बहरहाल, कई अवसरों पर अप्रत्याशित परिचालनिक आपदाओं के कारण यह गाड़ी अत्यधिक विलम्ब से चली थी।

(ग) इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

फैजाबाद होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में शायिका आरक्षण कोटा

782. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में फैजाबाद होकर गुजरने वाली 83 अप-84 डाउन 9 अप-10 डाउन तथा 51 अप-52 डाउन रेलगाड़ियों में वित्तीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित शयनयानों में फैजाबाद के लिए आरक्षित शायिकाओं के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) फैजाबाद स्टेशन के लिए इन गाड़ियों में आवंटित आरक्षण कोटे सामान्यत: मांग के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त है। अतएव इन्हें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फैजाबाद-इलाहाबाद रेल लाइन पर सिगनल संचार प्रणाली

783. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद-इलाहाबाद रेल लाइन पर सिगनल संचार प्रणाली का ठीक प्रबन्ध नहीं है और वह उस स्तर का नहीं है जो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अबाध रूप से आने जाने के लिए अपेक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने के लिए इस खंड पर उपलब्ध सिगनल प्रणाली पर्याप्त है। तथापि, फैजाबाद-सुल्तानपुर, चिलबिला खंड पर नियंत्रण कार्य-प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) फैजाबाद-सुल्तानपुर-चिलबिला खंड पर नियंत्रण कार्य प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

थोड़े से ठेकेदारों द्वारा पत्तनों पर माल उतारने-चढ़ाने के व्यवसाय पर एकाधिकार

784. श्री महेन्द्र सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध थोड़े से ठेकेदारों द्वारा विभिन्न पत्तनों पर माल उतारने-चढ़ाने के व्यवसाय पर एकाधिकार किए जाने, गोदी श्रमिकों का शोषण किए जाने तथा अन्य अवरोधक व्यवहार किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में पत्तनों पर स्टेविडोरों की संख्या स्थिर रही है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्टेविडोरिंग लाइसेंस उदारतापूर्वक जारी किए जाएं और इसकी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तथा सरल होनी चाहिए।

खान इंजीनियरों की कमी

785. श्री विष्णु मोदी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में खान इंजीनियरों की बहुत अधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों के राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) खनन इन्जीनियरों की कोई कमी नहीं है। तथापि, इसमें कुछ कमी है और अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में इस क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का बढ़ावा देने के लिए पहले से ही अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान केन्द्र खोलना

786. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनिमास)दिल्ली देश में अपनी तरह का एक मात्र संस्थान है;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे और अधिक अत्याधुनिक अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार कर रही है और यदि हां, तो वे कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार दक्षिण भारत के किसी राज्य में एक ऐसा यूनिट खोलने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) न्यूक्लीयर मेडिसिन एण्ड एसाइड साइंसिज संस्थान, दिल्ली देश में अपनी किस्म का एक ही संस्थान है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। वैसे, तमिलनाडु सरकार ने बर्नार्ड इंस्टिट्यूट आफ रेडियोलाजी एण्ड कैंसर मद्रास में एन० एम० आर० सुविधा स्थापित करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया है। संबंधित विभागों आदि का परामर्श लेते हुए एन० एम० आर० सुविधा स्थापित करने के लिए उक्त प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरगंज अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों की प्रतीक्षा सूची

787. **श्री राज कुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1987 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरगंज अस्पताल के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची में मरीजों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इलाज और आपरेशन के लिए मरीजों को लम्बी तारीखें दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ख) और (ग) उन सभी रोगियों जिनको आपात उपचार और आपरेशन करवाने की आवश्यकता होती है, को भर्ती किया जाता है, और उनका उपचार किया जाता है। वैसे जिन रोगियों को नेमी आपरेशन/इलेक्टिव सर्जरी करवाने की आवश्यकता होती है, उन्हें रोगी/शल्य चिकित्सक की सुविधानुसार तारीखें दी जाती हैं।

बाड़मेर-जोधपुर रेल लाइन के साथ-साथ पेड़ लगाना

788. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का वन विभाग के सहयोग से बाड़मेर जोधपुर रेल लाइन पर बाड़मेर और बालोतरा के बीच पेड़ लगाने का विचार है जिससे कि इस रेल लाइन पर रेलों के आने जाने में बाधक रेतीली आंधियों को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उठाए गए अथवा उठाये जा रहे इन कदमों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

789. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई विशेष सहायता देने का विचार है जैसा कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के लिए दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की विशेष सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय सेक्टर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को वित्त पोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जैसा कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के मामले में किया गया है । तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । केन्द्र वर्ष 1987-88 में परियोजना के भीतर सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए विशेष अनुदान के रूप में तथा परियोजना के पक्के जलमार्गों के लिए 10 करोड़ रुपए राज सहायता के रूप में प्रदान कर रहा है बशर्ते कि ऐसी सहायता के लिए सामान्य प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाये । यह वर्ष 1987-88 के लिए राज्य की वार्षिक योजना में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है ।

[हिन्दी]

बाड़मेर-आगरा फोर्ट रेलगाड़ी का देर से चलना

790. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के कौन-कौन से रेलवे जोन में रेलगाड़ियां निर्धारित समय के अनुसार नहीं चलती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जब से बाड़मेर आगरा फोर्ट रेलगाड़ी को हवा महल से जोड़ा गया है तब से वह न तो बाड़मेर समय पर पहुंचती है और न ही यहां से समय पर चलती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेलगाड़ी का निर्धारित समय के अनुसार चलना सुनिश्चित करने के क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सभी रेलवे जोनों पर, गाड़ियां सामान्यत: अपने निर्धारित समय पर चलती हैं, जिनकी स्थिति एक जोन से दूसरे जोन में, भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारतीय रेलों पर गाड़ियों के समय से चालन पर निरन्तर कड़ी निगाह भी रखी जाती है ।

बाड़मेर और बालोतरा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

791. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में बाड़मेर और बालोतरा रेलवे स्टेशन, वहां पर रेल व्यवस्था आरम्भ होने के समय से अब तक पुराने नमूने के ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टेशनों का सुधार करने और उनके आधुनिकीकरण की योजना तैयार करने का विचार है ताकि उन्हें नया रूप दिया जा सके और बढ़ते हुए यात्री तथा अन्य यातायात के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

[अनुवाद]

"एड्स" से संरक्षण के लिए कानूनी उपाय

792. **श्री जी० भूपति :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि जैसे विकसित देश "एड्स" पर नियंत्रण करने और जनता को इस रोग से प्रभावित होने से बचाने के लिए कानूनी उपाय लागू कर रहे हैं;

(ख) क्या भारत में इस प्रकार के कानूनी उपाय लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां, संबंधित प्राधिकरणों के साथ ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है।

उर्दू विश्वविद्यालय

793. **श्री जी० भूपति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि

(क) देश में उर्दू विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का और उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कहां ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) देश में इस प्रकार का कोई उर्दू विश्वविद्यालय नही है। सरकार के पास ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय नौवहन निगम के जहाजों का तस्करी के लिए प्रयोग

794. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणी :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के जहाजों को बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए प्रयोग किए जाने के बारे में जांच करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मामले की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति ने मौजूदा प्रणाली में कुछ कमियों का उल्लेख किया है और साथ ही भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने जहाजों से तस्करी रोकने के लिए पहले ही उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया है। सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की जांच की गई हैं और मौजूदा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[अनुवाद]

लन्दन से भारतीय कला-कृतियां प्राप्त करना

795. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री अनिल बसु :
डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन भारतीय कलाकृतियों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है जो दक्षिण लन्दन में एक सीमेंट कारखाने के समीप एक गोदाम में धूल मिट्टी और कालिख से खराब हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कला-कृतियों को ब्रिटेन से प्राप्त करने के लिए विगत काल में क्या प्रयास किये गये ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

796. श्री कृष्ण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के लागू करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कठिनाइयां आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है और उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 25-26 जून, 1987 की हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में, बोर्ड ने महसूस किया कि आने वाले महीनों में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए नीति का और अधिक उत्साह और दृढ़ता से कार्यान्वयन करना अपेक्षित होगा । यह बात सन्तोषजनक ढंग से नोट की गई कि केन्द्रीय सरकार ने व्यावहारिक रूप से सभी प्राथमिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिए थे और सभी राज्य सरकारों ने रा० शि० नीति का कार्यान्वयन गम्भीरता से करने के लिए आवश्यक तन्त्र का गठन कर लिया था ।

दिल्ली के शिक्षक संगठनों की संयुक्त परिषद द्वारा की गई मांग

797. श्री कृष्ण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शिक्षक संगठनों की संयुक्त परिषद ने 26 जून, 1987 को एक विशाल प्रदर्शन किया तथा प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्हें चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित वेतनमान दिये जाने की मांग की गई थी;

(ख) उनकी अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली अध्यापकों की संयुक्त परिषद ने प्रधानमंत्री को 26-6-1987 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) उनकी मांगों में चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अध्यापक के वेतनमानों में संशोधन, सभी वर्गों में सीनियर वेतनमान की व्यवस्था सहित आठ वर्षीय समयबद्ध प्रवरण ग्रेड, वेतन का 10 प्रतिशत तक चिकित्सा भत्ता और 10 वर्षीय सेवा के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति शामिल हैं।

(ग) स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बन्धित सरकारी निर्णय विचाराधीन हैं और उस पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है।

शान्तिनिकेतन में चित्रों का क्षतिग्रस्त होना

798. श्री सत्य गोपाल मिश्र :
श्री सुधीर राय :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रह किए गए टैगोर तथा अन्य विभूतियों के कुछ बहुमूल्य चित्र जो जनवरी, 1987 में प्रधानमन्त्री के दौरे के दौरान शान्तिनिकेतन में प्रदर्शित किए गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिए क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन द्वारा हड़ताल

799. श्रीमती किशोरी सिंह :
श्री जी० एम० बनातवाला :
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन ने 4 अगस्त, 1987 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस हड़ताल का एक कारण कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगति होना है;

(घ) इस हड़ताल के अन्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक संघ के अखिल भारतीय फेडरेशन द्वारा मई, 1987 में हड़ताल का आह्वान किया गया था । बाद में, सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक संघ के अखिल भारतीय फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ 10-12 जून, 1987 को शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श किया था । संशोधित वेतनमान 17 जून, 1987 को घोषित किए गए थे । रिपोर्टों के अनुसार, अब इस हड़ताल का प्रस्ताव वेतनमानों के संशोधन की योजना में कुछ प्रावधानों के विरोध में है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने ग्रेडों की संख्या में वृद्धि करने तथा रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नति को समाप्त करने पर असंतुष्टि प्रकट की है । वे यह भी मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार को 80% के बजाय योजना के कार्यान्वयन पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च वहन करना चाहिए ।

(ङ) सरकार के पास पहले से किए गए निर्णयों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रजनी पराशर के मामले में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

800. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्रा, रजनी पराशर द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य लोगों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कार्यवाही अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, सी० बी० आई० जांच रिपोर्ट की छानबीन हो चुकी है और दोषी विश्वविद्यालय शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री हरिस्वरूप जांच कर रहे हैं । आशा है कि वे इस बारे में वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देंगे ।

[हिन्दी]

जनवरी, 1987 से आज तक हुई रेल दुर्घटनाएं

801. **श्री हरीश रावत :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :
श्री टी० बशीर :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मलिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 से आज तक भारतीय रेलों में जोन-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उनमें जोन-वार कितने व्यक्ति हताहत हुए और इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मृत व्यक्ति के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनों तथा हताहतों की संख्या का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

रेलवे जोन	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या	
		मारे गये	घायल
1	2	3	4
मध्य	41	1	7
पूर्व	49	3	11
उत्तर	37	18	44
पूर्वोत्तर	17	10	12

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	43	1	23
दक्षिण	29	28	180
दक्षिण मध्य	30	59	13
दक्षिण पूर्व	31	2	7
पश्चिम	21	3	11

इन दुर्घटनाओं में रेलवे सम्पत्ति को लगभग 7.25 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच या तो रेल सुरक्षा आयुक्त, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, द्वारा या विभागीय जांच समिति द्वारा की गयी है। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ये रहे हैं—रेल कर्मचारियों या रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों जैसे सड़क वाहनों के ड्राइवरों की गलती, रेल उपस्करों में खराबी, तोड़-फोड़, शिला खण्डों/पेड़ों आदि के गिर जाने से रेलपथ पर अवरोध जैसे आकस्मिक कारण तथा प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, बाढ़ आदि।

(घ) जनवरी, 1987 तथा उसके बाद हुई दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को रेलों द्वारा, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि पदेन/तदर्थ दावा आयुक्तों, जो राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारी हैं, ने अभी तक अपना निर्णय घोषित नहीं किया है, तथापि रेलें उनके साथ लिखा पढ़ी कर रही हैं।

(ङ) रेल यात्रा को निरापद बनाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण संरक्षा उपाय इस प्रकार हैं—

(1) क्षेत्र निरीक्षणों को गहन करना तथा कर्मचारियों को परामर्श देना।

(2) उच्च स्तरीय संरक्षा दलों द्वारा दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा उपचारात्मक उपाय सुझाना।

(3) आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरणों जैसे पटरियों और चल स्टाक धुरों की पराश्रव्य जांच, रेलपथ परिपथन की व्यवस्था, धुरा काउन्टरों, सहायक चेतावनी प्रणाली आदि की शुरूआत करना बशर्ते कि समग्र रूप से इसके लिये धन उपलब्ध हो।

(4) चल स्टाक, रेलपथ, सिगनल गियरों, पुलों और अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रमबद्ध ढंग से पुनः स्थापन।

(5) कर्मचारी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार।

(6) संरक्षा अभियानों को गहन करना।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन के विकास का प्रस्ताव

802. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई वर्षों से लम्बित परादीप पत्तन विकास परियोजना को अन्तिम रूप से मन्जूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन पर बढ़े लौह अयस्क ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए उसे विकसित करने हेतु दक्षिण कोरिया के मैसर्स हुंडाई कारपोरेशन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम मैसर्स हुंडाई कारपोरेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। बांसपानी से दैतारी तक रेल संपर्क से संबंधित परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाने का काम रेल मंत्रालय को तथा खानों और सम्बद्ध सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम उड़ीसा सरकार को सौंपा गया है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा

803. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
श्री ललितेश्वर प्रसाद साही :
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार ने राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 25-26 जून, 1997 को हुई 42 वीं बैठक में मतैक्य विषय

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 42वीं बैठक 25-26 जून, 1987 को दिल्ली में हुई। सम्मेलन में मणिपुर के मुख्य-मन्त्री, त्रिपुरा के उप-मुख्य मन्त्री तथा व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों के

शिक्षा मन्त्रियों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव ने की। पहले दिन, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वियन की समीक्षा की। बोर्ड ने यह सहमति व्यक्त की कि बोर्ड ने मानव संसाधन विकास मन्त्री की टिप्पणियों से सहमति की कि आगामी महीनों में केन्द्र तथा राज्यों के लिए यह अनिवार्य होगा कि नीति को अधिक तत्परता और दृढ़ता से क्रियान्वित किया जाए। संतोषजनक रूप से यह नोट किया गया कि केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिकता के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए और सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करने के लिए अनिवार्य तन्त्र रचना स्थापित कर दी थी।

2. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का व्यापक मतैक्य निम्नलिखित विषय पर प्राप्त किया गया था :

(1) रा० शि० नी० के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए एक अधिक प्रभावी तन्त्र को सृजित करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, सभी राज्यों को राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड गठित करने चाहिएं जिन्हें क्रियान्वयन समीक्षा हेतु नियमित रूप से बैठकें करनी चाहिएं। मानीटर को परिणात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रियाएं, औपचारिक पद्धति तथा गैर-औपचारिक पद्धति में अध्ययन के स्तर और विभिन्न गुणात्मक पहलुओं का भी मानीटर किया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता एक अत्यन्त महत्व का विषय है। इस प्रयोजनार्थ जन-साधन की सहायता ली जानी चाहिए और लोगों तक पहुंचने की उपयुक्त संस्थागत संरचनाओं और नीति-क्रियान्यवन में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। राजनीतिक-दलों, छात्रों, कामगरों और किसानों के जन-संगठनों, स्वैच्छिक एजेन्सियों पंचायती राज संस्थाओं आदि को प्रभावी रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी अत्यन्त महत्व का विषय है कि युवा, महिलाएं तथा लोगों की अन्य श्रेणियां व्यापक रूप से शामिल हों।

(3) राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में सभी विषयों पर कार्रवाई को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रमों को तैयार करने और तत्पर अनुवर्ती पद्धति के सृजन के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिएं। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में ये शामिल होंगे :

(i) सभी के लिए तुलनीय स्तर की शिक्षा

(ii) न्यूनतम अध्ययन स्तर

(iii) राष्ट्रीय मूल्यों को मन में बैठाना

(iv) राष्ट्रीय कोर-पाठ्यचर्या

(v) सामान्य स्कूल पद्धति

(vi) प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वचनबद्धता ।

(4) नीति में जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया था, उन्हें पुनः दोहराया गया था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्ट निर्णय लिए गए थे :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता पर पुनः बल देते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि यथाशीघ्र प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य हो, उसे किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य में न केवल सब के लिए नामांकन तथा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को स्कूल में बनाए रखना शामिल है बल्कि उनके द्वारा अध्ययन के पूर्व निर्धारित स्तरों को भी प्राप्त करना है। बिना स्कूल वाली बस्तियों की काफी संख्या, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों के सतत प्रभाव और कार्यरत उन बच्चों तथा लड़कियों जिन्हें परिवार के कामकाजों में सहायता करनी होती है, की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, गैर औपचारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा ।

(ख) शिक्षा पद्धति के पुनर्निर्माण में शिक्षक-शिक्षा की निर्णयक भूमिका को रेखांकित किया गया था। इस बात पर बल दिया गया था कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय सरकार और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के चुनिन्दा कालेजों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में परिकल्पित गति पर स्थापित किए जाने चाहिएं तथा राज्य सं० अनु० प्र० परिषदों को शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के केन्द्र बिन्दुओं के रूप में काम करने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए। साथ-साथ शिक्षक शिक्षा की फालतू संस्थाओं को धीरे-धीरे कम करने तथा कदाचार में लगी संस्थाओं को बन्द करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

(ग) व्यावसायीकरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत आयोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसका क्रियान्वयन तब आरंभ हो सकता है जब चालू वित्तीय वर्ष से स्वयं संभव हो। इसे शैक्षिक सत्र, 1986 से पूरे देश में पूरी तत्परता के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। व्यावसायीकरण को रोजगार तथा स्व-रोजगार और सीधी गतिशीलता के लिए प्रदत्त क्षेत्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए ।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का समर्थन किया गया था। यह आशा व्यक्त की गई थी कि 15-35 आयु-वर्ग में व्याप्त निरक्षरता को अधिक-से-अधिक 1995 तक दूर कर दिया जाएगा और सभी आयु के लोगों को साक्षरता तथा शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वे राज्य तथा जिले जो 1995 से पूर्व इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रेरक-पहलू प्रशिक्षण तथा एक व्यापक संसाधन सहायता पद्धति को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूर्वापेक्षा होना समझा गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक एजेन्सियों की विवेचित भूमिका पर भी बल दिया गया था।

(ङ) आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा में व्याप्त अप्रचलन प्रथाओं को दूर करने के मामले को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। प्रबन्ध में सुधार के लिए अन्य उपायों तथा तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं में स्टाफ रखने के साथ-साथ इसे संसाधनों के अनिवार्य निदेश उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(च) उच्च शिक्षा के स्तरों में सुधार के लिए उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। इस प्रयोजनार्थ सुविधाओं को प्रारंभ करने की व्यवस्था की वांछनीयता के साथ-साथ संस्थागत निष्पादन के मानदंडों पर बल दिया गया था।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, शारीरिक रूप से विकलांग, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्प-संख्यकों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों और द्वीपों पर विशेष ध्यान दिया जाना वांछनीय है। हालांकि समाज तथा क्षेत्रों की इन श्रेणियों के लिए सुविधाओं के उन्नयन के लिए ध्यानपूर्वक सूक्ष्म-आयोजना, पर्याप्त मानीटरिंग तन्त्र-रचना को कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से वंचित खंडों के वास्तविक लाभ और उन्नति की सीमा को देखने के लिए सृजित किया जाना चाहिए।

(5) शैक्षिक पद्धति के पुनर्गठन के लिए महिलाओं के समानता के उद्देश्यों को समनुरूप करने की ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सभी शाखाओं में, सभी स्तरों पर महिलाओं और लड़कियों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तकनीकी शिक्षा तक पहुंच के लिए स्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान विषयों में बेहतर प्रशिक्षण अपेक्षित है। इसके सम्बन्ध में विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिएं। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार न केवल महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए अनिवार्य है बल्कि व्यापक मानव संसाधन, जो बिना उपयोग के पड़े हुए हैं, को भी काम में लाना अनिवार्य है। कार्यरत महिलाओं के गैर औपचारिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाने चाहिएं ताकि वे उन शिल्प वैज्ञानिक परिवर्तनों जिन्हें प्रायः विस्थापित कर दिया जाता है, का सामना कर सकें। शिक्षा की पूरी पद्धति में शिक्षा की विषय वस्तु और कार्य-कलापों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि वे महिलाओं की समानता के लक्ष्य में सहायक हो। शिशु-शिक्षा-देखभाल और शिक्षा जैसी सहायक अनिवार्य सेवाओं तथा पेय-जल, ईंधन और चारा जैसी सुविधाओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

(6) विश्वविद्यालय तथा कालेज-शिक्षकों के वेतनमानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गई हाल ही की योजना और उच्चतर शिक्षा की पद्धति में सुधार के लिए अन्य उपायों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में पर्याप्त ध्यान दिया गया। बोर्ड का यह विचार था कि इस योजना को बिना विलम्ब के पूरे देश में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आमतौर पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपने संकल्प को व्यक्त किया। तथापि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उस बोझ के प्रति चिन्ता व्यक्त की जो उनको सौंपा जाएगा क्योंकि उन्हें अतिरिक्त दायित्व का 20 प्रतिशत वहन करना होगा। यह भी निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय

सरकार को यह मामला 9वें वित्त आयोग के सामने उठाना चाहिए कि इसे उस प्रतिबद्ध दायित्व को समुचित स्थान देना चाहिए जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद राज्य सरकारों पर पड़ जाएगी।

(7) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सम्मानपूर्वक इस तथ्य को नोट किया कि केन्द्रीय सरकार ने 1987-88 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए आबंटनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की थी। तथापि, यह महसूस किया गया कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए भावी वर्षों में बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति

804. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समितियां गठित करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ये समितियां गठित की गई हैं और सरकार परिवार नियोजन के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर सकेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल समितियां, मुख्य ग्रुप और राज्य स्तर पर जन समितियां गठित करें। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उच्च शक्ति प्राप्त ऐसी एक या इससे अधिक समितियां गठित करने की सूचना दी है :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. कर्नाटक
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. पंजाब

11. राजस्थान

12. सिक्किम

13. तमिलनाडु

14. त्रिपुरा

15. उत्तर प्रदेश

16. पश्चिम बंगाल

17. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह

18. चण्डीगढ़

19. दिल्ली

20. गोवा

21. मिजोरम

ऐसी समितियां गठित करना सन् 2000 ईसवी तक शुद्ध प्रजनन दर को एक तक लाने के दीर्घ कालीन जनांकिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की समग्र कार्यनीति का एक अंग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्रति हजार जीवित जन्मों के लिए जन्म दर 21, मृत्यु दर 9, शिशु मृत्यु दर 60 से कम और कारगर दम्पती सुरक्षा दर 60 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों का एड्स रोग परीक्षण

805. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री बकुल वासनिक :
श्री चिन्तामणि जेना :
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी यात्रियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले चार महीनों के दौरान भारत की यात्रा की है और जो एड्स रोग से पीड़ित पाए गए;

(ख) क्या सरकार ने भारत की यात्रा करने वाले सभी विदेशी यात्रियों का, इस रोग का आवश्यक रूप से परीक्षण कराने हेतु कोई सामान्य निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले 4 महीनों के दौरान केवल 6 विदेशियों में एच० आई० वी० संक्रमण का पता लगाया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने एच० आई० वी० जांच प्रक्रिया सुदृढ़ की है। जिन विदेशियों (मिशनों में काम कर रहे व्यक्तियों को छोड़कर) के भारत में एक वर्ष से अधिक तक रुकने की संभावना होती है, उन्हें यहां पहुंचने पर एड्स परीक्षण कराना होता है। किसी भी नए विदेशी

छात्र को किसी भारतीय शैक्षणिक संस्था में दाखिले के लिए एड्स संबंधी परीक्षण कराने होंगे और इसी परिणामों के संतोषजनक होने पर ही दाखिले की पुष्टि की जाएगी । तथापि, जो विदेशी छात्र पहले से ही भारत में रह रहे हैं उन्हें दाखिला लेते समय एड्स संबंधी परीक्षण नहीं करने होंगे ।

प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा कार्यक्रम

806. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री मुकुल वासनिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके सम्बन्धित राज्यों में **प्राथमिक स्वास्थ्य** चिकित्सा संबंधी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) **राष्ट्रीय** स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की कार्य-प्रणाली देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाएं प्रदान करने में एक प्रधान दिग्बिन्दु समझी जाती है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित आधारभूत ढांचा स्थापित करें :

(1) ग्राम स्तर पर प्रत्येक गांव/1000 आबादी के लिए एक प्रशिक्षित । पारम्परिक दाई और एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड की व्यवस्था ।

(2) मैदानी क्षेत्र में प्रत्येक 5000 आबादी (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 3000) के लिए एक उप-केन्द्र की व्यवस्था जिसमें एक पुरुष और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो ।

(3) 30,000 की आबादी (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी) के लिए एक **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** ।

(4) एक लाख आबादी को लाभान्वित करने के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें 30 पलंग और 4 विशेषज्ञ होंगे (अर्थात् चिकित्सक, सर्जन, स्त्रीरोग विज्ञानी और प्रसूति रोग विज्ञानी)

सातवीं योजना के अन्त तक उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपेक्षित संख्या के अनुसार शतप्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के 50 प्रतिशत केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने** का काम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है । पहली अप्रैल, 1981 के बाद खोले गए उप केन्द्रों का रख-रखाव का काम परिवार कल्याण कार्यक्रम की शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आता है । उपकेन्द्रों को फर्नीचर की खरीद के लिए 3200 रुपये के अनावर्ती खर्च और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के वेतन पर होने वाले आवर्ती खर्च के रूप में सहायता दी जाती है, एक हजार रुपये

प्रति वर्ष के हिसाब से उप-केन्द्र के लिए किराया, एक हैल्पर को हर महीने 50 रुपए का मानदेय, 600 रुपए प्रति वर्ष का आकस्मिक खर्च दिया जाता है तथा सामग्री के रूप में प्रति वर्ष 2000 रुपए मूल्य की औषधियां उपलब्ध की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्मिकों के विभिन्न वर्गों अर्थात् ग्राम स्वास्थ्य गाइडों, दाइयों, सहायक नर्स मिडवाइफों, लेडी हैल्थ विजिटरों, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, फार्मासिस्टों और प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों को शतप्रतिशत सहायता दी जाती है।

दिल्ली के अस्पतालों में शव परीक्षा सुविधाएं

807. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों से दिल्ली लाया जाता है;

(ख) क्या उनमें से कुछ घायल व्यक्तियों की दिल्ली के अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है;

(ग) क्या ऐसे मृतकों के शवों के संबंधित राज्यों में वापस ले जाने और वहां उनकी शव परीक्षा कराने के लिए कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के उन अस्पतालों में, जहां घायलों को भर्ती किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, शव परीक्षा न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) शव परीक्षा कराना पुलिस की जिम्मेदारी है और शव परीक्षा उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां ऐसी सुविधाएं मौजूद होती हैं।

जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के उपाय

808. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा इस समय यह पांच अरब हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या अनुपात रहा है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि का क्या अनुपात रहने की संभावना है;

(घ) जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे दी गई है :

वर्ष	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1983	2.18
1984	2.13
1985	2.10

(ग) योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या अनुमानों संबंधी विशेषत समिति के अनुमान के अनुसार अगले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की प्रत्याशित दर नीचे दी गई है :

वर्ष	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1987-88	1.94
1988-89	1.90
1989-90	1 87

(घ) जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे है, वे हैं : उन्नत संचार माध्यमों द्वारा गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ाना; दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना; स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करके अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना; जनसंख्या शिक्षा तेज करना; बच्चे के जीवित रहने की दर बढ़ाना और कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार करना।

(ङ) यद्यपि प्रजनन दर में कमी हुई है, लेकिन मृत्युदर में गिरावट आने के कारण वृद्धि दर अधिक बनी हुई है।

चेचक और अन्य घातक बीमारियों में वृद्धि

809. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान देश में चेचक और इसी प्रकार की अन्य घातक बीमारियों के रोगियों की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन रोगियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन घातक रोगों का उन्मूलन करने और शिशुओं को इनसे बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है और 1970 से इसकी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। छोटी माता और खतरे में असामान्य वृद्धि के बारे में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटी माता और खसरे के सूचित किए गए रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) शिशुओं की खसरे से होने वाली रुग्णता और मृत्यु में कमी लाने के लिए देश में रोग-प्रतिरक्षण का विस्तारिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विवरण-I

भारत में 1984-86 के दौरान सूचित किए गए संक्रमित यकृत शोथ के रोगियों और मौतों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984		1985		1986	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1662	3	671	3	510	1
2.	असम	3862	—	4165	—	5174	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	277	—	1163	—	832	—
4.	बिहार	37	1	62	—	173	—
5.	गुजरात	726	—	640	3	423	—
6.	हरियाणा	590	—	510	—	288	—
7.	हिमाचल प्रदेश	3619	—	2880	—	1724	—
8.	जम्मू व कश्मीर	401	—	4603	—	5523	—
9.	कर्नाटक	1554	3	1298	1	1003	8
10.	केरल	9386	4	5718	2	11001	12
11.	मध्य प्रदेश	464	2	1035	1	858	1
12.	महाराष्ट्र	5845	13	4375	5	3548	8

1 2	3	4	5	6	7	8
13. मणिपुर	+	+	+	+	11	—
14. मेघालय	121	+	161	—	31	—
15. मिजोरम	473	—	159	—	246	1
16. नागालैंड	474	—	+	+	242	—
17. उड़ीसा	11085	4	5236	9	3126	1
18. पंजाब	1171	—	362	—	186	—
19. राजस्थान	2234	1	701	—	1252	2
20. सिक्किम	138	—	22	—	123	—
21. तमिलनाडु	133	—	306	—	419	—
22. त्रिपुरा	346	—	350	1	236	—
23. उत्तर प्रदेश	1135	12	958	2	145	—
24. पश्चिम बंगाल	+	+	+	+	+	+
25. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	32	—	—	—	+	+
26. चन्डीगढ़	339	—	461	—	282	—
27. दादरा व नगर हवेली	60	—	44	—	48	—
28. दिल्ली	3096	3	1661	7	1195	2
29. गोवा, दमण व द्वीव	29	—	100	1	205	—
30. लक्षद्वीप	73	—	30	—	128	—
31. पांडिचेरी	52	—	18	1	3	—
योग	48314	46	37689	36	38935	36

नोट——=शून्य+=अनुपलब्ध

आंकड़े अनन्तिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलना नहीं की जा सकती।

विवरण-II

भारत में खसरे के रोगियों और मौतों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	1984		1985		1986	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13464	63	10784	95	6341	19
2.	असम	25371	9	15690	12	9035	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	2303	1	1177	—	477	1
4.	बिहार	216	—	395	—	546	33
5.	गुजरात	1758	10	5915	105	985	2
6.	हरियाणा	1252	2	998	6	961	4
7.	हिमाचल प्रदेश	9740	8	5951	1	9182	12
8.	जम्मू और कश्मीर	5419	—	11154	—	14894	—
9.	कर्नाटक	15853	65	10338	21	6186	14
10.	केरल	25545	—	24740	1	36658	8
11.	मध्य प्रदेश	7339	6	5559	6	12107	20
12.	महाराष्ट्र	15733	31	25630	61	10150	22
13.	मणिपुर	159	4	—	—	380	—
14.	मेघालय	1131	—	713	—	438	—
15.	मिजोरम	1842	—	3077	8	1093	—
16.	नागालैंड	2521	22	—	—	1675	3
17.	उड़ीसा	19873	26	8890	8	7799	4
18.	पंजाब	2284	—	1839	2	1377	1
19.	राजस्थान	5359	33	5542	35	3730	14
20.	सिक्किम	1968	5	1028	—	1823	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	तमिलनाडु	572	28	1134	6	1308	—
22.	त्रिपुरा	3930	—	2093	3	758	—
23.	उत्तर प्रदेश	3987	97	2381	1	453	6
24.	पश्चिम बंगाल	14728	26	†	†	†	†
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1208	2	531	1	†	†
26.	चंडीगढ़	155	—	274	1	369	—
27.	दादर और नगर हवेली	125	—	97	—	41	—
28.	दिल्ली	5158	63	4759	132	4676	121
29.	गोवा दमन और दीव	208	—	260	—	254	—
30.	लक्षद्वीप	1278	—	116	1	485	—
31.	पांडिचेरी	391	6	256	—	248	—
	योग	190881	508	151321	506	135330	291

नोट— — = शून्य

† = अनुपलब्ध

—आंकड़े अनंतिम हैं और अधूरी कवरेज के कारण तुलना नहीं की जा सकती।

आन्ध्र प्रदेश से रूस भेजे गए कलाकार

810. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस में भारत महोत्सव के संबंध में आन्ध्र प्रदेश से कितने कलाकार भेजे गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : सोवियत संघ में भारत महोत्सव के संबंध में आन्ध्र प्रदेश से अब तक 25 कलाकार भेजे गए हैं।

यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 10 सूत्री नीति

811. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 ईसवी की यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 10 सूत्री नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नीति मे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को सड़क मार्गों पर छोड़ कर उनके हितों की अनदेखी की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 1985-2000 तक की अवधि के लिए भारतीय रेल समवेत योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अगस्त, 1987 में इसके तैयार हो जाने की प्रत्याशा है। विकास संबंधी नक्शों और योजनाओं का ब्यौरा योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद उपलब्ध होगा।

इस्पात की आदान लागत में वृद्धि

812. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 में इस्पात के बिक्री मूल्य में संशोधन होने के बाद इस्पात की आदान लागत में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का लागत में हुई इस वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) ये बढ़ोत्तरी मुख्यत: कोयले, रेल-भाड़े, बिजली, पेट्रोलियम ईंधन और उपकरों जैसे आदानों की लागतों में हुई हैं।

(ग) इस बात के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि क्षमता के अधिक उपयोग, वर्धित उत्पादकता और व्यय में किफायत सहित प्रौद्योगिकीय कार्यकुशलता के जरिए इन आदानों की लागत में हुई वृद्धि को यथासंभव सीमा तक बेअसर किया जाये।

[हिन्दी]

चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

813. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या सरकार से उदयपुर को दिल्ली जोड़ने वाली चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का का अनेक बार अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा हेतु इस रेलगाड़ी की गति बढ़ाने के लिए इसे डीजल इन्जन से चलाने और यात्रियों की सुविधा के लिए वातानुकूलित डिब्बे जोड़ने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उदयपुर से चित्तौड़गढ़, अजमेर और जयपुर होते हुए अन्य तीव्रगति रेल गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1987 की समय-सारणी में 15/16 चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण किया जा रहा है और उसमें डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। फिलहाल, वातानुकूलित 2-टीयर यानों की कमी है। जब कभी अतिरिक्त वातानुकूलित 2 टीयर यान उपलब्ध होंगे, तब 15/16 चेतक एक्सप्रेस में उनकी व्यवस्था करने के बारे में इसी तरह की अन्य मांगों के साथ-साथ विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

"ड्रिप" सिंचाई संबंधी रिपोर्ट

814. श्री टी० बाल गौड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड ने "ड्रिप" सिंचाई के बारे में हाल ही में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसी ड्रिप सिंचाई योजना शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) ड्रिप सिंचाई को लोकप्रिय बनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चला रहा है जिसके अन्तर्गत छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए राज सहायता उपलब्ध है जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है। इस स्कीम में आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है।

रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला सड़क पुल

815. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मनिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री राम प्यारे पनिका :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली मन्नार की खाड़ी में चिर प्रतीक्षित 2234 किलोमीटर लम्बे सड़क पुल के निर्माण में दो वर्ष का और विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इस पुल के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

जलभू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उठता।

(ग) नियमित रूप से समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं जिसमें निर्माण कार्य की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी जाती है, उसमें कमी का अभिनिर्धारण किया जाता है और उपचारी उपाय किए जाते हैं। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सामग्रियों को रेलवे स्टेशन से लाने की विशेष व्यवस्था करने, ठेकेदारों द्वारा निवेशों को जमा करने, प्राथमिकता के आधार पर निर्माण सामग्री की सप्लाई आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

(घ) जून, 1987 तक 78.5% भौतिक प्रगति हुई और पुल के निर्माण पर 14.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

राजधानी में मेडिकल प्रेक्टीशनरों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना

816. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से राजधानी में गैर-सरकारी अस्पतालों में मेडिकल प्रेक्टीशनरों द्वारा लापरवाही, कठोरता और यहां तक कि दुर्व्यवहार किए जाने के मामलों की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की संख्या और स्वरूप क्या था;

(ग) क्या सरकार का रोगियों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा लापरवाह डाक्टरों को कड़ी सजा देने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम तथा दिल्ली उपचर्यागृह पंजीयन अधिनियम और उनके अन्तर्गत बने नियमों में लापरवाह डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्थाएं हैं।

मातृ भाषा पढ़ाना

817. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या नवोदय स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा पढ़ाने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो पाठ्यक्रमों के संबंधित उद्धरणों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्ययन योजना के अनुसार अखिल भारतीय और दिल्ली माध्यमिक परीक्षा के लिए माध्यमिक स्तर पर एक विद्यार्थी के लिए दो भाषाओं का अध्ययन करना जरूरी होता है।

एक विद्यार्थी यदि चाहे तो, एक भाषा जो उसकी मातृभाषा हो उसकी पेशकश कर सकाता है।

(ख) नवोदय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होंगे। स्कूलों में अभी तक VI से VIII तक कक्षाएं हैं और विद्यार्थी मातृभाषा/प्रादेशिक भाषा के माध्यम में पढ़ाए जाते हैं जिसके दौरान हिन्दी/अंग्रेजी दोनों का एक भाषा विषय और सह-माध्यम के रूप में गहन अध्ययन कराया जाता है। तत्पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में हिन्दी/अंग्रेजी सामान्य माध्यम होंगे।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नियमों और पाठ्यचर्या के उद्धरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4582/87**]

उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

818. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू संबंधी गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है; और

(ख) यदि हां, प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4570/87**]

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों की मांगें

819. **श्री नारायण चौबे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों की मांगों के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त निर्णय चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विस्फोट

820. **श्री नारायण चौबे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विस्फोट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां । दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी नं० 4 के गैस वाशर में 15 जून, 1987 को एक विस्फोट हुआ था ।

दो कामगार, श्री एस० पी० साहा तथा बी० दास धमन भट्टी नं० 4, जिसे गिराया जाना था, के वाशर नं० 7 और 8 के स्प्रे नोजलों की सफाई के कार्य में लगे हुए थे । वाशर अलग-अलग हो गए थे, वातानुकूलित नहीं थे और आपसे घुल गए थे तथा ठंडे पड़ गए थे । विस्फोट के कारण दोनों कामगार झुलस गए थे । श्री साहा की तत्काल मृत्यु हो गई थी जबकि श्री दास की मृत्यु 18 जून, 1987 को हुई थी ।

उप महाप्रबन्धक (सेवा) की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने दुर्घटना की जांच की थी और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वाशर नं० 7 के अन्दर विस्फोटक मिश्रण बनने के कारण यह दुर्घटना हुई थी, जो (विस्फोटक मिश्रण) प्रदीपन के लिए वाशर के अन्दर इलैक्ट्रिक हैंड लैम्प के बल्ब के अचानक फटने से सुलग गया था ।

बम्बई के यात्रियों से अधिशुल्क वसूल करना

821. **डा० वत्सा सामंत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मनखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन के लिए महाराष्ट्र सरकार को दो-तिहाई अंशदान वसूल करने के लिए बम्बई के यात्रियों से अधिशुल्क अथवा यात्री कर लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अधिशुल्क लिया जायेगा और इसे कौन-सी तारीख से लेने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) मानखुर्द-बेलापुर मार्ग पर, इस परियोजना की निर्माण लागत में राज्य सरकार के अंशदान की वसूली के लिए अधिप्रभार अथवा यात्री कर एकत्रित करने के लिए रेलों से कहने के विषय का सम्बन्ध महाराष्ट्र सरकार से है और इस मामले में उन्हें विनिश्चय करना है।

बिहार में काला अजार तथा पोलिया से मौतें

822. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में गत चार महीनों से काला अजार तथा पीलिया रोग से बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं;

(ख) क्या काला अजार तथा पीलिया के रोगियों के लिए औषधियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस बात की जांच करने के लिए एक दल भेजने का विचार है कि वहां रोगियों की उचित चिकित्सा की जा रही है या नहीं;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त स्थिति से निपटने के लिए बिहार को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित/दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिली रिपोर्टों के अनुसार 1987 (जून, 1987 तक) के दौरान काला आजार और संक्रामक हेपाटाइटिस के कारण पीड़ित रोगियों और मौतों की संख्या इस प्रकार है—

	रोगी*	मौतें*
काला आजार	5449	7
संक्रामक हेपाटाइटिस	858	114

*अनन्तिम

(ख) बिहार में काला अजार और पीलिया से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए औषधियों की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) पटना में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का शाखा कार्यालय पहले ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ तालमेल रख रहा है और राज्य में काला अजार कार्यकलापों को रोकने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है ।

(ङ) काला अजार को रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को डी० टी० टी० जैसी कीटनाशी दवाइयों की पर्याप्त मात्रा सप्लाई की जा रही है जिससे कि प्रभावी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जा सके । निदेशालय, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा बिहार सरकार जो तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है । राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा बिहार सरकार को दुश्चिकित्स्य एटिमोनियल रोगियों का इलाज करने करने के लिए एक आयातित पेंटामाइडीन आइसोथिओनेट औषधि भी उपलब्ध की जा रही है ।

जहां तक पीलिये का संबंध है उसके लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किए जा रहे हैं—

(i) मल की सफाई की निकासी पर विशेष जोर देकर अच्छी सफाई और वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में लोगों को शिक्षा देना ।

(ii) डिस्पोजेबल यूनिटों के इस्तेमाल और पेटेंटल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई सीरिंजों, सुईयों और अन्य उपकरणों का ठीक ढंग से विसंक्रमण करना ।

(iii) संचारण के तरीके और दाहक एजेंटों को प्रकृति का पता लगाने के लिए जानपदिक रोग विज्ञान की जांच करना ।

(iv) रक्त बैंकों में अनुशासन की कड़ाई से पालन करना ।

(v) कारगर निगरानी कार्य करना ।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

823. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को पर्याप्त पोशक तत्व प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार नहीं हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का पोषाहार घटक केवल पूरक है और इसका आशय घर पर दिए जाने वाले सामान्य पोषाहार का विकल्प से नहीं है । इस बात को मद्देनजर रखते हुए पूरक पोषाहार के निम्नलिखित स्तर निर्धारित किए गए हैं—

लाभप्राप्तकर्ताओं को किस्म	केलोरियों की संख्या	प्रोटीन की लगभग मात्रों (ग्रामों में)
कुपोषित बच्चा	300	10
गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चा	600	20

(ख) मार्च, 1987 के महीने की रिपोर्टों के अनुसार आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत 80.17 लाख बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जा रहा था। इन रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि उस महीने में जिन 64.41 लाख बच्चों के पोषाहारीय स्तर का पता लगाने के लिए मापतौल किया गया उनमें से 59 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं थे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन विभाग

824. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय अथवा राज्य में विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन विभाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने ऐसा विभाग खोलने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की है और इस प्रयोजन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली, पंजाब, पूना और केरल विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

अत्याचार पीड़ित महिलाओं को जीवन निर्वाह भत्ता

825. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि अत्याचार पीड़ित महिलाओं को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महासभा ने जनवरी, 1987 में ग्वालियर में अत्याचारों की शिकार महिलाओं को विशेष प्रतिपूर्ति की सिफारिश की थी।

(ख) चूंकि "पुलिस" और "पब्लिक आर्डर" राज्य विषय हैं इसलिए इस पहलू पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा नौवहन कम्पनियों को दिये गये ऋणों की वसूली

826. **श्री डी० बी० पाटिल : जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति ने भारतीय नौवहन निगम और गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को भारतीय मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि के ऋण दिये हैं;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है;

(ग) मई, 1987 को मूलधन की किस्तों की कितनी धनराशि तथा ब्याज की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(घ) ऋणों और ब्याज की बकाया धनराशि वसूल करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा भारतीय नौवहन निगम और प्राइवेट नौवहन कंपनियों को 2-4-1987 तक क्रमशः 826.81 करोड़ रुपए और 590.57 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। ऋण का भुगतान सिर्फ भारतीय मुद्रा में किया गया ।

(ख) ऋणों पर निम्नलिखित दरों पर ब्याज लगाया गया—

(i) 31 मार्च, 1971 तक या उससे पहले स्वीकृत ऋण पर 3%,

(ii) 1 अप्रैल, 1971 तक या उसके बाद स्वीकृत ऋण पर 4.5%, और

(iii) 10 नवम्बर, 1981 तक या उसके बाद स्वीकृत ऋण पर,

(1) विदेशी जहाजों की खरीद के लिए 7.5%, और

(2) भारतीय शिपयार्डों में निर्मित जहाजों की खरीद के लिए 6.75%।

(ग) नौवहन विकास निधि समिति को 3-4-1987 से बंद कर दिया गया। 2-4-1987 को मूलधन की किश्तें और नियत समय से अधिक समय से बकाया ब्याज की राशि निम्न प्रकार थी—

	मूलधन की किश्त	अर्धवार्षिक ब्याज
	(करोड़ रुपए)	
भारतीय नौवहन निगम	117.26	12.37
प्राइवेट क्षेत्र की नौवहन कंपनियां	118.76	13.01
	236.02	25.38

(घ) नौवहन विकास निधि समिति, मूलधन की किश्त और ब्याज की अधिक समय से बकाया राशि की आवधिक समीक्षा करती थी और बार-बार अदायगी नहीं होने के मामले में बकाया धन राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करती थी। कानूनी कार्रवाई के फलस्वरूप निम्नलिखित नौवहन कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी के रूप में दिए गए जहाजों को उच्च न्यायालयों के आदेशों के तहत बेच दिया गया—

1. नीलहट शिपिंग कंपनी लि०
2. आर० जे० लाइंस लि०
3. पंचशील शिपिंग कं० लि०
4. सुजवाला शिपिंग कं० लि०
5. सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०

नौवहन विकास निधि समिति के बंद होने के बाद नौवहन विकास निधि समिति (परिसमापन) अधिनियम, 1986 के तहत बकाया ऋणों को वसूलने के लिए सरकार को विशेष अधिकार दिए गए हैं।

श्री जगन्नाथ मन्दिर के परिरक्षण के लिए सहायता

827. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मन्दिर के परिरक्षण के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पुरी, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मन्दिर केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक है और वर्ष 1987-88 के लिए इसके संरचनात्मक, रासायनिक संरक्षण और उद्यान सम्बन्धी कार्यों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 6,36,720 रुपए की राशि रखी गई है।

द्वितीय राष्ट्रीय खेलों के लिए केरल को केन्द्र से आवंटन

828. **श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री टी० बशीर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय राष्ट्रीय खेल आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य को आवंटित की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उक्त राज्य को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) प्रस्तावित स्थानों अर्थात्, त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, कोचीन, त्रिचूर और कालीकट में स्टेडियम बनाने और अन्य बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केरल राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खेलों के वास्तविक संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार का कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) द्वितीय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए संघ सरकार द्वारा केरल राज्य के लिए कोई अलग से आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) भारत सरकार ने अब तक केरल सरकार को द्वितीय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से संबंधित स्टेडियमों के निर्माण तथा अन्य खेल अवस्थापना के सृजन के लिए 1.85 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल सरकार ने प्रस्तावित स्थानों पर द्वितीय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए स्टेडियमों तथा अन्य अवस्थापना के निर्माण के लिए 9.50 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी।

(ङ) केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि द्वितीय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर होने वाले संभावी खर्च और उससे होने वाली संभावी आय के ठोस प्राक्कलन भेज दें। इस प्रयोजन के लिए केरल सरकार से ऐसे प्राक्कलन प्राप्त होने पर ही संघ सरकार की सहायता के बारे में मामले पर विचार किया जाएगा।

जनरल ड्यूटी मेडिकल आफीसरों (जी० डी० एम० ओ०) के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

829. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसरों (जी० डी० एम० ओ०) अन्य ग्रेडों के डाक्टरों के लिए चौथे वेतन आयोग ने किन वेतनमानों की सिफारिश की है;

(ख) क्या इन वेतनमानों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) नये वेतनमानों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न ग्रेडों के चिकित्सा अधिकारियों के लिए चौथे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) चौथे वेतन आयोग ने जिन वेतनमानों की सिफारिश की है उन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार करने संबंधी सरकार का निर्णय 13 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के वेतनमान

क्रम संख्या	पद नाम	वेतनमान (रुपए) चौथे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत
1.	चिकित्सा अधिकारी	2200-75-2800-द० रो०-100-4000 रुपए
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3000-100-3500-125-4500 रुपये
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	3700-125-4700-150-5000 रुपए
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड)	4500-150-5700 रुपए
5.	विशेषज्ञ ग्रेड- (अध्यापनेतर) (अध्यापन तथा लोक स्वास्थ्य)	3000-100-3500-125-5000 रुपए
6.	सह-प्रोफेसर	3700-125-4700-150-5000 रुपए
7.	विशेषज्ञ ग्रेड (I) (अध्यापन)	4500-150-5700 रुपए
8.	सुपरटाइम ग्रेड (लैबल)	5900-200-6700 रुपये
9.	सुपरटाइम ग्रेड (लेबल I)	5900-200-6700 रुपए
10.	स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक	7300 रुपए (निश्चित)
11.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	8000 रुपये (निश्चित)

ब्रिटेन की एफ० आर० सी० एस० डिग्री के लिए मद्रास में प्रशिक्षण

830. **श्री उत्तम राठोड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में एक अस्पताल ब्रिटेन की एफ० आर० सी० एस० डिग्री के लिए प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी है; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् इस प्रकार प्राप्त की गई एफ० आर० सी० एस० डिग्री की मान्यता देती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ब्रिटेन से 11 नवम्बर, 1978 के बाद प्राप्त एफ० आर० सी० एस० की उपाधि को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं है ।

बम्बई से पणजी के लिए तीव्र यात्री बोट सेवा

831. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण के पश्चिमी तट पर बम्बई से पणजी के लिए तीव्र यात्री बोट सेवा शुरू करने के बारे में मैसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कोंकण तट पर यह शिपिंग सेवा कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने बंबई और पणजी के बीच एक तेज नौका सेवा प्रारंभ करने के लिए मैसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी के दो उच्च गति की यात्री नौकाओं की खरीद के प्रस्ताव को कतिपय निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करने की शर्त पर 22 जून, 1987 को अनुमोदित कर दिया है ।

(ख) इस कम्पनी द्वारा सेवा शुरू करना उसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन पर निर्भर होगा ।

"केरल डांसर्स टु बायलाट फेस्टीवल" शीर्षक से समाचार

832. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1987 के इंडियन एक्सप्रेस में "केरल डांसर्स टु बायकाट फेस्टीवल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर्केस्ट्रा टीम को अन्तिम समय में शामिल नहीं किया गया था और उसके स्थान पर दल में कुछ अन्य नर्तक शामिल किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जिन नये नर्तकों को टीकों को शामिल होने के लिए कहा गया था उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था और विजयी हुए थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केरल राज्य के 11 नर्तक और 8 सहगायक की एक टीम 6 मार्च, 1987 को राष्ट्रीय युवा सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजी गई थी। टीम का नेतृत्व केरल राज्य युवा कल्याण बोर्ड के लोक सम्पर्क अधिकारी श्री सी० जी० विजय राघवन ने किया था। टीम ने "लसी-अन्जली" नामक नृत्य किया था। चयन समिति के न्यायधीशों की सलाह पर "लसीअन्जली" को इस शर्त पर चुना गया कि सहगायकों की संख्या कम की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो रिकार्ड किए गए संगीत की कैसेट टेपों की सहायता से प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

न्यायाधीशों का यह विचार था कि टीम में सहगायकों की संख्या प्रदर्शन करने वालों की संख्या के अनुपात में कहीं अधिक थी और यदि प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो "लसया" का विषय बढ़ाया जाएगा। तद्नुसार केरल सरकार को निर्देश जारी किए गए थे। परन्तु नृत्य प्रशिक्षक श्रीमती गिरिजा चन्द्रन ने इस बात में सहयोग नहीं दिया, जब तक कि सभी सहगायक जो उनके साथ मार्च, 1987 में दिल्ली गये थे, को टीम में शामिल नहीं किया जाता। निदेशक, युवा सेवाएं और खेल, केरल ने उन्हें लिखित रूप में सूचित किया कि पृष्ठभूमि के संगीत को रिकार्ड करने के प्रबन्ध किए जाएं और 20 जून, 1987 से पहले पूरी ड्रेस रिहर्सल का प्रबन्ध भी किया जाए। परन्तु 20 जून, 1987 को कोई भी भाग लेने वाला रिकार्डिंग और रिहर्सल के लिए नहीं आया। दूसरी ओर श्रीमती चन्द्रन ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। परन्तु न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करने से मना कर दिया। चूंकि लसी-अन्जली की टीम के सदस्य नहीं आए थे इसलिए उन्हें नहीं भेजा गया था। इसके स्थान पर केरल सरकार द्वारा 5 प्रतिभाशाली नर्तक, एक नृत्य मास्टर और ग्रुप नेता सहित एक छोटी टीम भेजी गई थी। ये सभी नर्तक प्रतिभाशाली नर्तक हैं, और केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों से "कला प्रतिभा" प्राप्त हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतियोगिताओं और महोत्सवों में पुरस्कार प्राप्त किये हैं। तदनुसार उन्हें रूस में भारतीय महोत्सव में एक प्रदर्शक के रूप में मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेन्स गाड़ियों की उपलब्धता

833. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री डी० एन० रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें बताया गया है कि जो एम्बुलेंस गड़ियां खान अब्दुल गफ्फार खां को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिये आई थी, उनमें से अधिकांश रोगी को ले जाने के लिये अनुपयुक्त, गन्दी और पर्याप्त उपकरणों से युक्त नहीं पाई गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के निवासियों को किसी भी सरकारी अस्पताल से मुश्किल से ही कभी कोई एम्बुलेंस गाड़ी मिल पाती है और उन्हें गैर सरकारी एम्बुलेंस गाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) खान अब्दुल गफ्फार खां को लाने एम्बुलेन्स न देने संबंधी रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने यह बताया है कि रोगियों के आंतरिक स्थानांतरण के लिए उनके पास चार एम्बुलेंसों का एक बेड़ा है। इनमें से एक एम्बुलेंस आपात स्थिति के लिए रखी रहती है और यह एम्बुलेंस खान अब्दुल गफ्फार खां को लाने के लिए भेजी गई थी। इस एम्बुलेन्स में, जिसे अन्यथा बहुत ही अच्छी हालत में रखा जाता है, वातानुकूलन की सुविधा नहीं थी। अतः खान अब्दुल गफ्फार खां को लाने के लिए वातानुकूलित सुविधा वाली एम्बुलेंस मंगवानी पड़ी।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है।

[हिन्दी]

भारतीय माल वाहक जहाज में आग लगने के कारण

834. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1987 को फ्रांस के पश्चिमी घाट पर भारतीय माल वाहक जहाज "इंडियन एक्सप्रेस" में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) आग से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और क्या फ्रांस सरकार ने जहाज को ब्रेस्ट पत्तन की ओर बढ़ने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां जहाज ले आया गया;

(च) यदि नहीं, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां इस जहाज पर लादे गये माल को ले जाया गया; और

(छ) क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिमोत्तर बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

835. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमोत्तर बिहार में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गोपालगंज फार सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी

चम्पारन तथा अन्य निकटवर्ती जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो गोपालगंज में यह विद्यालय कब तक खोला जाएगा और इस पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धन राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य में महसूस की जा रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) गोपालगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

क्र० सं०	विहार में केन्द्रीय विद्यालय
1	2
1.	बी० सी० सी० एल०, कोयला नगर, जिला धनबाद।
2.	पुरानी डी० बी० एस० बिल्डिंग, धनबाद।
3.	बोकारो नं० 1, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद।
4.	बोकारो नं० 2, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद।
5.	बरौनी नं० 1, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, बरौनी, जिला बेगूसराय।
6.	बरौनी नं० 2, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, बरौनी रिफाईनरी टाउनशिप, जिला बेगूसराय।
7.	भण्डारीदा, जिला गिरिदाह।
8.	सैन्ट्रल फ्रोलाफील्डज लि०, कारो स्पेशल प्रोजेक्ट, पी० ओ० सनडे बाजार, जिला गिरिदाह।
9.	भुरकुण्डा, हजारीबाग।
10.	पतरातु, जिला हजारीबाग।
11.	बी० एस० एफ० ट्रेनिंग सेन्टर एण्ड स्कूल, मारु कैन्ट, हजारीबाग।
12.	रामगढ़ कैन्ट जिला हजारीबाग।
13.	बागेश्वरी रोड़, गया नं० 1।
14.	गया नं० 2, ए० एस० सी० सेन्टर (उत्तर), पहाड़पुर, गया।
15.	पियारटिज फास्फेटस एण्ड केमिकल लि० अमजोर, जिला रोहतास।

1	2

16. दानापुर कैंट 1 (17) समस्तीपुर ।

17. चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम ।

18. हिन्दुस्तान कॉपर लि०, पी० ओ० घाटशीला, सिंहभूम ।

19. मेघाहतुबुर, जिला सिंहभूम ।

20. जमालपुर, जिला मोंघीर ।

21. जवाहर नगर, पी० ओ० सुथीहारा, जिला सीतामढ़ी ।

22. ककर बाग, पटना ।

23. दीपातोली, पी० ओ० रांची-834009 ।

24. हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन नं० 1, जगन्नाथ नगर, रांची ।

25. हैवी, इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, नं० 2, धुरवा, रांची ।

26. पी० ओ० हिनू, जिला रांची ।

27. सेन्ट्रल कोलाफील्डज लि०, डाकरा बुकबुका, उत्तर कर्णपुरा एरिया, पी० ओ० खालरी, जिला रांची ।

28. एयर फोर्स स्टेशन, सिंहारसी ।

29. जी० पी० सैन्टर, सी० आर० पी० एफ० कैम्पस, मेकमहघाट ।

30. गोविन्दपुर एरिया, जिला धनबाद ।

31. भुली टाऊनशिप, जिला धनबाद ।

32. चन्दरपुर थर्मल पावर स्टेशन, चन्दरपुर, जिला गिरिदाह ।

33. सैन्ट्रल कोलाफाइड लि० रांची ।

34. केडलानगर, केडला नगर दक्षिण कोलीअरी, पी० ओ० केडला अंडग्राऊंड जिला हजारीबाग ।

35. अरगादा एरिया, गिडी "ए" कोलीअरी, सैन्ट्रल कोलाफील्डज लि० पी० ओ० गिडी ए, जिला हजारीबाग ।

36. मेथोन डाम, दामोदर वेली कारपोरेशन, पी० ओ० मेथोन, जिला धनबाद ।

37. नामकुम, रांची ।

38. मुजफ्फरपुर, बिहार ।

1	2

39. पटना, बिहार।

40. पी० ओ० कटिहार, जिला कटिहार।

41. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिला गिरिडीह।

42. लखी सराय, जिला बेगुसराय।

दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा-बरौनी रेलवे लाइन को दोहरी करना

836. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा बरौनी रेलवे लाइन को दोहरी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कुल परिव्यय कितना है और इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इस रेलवे लाइन को दोहरी करने में हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सम्पूर्ण रेल मार्ग कब तक दोहरा कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस मार्ग के निम्नलिखित खण्डों पर दोहरी लाइन मौजूद है :

(1) दिल्ली-कानपुर

(2) बरेली-लखनऊ (वैकल्पिक मार्ग)

2. 1987-88 के बजट में निम्नलिखित दोहरी लाइनों को अनुमोदित किया गया है :

खण्ड	लागत	87-88 में परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
कानपुर-लखनऊ	48.58	1.10
मुरादाबाद-रामपुर (वैकल्पिक मार्ग)	20.72	0.90
पितौंजिया-समस्तीपुर बछवाड़ा-बरौनी	19.20	3.00

(ग) और (घ) भारी माल यातायात वाले नाजुक खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य यातायात की आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। सुझाये गए समूचे मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का फिलहाल कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जहाजरानी का विकास करने के लिए बजरों और नौकाओं की खरीद

837. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्देशीय जहाज रानी का विकास करने के लिए अन्य देशों से पुराने बजरे और नौकाएं खरीदने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर आयात की दीर्घावधिक योजना

838. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़** :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने स्वदेशी टायर निर्माताओं की चुनौती का सामना करने के लिए टायर आयात की एक दीर्घावधिक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय, जो टायर उद्योग में उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण से संबंधित मंत्रालय है, का सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन प्रचालकों को टायरों की सप्लाई पर प्रतिबंध और मूल्य में अक्सर वृद्धि के कारण हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है और उद्योग मंत्रालय से उपचारी उपाय करने का अनुरोध किया है जिसमें यदि आवश्यक समझा जाए तो आयात करना भी शामिल है।

ईराडी आयोग की रिपोर्ट

839. **श्री राम प्यारे पनिका** :
डा० वी० वेंकटेश :
श्री चित्त महाता :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी और ब्यास नदियों के जल के बटवारे के बारे में ईराडी आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आयोग की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भी भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अधिकरण को यथा निर्दिष्ट पंजाब व्यवस्थापन के पैरा 9.1 तथा 9.2 के अनुसार रावी और व्यास जल से संबंधित मामलों के सत्यापन तथा न्याय-निर्णयन पर अधिकरण के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

(एक) निर्देश की मद सं० 1 के संदर्भ में
(पंजाब व्यवस्थापन का पैरा 9.1)।
अधिकरण के सत्यापन का निष्कर्ष है :
1 जुलाई, 1985 को तीन भागीदार राज्यों के किसानों तथा अन्य उपभोगी प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग की गई जल की मात्रा निम्नवत् थी :

पंजाब : 3.106 मि० ए० फु० [इसमें 1981 के समझौते की धारा (11) के अन्तर्गत और उसके अध्यधीन राजस्थान द्वारा अनुज्ञेय 0.352 मि० ए० फु० शामिल है परन्तु इसमें विभाजन पूर्व का 1.98 मि० ए० फु० तथा साथ ही शाह नहर कैनाल क्षेत्रों में 0.32 मि० ए० फु० का उपयोग शामिल नहीं है]।

हरियाणा : 1.620 मि० ए० फु०

राजस्थान : 4.085 मि० ए० फु० (इस आंकड़े में विभाजन पूर्व का 1.11 मि० ए० फु० का उपयोग शामिल नहीं है)।

(दो) संदर्भ की मद सं० 2 के संदर्भ में
(पंजाब व्यवस्थापन का पैरा 9.2)

उनके अधिशेष जल में हिस्सों के संबंध में पंजाब और हरियाणा के दावों के न्याय निर्णयन पर अधिकरण के विनिश्चय तथा किए गए आबंटन निम्नवत् हैं :

पंजाब 5.00 मि० ए० फु०
हरियाणा 3.83 मि० ए० फु०

अधिकरण ने निदेश दिया है कि रावी-व्यास प्रणाली में किसी भी वर्ष विशेष में जल उपलब्धता में उतार चढ़ाव होने की स्थिति में, उपर्युक्त दोनों राज्यों के हिस्सों में उपर्युक्त आधार पर यथानुपात वृद्धि या कमी कर दी जाएगी।

टिप्पणी : 1981 के समझौते के अन्तर्गत अधिशेष जल में निर्धारित किए गए राजस्थान का 8.60 मि० ए० फु० का हिस्सा तथा दिल्ली जल आपूर्ति का 0.2 मि० ए० फु० का हिस्सा अप्रभावित रहेगा। परन्तु दिल्ली की मौजूदा 0.2 मि० ए० फु० के अलावा अतिरिक्त आपूर्ति की मांग को अधिकरण को निर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र से बाहर होने के कारण नामंजूर कर दिया गया था।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे 20 मई, 1987 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को भी अग्रेषित कर दिया। संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं की हैं।

शोरानूर में लोको शेड और कार्यशाला

840. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में शोरानूर स्थित लोको शेड की स्थिति बहुत खराब हो गई है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शोरानूर में एक बड़ी कार्यशाला प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। 1982 में दक्षिण रेलवे की बड़ी लाइन प्रणाली का पूर्णतः डीजलीकरण हो जाने के कारण शोरुवण्णूर में भाप लोको शेड बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दक्षिणी क्षेत्र में चल स्टाक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त कारखाना क्षमता विद्यमान है। अतः फिलहाल शोरुवण्णूर में मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डीजल इंजनों का आयात

841. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल ढुलाई के लिए उच्च अश्व-शक्ति (4000 अश्व-शक्ति) के डीजल इन्जनों को आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) इन उच्च अश्व-शक्ति के इन्जनों का किसी देश से आयात किया जाएगा और इनका मूल्य कितना होगा और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और यह किस प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी और इस सौदे की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन उच्च अश्व-शक्ति इन्जनों की प्रौद्योगिकी के आयात तथा बाद में उनके वाराणसी और अथवा चितरंजन स्थित डीजल इन्जन तैयार करने वाली वर्तमान यूनिटों में उनको अपनाने के लिए क्या प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) : जी हां। माल गाड़ियों के कर्षण के लिए 20 अदद पूर्णतः एसेम्बल किए गए तथा 10/20 अदद खुले पुर्जों वाले 4000 अश्व शक्ति के डीजल रेल इंजनों के आयात के लिए विश्व-निविदा के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) प्रस्तावों पर निर्णय ले लिए जाने के बाद ही ये ब्यौरे ज्ञात होंगे।

(ग) विश्व-निविदा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करना शामिल है जिसे वाराणसी स्थित डीजल रेल इन्जन कारखाने में बेहतर किस्म के डीजल रेल इन्जनों के निर्माण के लिए अपनाया जायेगा।

एल्यूमिनियम उत्पादन में अत्यधिक विद्युत का प्रयोग

842. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे एल्यूमिनियम उत्पादन एककों में कनाडा नार्वे और अन्य देशों के एल्यूमिनियम एककों की तुलना में बहुत अधिक विद्युत प्रयोग होती है और इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्रों में विद्युत के प्रयोग में बचत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) एल्यूमिनियम की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय एल्यूमिनियम प्रद्रावकों की विद्युत खपत उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के प्रद्रावकों की औसत विद्युत खपत के बराबर है। लेकिन भारत में उत्पादित एल्यूमिनियम, आदान सामग्री, खास तौर पर विद्युत की ऊंची दरों तथा विद्युत की पर्याप्त एवं लगातार आपूर्ति न होने के कारण, अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है।

(ख) और (ग) किसी प्रद्रावक में विद्युत की खपत प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा पर्याप्त एवं लगातार विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करती है। एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा बेहतर नियंत्रण तकनीक अपना कर विद्यत खपत कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) द्वाना उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा पद्रावक नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित है, इसकी विद्युत खपत की तुलना आधुनिक विदेशी प्रद्रावकों से की जा सकेगी। लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) द्वारा निजी बिजलीघर लगाया जा रहा है। यह कंपनी पुराने सोडरबर्ग वर्टीकल स्टड सिस्टम के कार्य में सुधार के लिए विभिन्न परीक्षण कर रही है, जैसे एनोड के प्रभाव के निर्धारण हेतु माइक्रोप्रोसेसर्स का उपयोग, लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग, एल्यूमिना कैल्साइनर्स में आशोधन आदि।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस देने संबंधी मार्ग निर्देश

843. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में माइल्ड स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लघु इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस देने संबंधी मार्गनिर्देशों में संशोधन कर रही है;

(ख) क्या सरकार लघु इस्पात संयंत्रों की सक्षमता में सुधार लाने हेतु कतिपय अनिवार्य आधुनिकीकरण उपाय करके विद्यमान लघु इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधाओं को उदार बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने नए मार्ग-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन नए मार्गनिर्देशों का क्या प्रभाव पड़ने की आशा है;

(घ) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विद्यमान लघु इस्पात संयंत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरण होने चाहिए जिससे बिजली के उपयोग और मानवशक्ति के उपयोग में काफी कटौती होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो लघु इस्पात संयंत्रों की सक्षमता बनाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) लघु इस्पात कारखानों की क्षमताओं के विस्तार सहित इस्पात उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की जा रही है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में भविष्य में इस्पात की मांग और उपलब्धता के अनुमानों को ध्यान में रखा है।

(घ) और (ङ) वैद्युत इस्पात निर्माण में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी अपना कर लघु इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए उपायों का पता लगाने हेतु एक दल का गठन किया गया है। लघु इस्पात कारखानों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन से बिजली की खपत में पर्याप्त कमी आने की सम्भावना है।

भाड़े का कम्प्यूटर द्वारा निर्धारण

844. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पिछले चार वर्षों से भाड़े का कम्प्यूटर द्वारा निर्धारण करने पर विचार कर रही है और उसे इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी और राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र से प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया;

(ग) मूल्यांकन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है; और

(घ) इस उद्योग के बारे में यदि कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली (एफ० ओ० आई० एस०) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को 1982-83 में मंजूरी दी गयी थी। भारतीय रेलों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रलेख परामर्शदाताओं नामतः कनाडा के मैसर्स केनेक और पश्चिम जर्मनी के मैसर्स "डेटेकान" की सहायता से अक्तूबर, 1982 में तैयार किया गया था। एन० आई० सी० से एक प्रस्ताव अप्रैल, 1987 में प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) एन० आई० सी० से प्राप्त प्रस्ताव की रेल सूचना प्रणाली केन्द्र द्वारा जांच की जा रही है और एन० आई० सी०/इलैक्ट्रोनिक विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

लघु इस्पात संयंत्रों को हानि

845. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों को निरन्तर हानि होने के कारण संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख) लघु इस्पात कारखानों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में भारत की इस्पात भट्टी एसोसिएशन तथा भारत के इंजीनियरी उद्योगों के महासंघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है। यह अभ्यावेदन किया गया है। कि आदानों की लागत में बढ़ोतरी होने तथा इस्पात पिण्डों के विक्रय मूल्य मे गिरावट आने से लघु इस्पात कारखाने नकद घाटा उठा रहे हैं।

(ग) स्क्रैप के आयात पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क को 4 दिसम्बर, 1986 से 5 प्रतिशत मूल्यानुसार कम कर दिया गया है और आयात में वृद्धि करके लघु इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप उपलब्ध कराया गया है।

लघु इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

846. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय भारत में लघु इस्पात एककों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों के एक उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (घ) सरकारी अधिकारियों तथा भारतीय स्टील फर्नेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का एक भारतीय इस्पात प्रतिनिधिमण्डल यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निमंत्रण पर जून, 1987 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कुछ देशों के दौरे पर गया था ताकि इन देशों में इस्पात बनाने की प्रचलित विद्युत प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सरकार को रिपोर्ट पेश करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कालीकट में केन्नानूर स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना

847. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री एस० पलाकोंड्रायुडु :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई को कालीकट में केन्नानूर स्टेशन के निकट एक माल गाड़ी के ठीक प्रकार से न जुड़े डिब्बों के मालवार एक्सप्रेस से टकरा जाने से 30 लोग घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या जुलाई, 1987 के पहले सप्ताह में यह दूसरी दुर्घटना हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 8 जुलाई, 1987 को जब कण्णूर स्टेशन के मंगलोर छोर पर 523 डाउन के खाली कोचिंग रेक में इन्जन जोड़ा जा रहा था, तब रेक लुढ़क कर ब्लाक खण्ड में चला गया था और 29 डाउन तिरूवनन्तपुरम-मंगलोर एक्सप्रेस से टकरा गया था जिसके परिणामस्वरूप 2 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे और 20 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं।

(ख) जी नहीं। यही एकमात्र दुर्घटना थी।

(ग) से (घ) जी हां, यह दुर्घटना इन्जन जोड़ते समय खाली रेक को धक्का लगने के कारण हुई थी।

सड़क दुर्घटनाएं

848. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री नारायण चौबे :
चौधरी राम प्रकाश :
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं से प्रति वर्ष कई हजार लोग मारे जाते हैं;

(ख) क्या विकसित देशों में होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में इस देश में प्रति 10,000 वाहनों पर दुर्घटना की दर तीन गुना अधिक तथा मृत्यु दर लगभग 15 गुना अधिक है,

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है—

वर्ष	मृत व्यक्तियों की संख्या
1984	34722
1985	39047
1986	40590 (अनुमानित)

(ख) वर्ष 1984 के दौरान भारत और कुछ विकसित देशों में प्रति 10,000 वाहन सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

देश	प्रति 10,000 वाहन दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति 10,000 वाहन मृत्यु की दर
भारत	278.8	50.5
जर्मनी	115.3	3.3
फ्रांस	66.5	3.9
ग्रेट ब्रिटेन	128.2 (1983 में)	2.9 (1983 में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	117.7 (1983 में)	23.5 (1983 में)

(ग) सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं—मानव की चूक, वाहनों में यात्रिक गड़बड़ी और खराब सड़क।

(घ) और (ङ) दुर्घटनाओं को कम करने की प्रक्रिया में मदद पहुंचाने की पुष्टि से कानूनी उपबंधों को सख्त बनाने के लिए लोक सभा में 11-5-87 को पेश किए गए मोटरयान विधेयक, 1987 में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है—

(1) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्कूल में निर्धारित प्रशिक्षण के बाद ही परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना।

(2) ड्राइविंग लाइसेंस के हर बार नवीकरण पर डाक्टरी फिटनेस प्रमाणपत्र।

(3) जान लेवा दुर्घटनाओं में शामिल चालक का रिएक्शन टेस्ट।

(4) वाहनों के नाजुक पुर्जों के संबंध में मानक निर्धारित करना।

(5) परिवहन वाहनों की आयु-सीमा नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ अधिकार।

(6) यातायात विनियमों, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण मानकों तथा जोखिम और विस्फोटक सामग्री की ढुलाई के मानक का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने अपनी 28-7-1987 की पहली बैठक में सड़क सुरक्षा स्कीमों की योजना क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की सड़क सुरक्षा परिषद गठित करने की सिफारिश की है जिसमें ट्रेफिक एंड पोस्टों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग ट्रक पार्किंग कम्पलैक्स और नगरों के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनाना तथा प्रशिक्षण स्कूल शामिल है।

भारत-पोलैण्ड तकनीकी सहयोग

849. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड अल्यूमिनियम, ताम्बा, सीसा और जिंक जैसी धातुओं के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग करने को सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस देश को धातुओं का निर्यात करने के बारे में भी सहमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कापर लि० ने खेतड़ी कापर कम्पलैक्स के प्रद्रावक के कार्य-निष्पादन और उत्पादित तांबे की क्वालिटी में सुधार हेतु, मार्च, 1985 में पोलैण्ड की मै० इम्पैक्समेटल के साथ एक करार किया था। इस करार के अन्तर्गत, पोलैंड के तांबा उद्योग के विशेषज्ञों ने हिन्दुस्तान कापर लि० को तकनीकी सहायता दी है।

(ग) और (घ) पोलैण्ड को धातुओं के निर्यात के लिए कोई करार नहीं है। तथापि, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० से पोलैण्ड को एल्यूमिना के निर्यात के बारे में एक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय प्राधिकरण

850. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राधिकरण के क्या उद्देश्य हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" (रा० सा० मि०) के नाम से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन में विभिन्न स्तरों पर एक कारगर प्रबन्ध ढांचे की व्यवस्था की गई है। इसके ब्यौरों की जांच की जा रही है।

सिंचाई क्षमता का लक्ष्य

851. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है;

(ख) बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और अब तक कितनी योजनाएं पूरी कर दी गई हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (प्रत्याशित) लगभग 4.41 मिलियन हेक्टेयर है ।

(ख) सातवीं योजना के दूसरे वर्ष की समाप्ति पर (सृजित क्षमता का प्रत्याशित उपयोग) सिंचित संभावित कुल क्षेत्र लगभग 64.17 मिलियन हेक्टेयर (सकल क्षेत्र) है ।

(ग) योजना के प्रथम दो वर्षों में 4.74 मि० हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले प्रत्याशित उपलब्धि लगभग 4.41 मिलियन हेक्टेयर है । वृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं से उपलब्धि अधिकांशतः निर्माणाधीन परियोजनाओं के आंशिक पूरा होने के द्वारा होती है । लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अनुसंधान और विकास केन्द्र

852. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केन्द्र के महत्वाकांक्षी प्रबोधन कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस प्रयोजन के लिए अमरीकी विमान संगठन के साथ कोई करार किया है;

(ग) यदि हां, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों में तैयार किये जाने वाले उत्पादों में सुधार लाने के लाने में जापान, सोवियत संघ और स्विटजरलैण्ड जैसे अन्य देशों में स्थित फर्मों के साथ भी कुछ समझौते किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) "सेल" के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, तथा अमरीका में एकेडेमिक इंस्टिट्यूट्स अमरीका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की मार्फत "लोहा तथा इस्पात प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीका सहकारी अनुसंधान कार्यक्रम' के अन्तर्गत आपसी हित के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम का कार्य हाथ में लेने पर सहमत हो गये हैं । दो विस्तृत कार्यक्रम विचाराधीन हैं । पहला प्रक्रिया धातुकर्म क्षेत्र से सम्बन्धित है यथा दूसरा कार्यक्रम "नये उत्पाद क्षेत्र" से सम्बन्धित है ।

(घ) और (ङ) सेल के इस्पात कारखानों में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके सुधार लाने के लिए सेल ने सोवियत रूस के मैसर्स त्याज प्रोमेक्सपोर्त तथा जापान के एन० के० के० के साथ सहयोग करार किये हैं। सेल ने स्विटजरलैण्ड स्थित किसी भी फर्म से कोई करार नहीं किया है। सोवियत रूस के साथ करार अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में परामर्श लेने तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास काडर के प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए किया गया है। स्टेट आफ आर्ट प्रौद्योगिकी में सुधार लाने और राउरकेला, दुर्गापुर तथा इस्को के कारखानों के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकीय परामर्श प्राप्त करने के लिए जापान के एन० के० के० के साथ सहयोग करार किया गया है।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय अंशदान

853. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए संबंधित राज्य सरकार को दी गई धनराशि का इस समय 50 प्रतिशत अंशदान देती है;

(ख) क्या अब केन्द्रीय सरकार का विचार केवल उन्हीं उपक्रमों को अंशदान देने का है जो लाभ में चल रहे हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की पिछली बैठक में कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को पूंज अंशदान के लिए मानदंड के रूप में उपक्रमों के कार्यकरण में हुए सुधार को ध्यान में रखना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऐसे राज्य सड़क परिवहन निगमों को जो पर्याप्त मुनाफा कमाने के लिए ठोस वाणिज्यिक ढर्रे पर चल रहे हैं, केन्द्रीय सरकार का पूंजी अंशदान देने की मौजूदा स्कीम जारी रखने का प्रस्ताव है। पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों की परिवहन जरूरतों के हित में चुनींदा आधार पर भी पूंजी अंशदान दिया जाएगा। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संघ के तत्वावधान में राज्य परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों की मार्च, 1987 में आयोजित बैठक में इस निर्णय को क्रियान्वित करने के बारे में विचार किया गया। इस बैठक में अनेक सुझाव दिए गए जिसमें इस पूंजी अंशदान के लिए कार्य-निष्पादन में सुधार लाने संबंधी एक मानदण्ड बनाया जाना शामिल है। इस बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गांधीजी विश्वविद्यालय, केरल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता

854. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गांधी जी विश्वविद्यालय को मान्यता देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विश्वविद्यालय को मान्यता देने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा किसी राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की जा सके। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अनुसार, केन्द्रीय स्रोतों से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए एक नए राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया जायेगा। गांधीजी विश्वविद्यालय को वि० अ० आ० द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है।

वि० अनु० आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता हेतु नए विश्वविद्यालयों को उपयुक्त घोषित करने के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों में निर्दिष्ट मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(i) जिस कानून के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है, उसमें शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा विश्वविद्यालय की अभिशासन संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को समुचित महत्व दिया गया है। (ii) प्रत्येक शिक्षण विभाग में एक प्रोफेसर, दो रीडरों का न्यूनतम स्टाफ तथा पर्याप्त संख्या में लैक्चरार हैं; (iii) छात्रों के स्वास्थ्य आवास और कल्याण के लिए पर्याप्त तंत्र की या तो व्यवस्था की गई है अथवा इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं; और (iv) विश्वविद्यालय में भवनों, उपस्कर, पुस्तकों, पुस्तकालय, छात्रावास, और स्टाफ क्वार्टरों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिनका कुल मूल्य भूमि और इसकी विकास लागत के अलावा 2 करोड़ रुपए से कम नहीं है।

कोचीन पत्तन पर तेल टर्मिनल में दुर्घटना

855. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1987 को जब कोचीन पत्तन पर "होमीबाबा" नामक तेल टैंकर से तेल निकाला जा रहा था तो इसके दो "अनलोडिंग आर्म्स" टूट गये ;

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए; और

(घ) क्या इस दुर्घटना से तेल निकालने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 15 जून, 1987 को जब भारतीय नौवहन निगम के तेल टैंकर "होमीभाभा" से तेल निकाला जा रहा था तो जहाज की पतवार वर्थ पर झूलने लग गई जिसके कारण जहाज से जुड़ी दो अनलोडिंग आर्म्ज अपनी मूल जगह से हट गईं।

(ग) घटना के तुरन्त बाद पत्तन अधिकारियों द्वारा लायड सर्वेक्षक, प्रोटेक्शन एण्ड आइडेमनिटी क्लब के सर्वेक्षक और जहाज के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। पत्तन

ने भारतीय नौवहन निगम पर 1.25 करोड़ रुपये का क्लेम किया है और भारतीय नौवहन निगम से सशर्त गारन्टी लेने के बाद ही जहाज को जाने दिया गया।

(घ) कोचीन तेल टर्मिनल में चार अनलोडिंग आर्म हैं जिनमें से अब दो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तथापि, कुछ समायोजन करने के बाद शेष दोनों आर्म से पम्पिंग प्रचालन कार्य संतोषजनक ढंग से चलाये जा रहे हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डिपो को विलिंग्टन द्वीप से अन्यत्र ले जाया जाना

856. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डिपो को विलिंग्टन द्वीप से अन्यत्र ले जाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो कब तक;

(ग) क्या इस बात की शिकायत मिली है कि विलिंग्टन द्वीप स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यार्ड केरल को आवश्यक मात्रा में सामग्री सप्लाई नहीं कर सकता; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) डिपो का तबादला तब किया जायेगा जब त्रिपुनितुरा के निकट चुनी गई भूमि अधिगृहीत कर ली जाएगी तथा स्टाकयार्ड के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर ली जाएंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) "सेल" का निरंतर प्रयास रहता है कि पर्याप्त स्टाक बनाए जाए। "सेल" के स्टाक-यार्ड की बदली से स्थिति में सुधार आने की भी सम्भावना है।

एस० एस० संजीवनी जहाज की मरम्मत में हुई हानि

857. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एस० संजीवनी जहाज की मरम्मत में कोचीन शिपयार्ड को भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई इस्पात नीति

858. **श्री कमलनाथ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई इस्पात नीति को अंतिम रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जायेगी और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) और (ख) इस्पात उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की जा रही है। अधिसूचित होने पर नए मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रतियां आप लोगों की जानकारी के लिए संसद की लाइब्रेरी को भेजी दी जायेंगी।

प्रादेशिक शुल्क लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधेयक

859. **श्री कमलनाथ** :
श्री हुसैन दलवाई :
प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए जाने वाले प्रादेशिक शुल्क पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधेयक संसद में पुर-स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) किन-किन राज्यों ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने के लिए जाने वाले दान और प्रादेशिक शुल्क पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पहले ही उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी परिषद को ऐसे सांविधिक अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों में प्राइवेट इन्जीनियरी कालेजों और तकनीकी संस्थाओं को प्रवेश के प्रयोजनार्थ प्रति व्यक्ति फीस वसूल करने से रोकेंगे। इस प्रयोजनार्थ एक विधेयक तैयार करने के लिए और इसे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक राज्यों ने प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपीटैशन फीस) वसूल करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान बना लिया है।

बुरला में केन्द्रीय जल आयोग के अधीक्षक इन्जीनियर (एस० ई०) के कार्यालय की स्थापना

860. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरला (उड़ीसा) में केन्द्रीय जल आयोग के अधीक्षक इन्जीनियर (एस. ई.) का कार्यालय खोलने के लिये बहुत मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह कार्यालय स्थापित न किये जाने के कारण न केवल इस प्रभाग के कार्यकरण में बाधा हो रही है, बल्कि यह प्रभाग समय पर बाढ़ की पूर्वसूचना भी नहीं दे पा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में लोगों को निरन्तर बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए शीघ्र ही उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के अधीक्षक इन्जीनियर (एस० ई०) का कार्यालय तुरन्त स्थापित करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बाढ़ पूर्वानुमान कार्य मौजूदा ढांचे में सुगमता से चल रहा है।

भागुआ सिंचाई परियोजना

861. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की ऐसी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भागुआ सिंचाई परियोजना (चरण-दो) के प्रारम्भ करने के लिए अनुमति दे दी है, यदि हां, तो किस वर्ष अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या पर्याप्त मात्रा में धनराशि न दिये जाने के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है; और

(घ) क्या उन लोगों, जिनकी भूमि इस सिंचाई परियोजना के कारण जलमग्न हो जायेगी, के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)

बृहद—7

मध्यम—12

लघु—केन्द्रीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) जी, हां। 1978 में मूल योजना तथा 1983 में आशोधित योजना।

(ग) और (घ) परियोजना प्रारम्भिक चरण में है और राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास हेतु समय पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी।

अस्पतालों का प्रशासन

862. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में अस्पतालों के प्रसासन में सुधार करने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस मामले की किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले का अध्ययन करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) यह मामला विशेषज्ञ समिति के विचारधीन है ।

सरकार द्वारा चलाई जा रही यात्री परिवहन सेवाएं

863. **डा० वी० वेंकटेश :**
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही यात्री परिवहन सेवा को लगातार भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही परिवहन सेवाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राज्यों द्वारा संचालित सभी सड़क परिवहन निगमों को घाटा नहीं हो रहा है । कुछ निगमों को मुनाफा भी हो रहा है । यथा, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को 1984-85 से मुनाफा हो रहा है । हरियाणा और तमिलनाडु के निगमों को 1985-86 के दौरान मुनाफा हुआ है और अनुमान के अनुसार इन दोनों राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को 1986-87 और 1987-88 के दौरान भी मुनाफा हुआ है । आन्ध्र प्रदेश को 1984-85 और 1985-86 के दौरान मुनाफा हुआ ।

(ख) से (घ) कुछ राज्य परिवहन उपक्रमों में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राइवेट बसों को किराए पर लेने की प्रगालो विद्यमान है । मोटरयान विधेयक, 1987 में अराष्ट्रीयकृत रूटों पर सभी पात्र आवेदकों को स्टेज कैरेजों के लिए भी परमिट देने का प्रस्ताव है ।

पुरातत्वीय स्मारकों के अनुरक्षण के लिए समन्वय समिति

864. **डा० वी० वेंकटेश :**
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में पुरातत्वीय स्मारकों के अनुरक्षण के लिए समन्वय समितियां गठित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिक तकनीक में संरक्षण सहायकों को प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षण सहायकों को पुरातत्वीय स्मारकों के संरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिए अल्प-अवधि-पाठ्यक्रम चला रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की सेवाओं का कम उपयोग किया जाना

865. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण के संबंध में अध्ययन किया है;

(ख) क्या इन राज्यों में बड़े पैमाने पर मौजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों की सेवाओं का कम उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इनका कम उपयोग किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पूरा उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) बिहार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में एक अध्ययन किया गया था । इस अध्ययन से पता चला कि बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बाह्य सेवाओं और गुजरात में अंतरंग सुविधाओं का कम उपयोग किया गया है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का कम उपयोग किए जाने के लिए जिन कुछेक प्रमुख कारणों का पता चला है वे हैं—कुछ राज्यों में चिकित्सा कार्मिकों में प्राइवेट प्रैक्टिस के प्रति आकर्षण, समुचित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन की कमी तथा दवाइयों को लाने ले जाने और उनकी आपूर्ति में संभारतन्त्र की कमी। प्रतिक्षण के माध्यम से उचित रुख और कौशल का विकास करने के लिए अपर्याप्त अवसरों तथा मॉनीटरिंग प्रणाली का अभाव भी इन सुविधाओं का कम उपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रशासन और पर्यवेक्षण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो कमियां पाई गई हैं। वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों के ध्यान में ला दी गई हैं ताकि वे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ला सकें। चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए आठवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार राज्यों के अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों को 250 रुपये प्रतिमास की दर से ग्रामीण भत्ता।

(ii) जहां डाक्टरों को रिहायशी आवास उपलब्ध नहीं किया गया है वहां 150 रुपए प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता।

(iii) केन्द्रीय सरकार ने फार्मासिस्टों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करने की एक योजना बनाई है।

केन्द्रीय सरकार की पूरी सहायता से स्वास्थ्य कार्मिकों को अनवरत शिक्षा प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है।

सिंचाई क्षमता

866. **श्री विमल कांति घोष :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके उचित उपयोग के बीच के अन्तर का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति इस अन्तर को न्यूनतम करने के लिए तरीके भी बतायेगी ;

(ग) क्या पूरी सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए किसी विशेष धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। सृजित क्षमता तथा वास्तविक उपयोग में अन्तर के संबंध में समस्याओं का पता लगाने तथा इस अन्तर को शीघ्रतम समाप्त करने के लिए समय पर उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक सलाहकार दल गठित किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र प्रायोजित योजना नामशः कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ इस अन्तर को पाटना है, में विभिन्न कमान क्षेत्र विकास गतिविधियों पर सातवीं योजना के दौरान 1670 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय सेक्टर में इस कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

नर्मदा परियोजना

867. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना से चार राज्यों में भूमि की सिंचाई किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी थी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजनाओं से गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में क्रमशः 17.92, 0.73 तथा 1.69 लाख हेक्टे० क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। मौजूदा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को अपने पूर्व कार्यों के अतिरिक्त पर्यावरिणक रक्षोपायें तथा विस्थापितों के पुर्नवास का निरीक्षण करने की शक्तियों के साथ पुनर्गठित किया गया है।

(ङ) जी, हां।

नई शिक्षा नीति के बारे में भारतीय विद्यार्थी परिसंघ के विचार

868. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्यार्थी परिसंघ ने जिसकी 21 मई, 1987 को बम्बई में बैठक हुई थी, नई शिक्षा नीति की आलोचना की थी;

(ख) यदि हां, तो आलोचना का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार भारतीय विद्यार्थी परिसंघ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति जिसकी बैठक 20 मई, 1987 को बम्बई में हुई थी, ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध संघर्ष को और तेज करने का निर्णय किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित थे—

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नियोजित "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" "अप्रासंगिक" है। इस प्रकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केन्द्र ने केन्द्रीय बजट में पर्याप्त निधियां निर्धारित नहीं की हैं।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यथा परिकल्पित पर्याप्त संसाधनों को "नवोदय विद्यालयों" और "उत्कृष्टता के केन्द्रों" की ओर लगा दिया जाएगा।

(iii) भारतीय विद्यार्थी परिसंघ ने भी मांग की है कि "सबके लिए शिक्षा" को संविधान के मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों में ही "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजनाओं के ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं। राज्यों को मार्गदर्शी रूपरेखाएं भेज दी गई हैं जिन्हें 20 प्रतिशत खण्डों/नगर वार्डों में अपेक्षित सर्वेक्षण करने के बाद निधियों की आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। इन निधियों को किसी अन्य कार्यक्रम में लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का संबंध है सरकार ने इस विषय पर पहले से ही विचार कर लिया है और उसका यह अभिगत है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन स्थिति में परिवर्तन करने का कोई मामला नहीं है।

पाषाण युग की सभ्यता के संकेत

869. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विभिन्न भागों में पाषाण युग की सभ्यता के संकेत मिले हैं;

(ख) क्या इस संकेतों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या निकर्ष निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए केरल के पाषाण काल संस्कृति के अध्ययन से पुरापाषाण काल के गंडासे, खुरचनियां, पत्तर इत्यादि; मध्य पाषाण काल की खुरचनियां, बेधक, सूए, तक्षाणियां, ब्लेड, अर्धचन्द्रक, चाकू इत्यादि; शैलाश्रय, शैलचित्र और उस पर की गई नक्काशियां और नवपाषाण काल के ग्रेनाइट कुल्हाड़े और भू-पत्थर के कुल्हाड़े प्रकाश में आए हैं। इन उपलब्धियों को पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाना

870. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता पर आधारित रेल कर्मचारियों को देय बोनस की राशि पिछले वर्ष दिये गए बोनस की राशि से कम होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो रेल यातायात में वृद्धि होने और रेलवे द्वारा अधिक आय अर्जित किए जाने के बावजूद इसमें कमी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन ने अगले सितम्बर को इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है और इस वर्ष दिए जाने वाले उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का विनिश्चय करने के उद्देश्य से इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का कार्य-संचालन

870. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का कार्य संचालन वस्तुतः रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनी में निवेश की गई धनराशि और इसके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस कम्पनी को हुए भारी प्रचालन घाटों के कारण जिसके फलस्वरूप इन पर भारत और विदेशों के विभिन्न ऋणदाताओं की भारी राशि बकाया हो गई है, इनके कई जहाज विदेशी और भारतीय पत्तनों पर रोक लिए गए हैं।

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम और नौवहन विकास निधि समिति (परिसमापन) अधिनियम, 1986 के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कम्पनी में लगी निधियों और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से आई० बी० एम० कम्प्यूटर सिस्टम का आयात

872. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम का 4 करोड़ रुपए का लागत पर और 1 करोड़ रुपए का शुल्क का भुगतान करके आस्ट्रेलिया से आई० बी० एम० कम्प्यूटर सिस्टम आयात करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बुदोगीज ए एफ अथवा इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा

विदेश स्वदेश निर्मिति सी० डी० सी० 180/830 जैसे सस्ते कम्प्यूटर खरीदने पर विचार किया गया था लेकिन इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सितम्बर, 1986 में सरकार ने भारतीय नौवहन निगम द्वारा चौथे जेनरेशन के कम्प्यूटर की खरीद के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। कम्प्यूटर की एफ० ओ० बी० लागत 1.66 करोड़ रुपए होगी जिस पर अनुमानतः 1 करोड़ रुपए का शुल्क लगेगा। इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त तकनीकी मूल्यांकन समिति ने बरोज ए० एफ० और सी० डी०-180/830 तथा आई० बी० एम० उपकरण पर विचार किया। मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आई बी० एम० उपकरण को तरजीह दी गई —

(i) अन्य प्रणालियों की तुलना में आई० बी० एम० की तकनीकी अधिमानता,

(ii) पूरे विश्व में नौवहन उद्योग में आई० बी० एम० स्थापनाओं की अधिकारिक संख्या और

(iii) किसी अन्य कम्प्यूटर की तुलना में आई० बी० एम० के पास नौवहन उद्योग से संबंधित अच्छी तरह परीक्षित साफ्टवेयर प्रोडक्टों की उपलब्धता।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने पोतों में निषिद्ध सामान ले जाने के कारण जुर्माने के रूप में धनराशि का भुगतान

873. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा वर्ष 1984, 1985 और 1986 में अपने पोतों में निषिद्ध समान ले जाने के कारण सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा लगाई गई कितनी जुर्माना-राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या अनेक नौवहन कम्पनियां सोने की छड़ें, हकीश, इलेक्ट्रानिक सामान इत्यादि की अवैध ढुलाई में लगी है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा इसके लिए दंडित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी जब निषिद्ध माल भारत में लाने के लिए किसी व्यक्ति की विशिष्ट जिम्मेदारी नियत नहीं कर पाते तब वे कैरियर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। 1984, 1985 और 1986 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा इस प्रकार अदा किए गए जुर्माने निम्नलिखित हैं—

1984—8,58,219 रुपये (जिसमें से 2,08,104 रुपए प्रोटेक्शन एण्ड आइडेमनिटी क्लब्स से वसूल किए गए जिसके साथ भारतीय नौवहन निगम कार्गो देयताओं के लिए जुड़ा हुआ है)

1985—5,59,671 रुपये

1986—2,51,500 रुपए

(ख) भारतीय नौवहन निगम के जहाजों से कथित रूप से निषिद्ध माल लाने की जांच करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि अन्य नौवहन कम्पनियां भी इसमें इसी तरह लिप्त थीं।

(ग) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी में लिप्त 25 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा तस्करी में लिप्त भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालक-दल के 122 सदस्यों के मामलों को उनके चालक-दल के पंजीकरण रद्द करने और उनके नाम भारतीय नौवहन निगम के रोस्टर से हटाने के लिए नौवहन महानिदेशक के अधीन एक अनुशासनात्मक उप-समिति के पास भेजा गया था। इनमें से चालक दल के 10 सदस्यों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे, चालक दल के 37 सदस्यों के पंजीकरण निलंबित किए गए और चालक दल के एक सदस्य को भारतीय नौवहन निगम के रोस्टर से हटा दिया गया था। चालक दल के शेष 66 सदस्यों के मामले अनुशासनात्मक उप-समिति के पास सीमा-शुल्क कलेक्टर से अंतिम एडजूडीकेशन आदेशों के अभाव में लंबित पड़े हैं।

[हिन्दी]

बांधों का संरक्षण

874. **श्री कमला प्रसाद रावत : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से अब तक बांधों में दरारें पड़ने की कितनी घटनायें हुई हैं और उनमें कितने लोगों की जानें गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन बांधों के संरक्षण के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये उपाय पर्याप्त हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1985 से दरारों के कारण कोई बड़ा बांध विफल नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बांधों में आपदा के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए राज्यों की सहायता हेतु केन्द्रीय जल आयोग में एक बांध संरक्षण संगठन सृजित किया गया है। अब तक 12 राज्यों ने बांध संरक्षण सेल सृजित किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी बांध संरक्षण प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा के लिए वर्ष 1982 में एक स्थायी समिति गठित की है। समिति ने जून, 1986 की अपनी रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि राज्य उन बांधों को जो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के हैं अथवा जो 50,000 एकड़ फुट अथवा अधिक जल का भण्डारण कर सकते हैं, की संरक्षण पुनरीक्षा 10 वर्षों में एक बार विशेषज्ञों के स्वतन्त्र दल द्वारा करने के प्रबन्ध करेंगे, केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है। उपर्युक्त उपायों से देश में बांधों के सुरक्षा स्तरों में काफी सुधार होगा।

[अनुवाद]

टाबो और केम मठों (हिमाचल प्रदेश) में भित्ति चित्रों का संरक्षण

875. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिमाचल प्रदेश के टाबो और केम मठों में भित्ति चित्रों के संरक्षण का कार्य प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए कार्यकृत सहित उस पर किए गये काम तथा शेष कार्य को प्रारम्भ करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा टाबो मठ जो कि केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक है, के भित्तिचित्रों का रासायनिक संरक्षण किया जा रहा है । तथापि हिमाचल प्रदेश का केई मठ संरक्षित स्मारक नहीं है ।

(ख) टाबो के मठों के समूह में नौ गुम्फायें हैं जिनकी कच्ची मिट्टी की दीवारों और लकड़ी की छत्तों में भित्त-चित्र बने हैं । इन कलाचित्रों पर धूल और पानी के रिसाव से बुरा प्रभाव पड़ गया था । 1981-87 के वर्षों के दौरान निम्नलिखित गुफाओं में सुदृढ़ीकरण, दरारों/छिद्रों के भरने और कलाचित्रों के किनारे बनाने सहित कलाचित्रों के रासायनिक संरक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(i) चम्बा चिब्बो	गुम्फा
(ii) चोमलोंग	गुम्फा
(iii) डोमलोंग	गुम्फा
(iv) चिलकोंग	गुम्फा

इन गुम्फाओं पर हुआ व्यय इस प्रकार है:—

1981-82	8,817,94 रुपये
1982-83	8,668,60 रुपये
1983-84	10,522,15 रुपये
1984-85	11,970,84 रुपये
1985-86	14,575,81 रुपये
1986-87	13,716,66 रुपये

इन कलाचित्रों के वैज्ञानिक संरक्षण का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है । वर्ष 1987-88 के दौरान शेरलोंग गुम्फा के कलाचित्रों के रासायनिक संरक्षण के लिए 7000 रुपये रखे गये हैं ।

(ग) और (घ) जी, नहीं

परिवार कल्याण कार्यों में तेजी लाने के लिए सात सूत्री योजना

877. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परिवार कार्यों में तेजी लाने के लिए इस क्षेत्र को संगठित करने हेतु एक सात-सूत्री योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की ग्रामीण जनता में परिवार कल्याण कार्यों के संबंध में किस सीमा तक जागरूकता लाई जा सकेगी तथा यह उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र के लिए सात सूत्री योजना, जैसी किसी योजना की सिफारिश नहीं की गई है। परन्तु, पिछले वर्ष सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक में ऐसे सात मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था जिन पर संबंधित क्षेत्र परिवार कल्याण विभाग के प्रयत्नों में मदद कर सकते हैं। वे मुद्दे इस प्रकार थे :—

(1) सहकारी संस्थाओं के सदस्यों में तथा उनके सदस्यों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना तथा साहित्य का वितरण करना, (2) जन नेता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, (3) सहकारी संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में प्रेरणात्मक अभियानों का आयोजन, (4) बड़ी सहकारी संस्थाओं को क्लिनिक और परिवार नियोजन शिविरों के आयोजन मे शामिल करना, (5) स्थानीय कलक्टर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों को वाहनों, कार्मिकों और अन्य संसाधनों की सहायता प्रदान करना, (6) गर्भनिरोधकों की बिक्री, (7) कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर की सभी समितियों में भाग लेना।

(ग) ग्रामीण लोगों में परिवार कल्याण का संदेश प्रचारित करने के लिए हर उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं प्रमुख नेटवर्क प्रदान करती हैं। चूंकि वे लोगों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनकी अपने सदस्यों के साथ घनिष्टता और कल्याण की भावना होती है। इस प्रकार परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में उनका प्रभाव बहुत उपयोगी होगा। सहकारी प्राथमिक समितियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारी और साहित्य पहुंचाने का उपयोग साधन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए बहुत जरूरी सेवाएं पहुंचाने में भी वे सर्वोत्तम साधन होंगी।

"खेलों" को समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव

878. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "खेलों" को जो इस समय राज्यों की सूची में है, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रभारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के 1983 और 1986 में हुए सम्मेलन में यह सर्वसम्मति हुई थी कि "खेलों" को राज्य सूची से निकालकर भारत के संविधान की समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया जाए जिससे राष्ट्रीय खेल नीति में निहित वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार देश में खेलों का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से इसे महत्वपूर्ण सिफारिश समझती है।

(ग) भारत सरकार मामले में राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है।

उड़ीसा में सम्बलपुर-राउरकेला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

879. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बल-राउरकेला सड़क (जो दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्सवों का आयोजन करना

880. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए उत्सव कार्यक्रम से कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सकारात्मक परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए "उत्सव" कार्यक्रम के प्रयोग से कोई प्रेरणा ली है; और

(घ) किन-किन राज्यों का उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने की नई योजना का कार्यान्वयन करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में नवम्बर, 1986 में आयोजित अपना उत्सव कार्यक्रम से दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों सहित विशाल जन समूह को भारत की समृद्ध तथा विविध सभी सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने को मिली। इससे भारत के विभिन्न

भागों के कलाकारों, कारीगरों, अभिनेताओं, लेखकों, लोक-कलाकारों, चित्रकारों आदि के एक साथ एकत्रित होने से परस्पर सांस्कृतिक सम्पर्कों और मिलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा मिला। इस उत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक एकता प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय एकता की ताकतों को बल मिल सके।

(ग) और (घ) यद्यपि हम राज्य सरकारों द्वारा आयोजित उत्सवों का अनुश्रवण नहीं करते, फिर भी यह स्पष्ट है कि सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना से गत कुछ महीनों में प्रारंभ किए गए सांस्कृतिक कार्यकलापों को महत्वपूर्ण गति मिली है। इन सांस्कृतिक केन्द्रों ने वर्ष भर के लिए बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए हैं। इन कार्यक्रमों में उत्सवों का आयोजन, चित्रकलाओं और शिल्पों की प्रदर्शनी तथा स्थानीय उत्सवों में अन्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण शामिल है। इन केन्द्रों द्वारा आयोजित कुछ उत्सव इस प्रकार हैं :—

(i) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर ने मार्च, 87 में मद्रास में समुद्रीउत्सव, अप्रैल, 1987 में अंडमान में द्वीप महोत्सव, मई, 87 में आन्ध्र प्रदेश में नृत्य महोत्सव आयोजित किया।

(ii) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला ने फरवरी, 87 में चंडीगढ़ में बाल उत्सव आयोजित किया।

(iii) उत्तर केन्द्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद ने फरवरी, 87 में इलाहाबाद में एक तीन दिवसीय उत्सव "चलो मन गंगा यमुना तीर", मार्च, 87 में भरतपुर में ब्रज महोत्सव, मई, 87 में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पर्वतीय पर्व और यात्रा आयोजित की।

(iv) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर ने फरवरी, 87 में बांसवाड़ा जनजातीय उत्सव, फरवरी, 87 में जैसलमेर में मरु उत्सव और फरवरी, 87 में नागदा नृत्य उत्सव आयोजित किया।

(v) दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर ने भोपाल में जनवरी, 87 में आदिवासी महोत्सव आयोजित किया।

मधुमेह के रोगी और इन्सुलिन का आयात

881. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में लगभग 600 लाख मधुमेह रोगी हैं जिनमें से 180 लाख भारत में हैं;

(ख) क्या सिंथेटिक इंसुलिन अथवा पिग पैंक्रियाज इंसुलिन अथवा आनुवांशिकी आधार पर उद्भूत बैक्टीरिया अथवा परिवर्द्धित, पोर्सीन इंसुलिन द्वारा तैयार ह्यूमलिन जैसे किसी अन्य विकल्प की गहन जांच की जा रही है और यदि हां, तो यह अनुसंधान और विकास किस स्तर पर है; और

(ग) कितने मूल्य का इंसुलिन वर्ष में आयात किया जाता है और इनके द्वारा वास्तव में इन इंसुलिनों से कितने रोगियों का उपचार किया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत में मधुमेह की व्यापकता लगभग दो प्रतिशत सूचित की गई है। मधुमेह के कुल 1.5 करोड़ रोगी हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में सिंथेटिक इंसुलिन का निर्माण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1986 से नवम्बर, 1986 तक इंसुलिन के आयात के लिए 58,91,107 रुपए की धनराशि खर्च की गई है। प्रत्येक रोगी के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा रोग की गम्भीरता और उपचार की अवधि को देखते हुए भिन्न-भिन्न होती है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि आयात की गई इंसुलिन से कितने रोगियों का उपचार किया जा सकता है।

कलाहांडी जिले में उच्च कोटि के माणिक (रूबी) भंडारों का पता चलना

882. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखाग्रस्त जिला कालाहांडी में हाल ही में उच्च कोटि के माणिक (रूबी) के विशाल भंडार पाए गए हैं;

(ख) क्या स्थानीय लोग अवैध रूप से इन भंडारों का उत्खनन कर रहे हैं जो इन बहुमूल्य पत्थरों को बिचौलियों को बेच देते हैं जिनके माध्यम से ये देश के अन्य भागों में रत्न विक्रेताओं के पास चले जाते हैं;

(ग) क्या कालाहांडी जिले के एक विशाल भूक्षेत्र में जम्बूमणि (अमेथिस्ट) (कोरंडम) कुरूविन्द आदि के विशाल भंडार भी है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानीय दस्तकारों को रत्नों के कटाई और और पालिस करने का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में यत्र-तत्र केवल अर्द्ध-कीमती किस्म के माणिक (रूबी) के छिट-पुट भंडार होने की सूचना है।

(ख) चूंकि ये कीमती पत्थर काफी बिखरे हुए क्षेत्रों में हैं, अतः इनकी राज्य से बाहर तस्करी होना संभव है। राज्य सरकार ने इन कीमती पत्थरों की अवैध खुदाई, खनन और बिक्री की रोकथाम के लिए उड़ीसा खनन निगम को प्राधिकृत किया है, जो इन क्षेत्रों में खोजी खनन हेतु 1981 से राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत है। उड़ीसा खनन निगम ने इन पत्थरों की बिखरे हुए क्षेत्रों में व्याप्ति को देखते हुए, जिले में खरीद केन्द्र खोले हैं ताकि स्थानीय लोग इन कीमती पत्थरों को सीधे उन्हें बेच सकें।

(ग) जी नहीं। कालाहांडी जिले में नीलम या सैफायर (कोरंडम की एक किस्म) छिट-पुट मात्रा में तथा जम्बुमणि (अमेथिस्ट) के अति अल्प मात्रा में मिलने की सूचना है।

(घ) रत्नों की तराशी और पालिश के लिए स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना तैयार की गई है तथा कुछ कारीगर, जयपुर, स्थित कारीगर प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायुक विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए एन० एम० आर० उपकरण

883. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायुक विज्ञान संस्थान, बंगलौर में एन० एम० आर० उपकरण नहीं हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायुक विज्ञान संस्थान ने केन्द्रीय सरकार से इस उपकरण की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त उपकरण की कीमत कितनी है; और

(घ) सरकार का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायुक विज्ञान संस्थान, बंगलौर को एम० एम० आर० उपकरण कब तक प्रदान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर से उप संस्थान से एन० एम० आर० उपकरण उपलब्ध करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस उपकरण की कीमत लगभग 4.70 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान संस्थान को विदेश से एन० एम० आर० उपकरण खरीदने के लिए अनुदान स्वरूप रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा से धन उपलब्ध करने की तत्काल कोई सम्भावना नहीं है।

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें

884. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों संबंधी चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चट्टोपाध्याय आयोग ने 26 मार्च, 1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच करने के लिए सरकार ने 16 अक्तूबर, 1985 को एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की। इस बीच आयोग द्वारा विचार किये गये महत्वपूर्ण विषय नई शिक्षा नीति

को तैयार करते समय भी विचाराधीन थे। अतः राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-I से संबंधित सरकारी निर्णय को रोक दिया गया था। इसके अलावा, चौथे वेतन आयोग को भी इस मामले की जानकारी दे दी गयी थी। इन सभी बातों से इस मामले में निर्णय लेने से कुछ विलम्ब हुआ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सरकारी निर्णय शीघ्र उपलब्ध होने की आशा है।

विवरण

डी० पी० चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की मुख्य सिफारिशें

1. अध्यापकों की भूमिका विशेष तौर पर निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देना होना चाहिए—

(1) एकीकृत भारत

(2) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया

(3) उत्पादकता

(4) मानव तथा रखरखाव सोसायटी

फिर भी ऐसा समझा जाता है कि अध्यापकों का प्रमुख कार्य मानव के निर्माण करने से संबंधित है अर्थात कल के भारतीयों का निर्माण करना।

2. निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय आरम्भ किए जाने चाहिए—

(क) मकान बनाने के लिए आसान तथा सुविधाजनक ऋण को सुकर बनाने के लिए अध्यापकों के लिए गृह निर्माण निधि का सृजन।

(ख) अध्यापकों के लिए गृह निर्माण संस्थाओं को बढ़ावा देना।

(ग) प्रमुख नगरों में अध्यापकों के लिए अवकाश सदनों की व्यवस्था।

(घ) मूल वेतन के 7.5% की दर से चिकित्सा भत्ता और मातृत्व और गंभीर बीमारी के लिए उपचार और उन पर होने वाले चिकित्सा खर्चों की सारी लागत की प्रतिपूर्ति।

(ङ) स्कूलों में प्राथमिक उपचार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था।

3. अध्यापकों की सेवा-निवृति के बाद उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं और चिकित्सा संबंधी देखभाल लगातार उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4. आयोग यह सिफारिश करता है कि सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों के लिए एक लाख क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी राय में 25,000 रुपए की लागत पर एक सस्ते आवासीय यूनिट का निर्माण करना संभव होना चाहिए।

5. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के कार्यकलाप विविध होने चाहिए जिनमें गृह निर्माण, चिकित्सा सहायता, पुस्तकों का प्रकाशन, शिक्षा ऋण, अध्यापक अतिथि सदनों आदि की योजनाएं शामिल होनी चाहिए।

6. केन्द्र तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के लिए एकल सतत वेतनमान आरम्भ करके उनके वेतनमानों की अनेकता को बदलने की संभावना का गंभीरता से पता लगाना चाहिए। इस देश में अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के सभी वर्गों के लिए एक मिश्रित राष्ट्रीय वेतनमान के प्रति पहले उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

7. आयोग द्वारा प्रस्तावित नए वेतनमानों को निर्धारित करने की नीति के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि राज्य में प्रत्येक माध्यमिक शिक्षक को औसतन 100 रुपए प्रति माह लाभ लोग जबकि एक प्राइमरी शिक्षक के मामले में 150 रुपए प्रति माह लाभ होगा।

8. आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रस्तावित समिश्रित चालू वेतनमान में सेवा में आने से 5 वर्षों के पश्चात् एक दक्षता रोध होगी तथा ऐसे ही प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात् होगी। ऐसा वेतन को निष्पादन से जोड़ने के लिए किया गया है। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि उन प्रत्येक बिन्दुओं पर जहां दक्षता रोध आती है उसे संस्थान के प्रमुख द्वारा आने वाले वर्षों में संबंधित शिक्षक के निष्पादन की समीक्षा किए जाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऐसा करने के लिए कि इस मूल्यांकन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाए यह सिफारिश की है कि जहां कहीं आवश्यक हो किसी दूसरे संस्थान के प्रमुख अथवा निरीक्षक को, जोकि ईमानदारी तथा पक्षपात न करने के लिए प्रसिद्ध हो उसे ऐसी समीक्षा करने के लिए बुलाना चाहिए।

9. केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि, यदि आवश्यक हो तो, वह समिश्रित चालू वेतनमानों के कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि प्रदान करनी चाहिए।

10. प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में वरिष्ठ पदों को संख्या को उप-प्रधानाचार्यों/प्रथम शिक्षक के अतिरिक्त पदों का सृजन करके पर्याप्त रूप में बढ़ानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या व्यापक रूप से आबंटन के अनुरूप होनी चाहिए; सहायक शिक्षक (60%), वरिष्ठ शिक्षक (25%), उप-प्रधानाचार्य (10%) और प्रिंसिपल/हैडमास्टर (5%)।

11. शारीरिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, संगीत तथा ड्राइंग आदि के शिक्षकों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

12. आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य को सातवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम एक चार वर्षीय समेकित शिक्षा कालेज को खोलकर शुरूआत करनी चाहिए।

13. प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए यह वांछनीय होगा कि उन्हें XII कक्षा के पश्चात् दो वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। इस पद्धति को प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक सामान्य पद्धति के रूप में यथाशीघ्र स्थापित किए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

14. एक सुझाव जिसको सभी ने स्वीकार किया है कि भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण को केवल उन्हीं शिक्षकों तक सीमित किया जाना चाहिए जिन्हें या तो भर्ती किया जा चुका है अथवा भर्ती के लिए चुन लिया गया है।

15. प्रत्येक सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सामान्य तौर से एक कार्यशाला के रूप में बनाना चाहिए जिसमें कि शिक्षण सामग्री को तैयार करने सहित वास्तविक व्यावहारिक कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा बाद में भाग लेने वाले शिक्षक उस सामग्री को उनके द्वारा अपने स्कूलों में प्रयोग के लिए वापस ले जाई सकें।

16. शिक्षक संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए।

17. एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम गैर निष्पादन तथा अकुशल का मेधावी तथा अनुशासनात्मक की आसान वास्तविक मान्यता देना होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई को अतिशीघ्र तथा अधिक कुशल बनाई जानी चाहिए।

18. एक हैडमास्टर के कार्य को अपने स्कूल में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनका चयन हमेशा वरिष्ठता एवं फिटनेस के आधार पर न करके बल्कि योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए।

19. इसके साथ ही स्कूल शिक्षा में स्तरों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाना चाहिए।

20. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

21. शिक्षक व्यवसाय के दर्जे में वृद्धि, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा देश में शैक्षिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा के गठन की सिफारिश की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सेवा में सुधार करने के लिए कदम

885. **श्री शांताराम नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सम्पर्कों में सुधार करने/स्थापना करने के लिए कोई वृहत योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, तो इस क्षेत्र में रेल सेवा में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित नयी रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं—

1. धर्मनगर	—कुमारघाट
2. सिलचर	—जीरीबाग
3. लालाबाजार	—भैराबी
4. बालीपाड़ा	—भालुकपोंग
5. आमगड़ी	—तुली

6. जोगीघोपा—गुवाहाटी, जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल सहित।

सिल्चर से जीरीबम तक रेलवे लाइन

886. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर से जीरीबम रेलवे लाइन के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इस रेलवे लाइन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) निर्माण की प्रगति का कार्य पिछले वर्षों में संसाधनों की कठिन स्थिति और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि की सुपुर्दगी में हुए विलम्ब के कारण प्रभावित हुआ था। अब इस परियोजना के 1990 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है बशर्ते कि भविष्य में संसाधन उपलब्ध होते रहें।

मणिपुर में हिन्दी प्रशिक्षण/प्रचार संगठनों को अनुदान

887. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में कितने और कौन-कौन से हिन्दी प्रशिक्षण/प्रचार संगठन/संस्थान अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक को दी गई पिछली अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अनुदान में वृद्धि करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान मणिपुर में 17 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। उक्त वर्ष में उसमें से प्रत्येक संगठन को संस्वीकृत अनुदानों की राशि नीचे दिए गए विवरण में दर्शायी गयी है। ये स्वैच्छिक संगठन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष अनुदान की राशि में वृद्धि करने से लिए इस मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हैं। ऐसे प्रस्तावों की क्रमशः राज्य स्तरीय समिति और इसके बाद केन्द्रीय सहायक अनुदान समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है। इनमें से जिन्हें स्वीकार कर लिया जाता है उन संगठनों को प्रदान की जाने वाली अनुदान की मात्रा समिति निर्धारित करती है और सरकार को इसकी सिफारिश करती है। तत्पश्चात् इन संगठनों को अनुदान संस्वीकृत करने के लिए सरकार की समिति की सिफारिशों से मार्गदर्शन किया जाता है।

क्र० सं०	संस्था का नाम	अनुदान की राशि
1.	वांघलेयी राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, इम्फाल	24,375 रुपए
2.	मणिपुर हिन्दी शिक्षक संघ, इम्फाल	14,250 रुपए
3.	आदिमजाति हिन्दी महाविद्यालय, मणिपुर	10,875 रुपए
4.	मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल	70,875 रुपए
5.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	1,08,667 रुपए
6.	अवांगखोयुमन सहकारी राष्ट्रभाषा हिन्दी महाविद्यालय, मणिपुर	8,287 रुपए
7.	सरस्वती हिन्दी विद्यालय, मणिपुर	12,600 रुपए
8.	यणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	30,000 रुपए
9.	नागा हिन्दी विद्यापीठ, इम्फाल	12,660 रुपए
10.	उड़िपोक हिन्दी महाविद्यालय, इम्फाल	17,850 रुपए
11.	थामाफासाना हिन्दी महाविद्यालय, इम्फाल	10,050 रुपए
12.	खबी हिन्दी महाविद्यालय, मणिपुर	11,625 रुपए
13.	नम्बोल हिन्दी प्रचार परिषद, मणिपुर	19,095 रुपए
14.	हिन्दी प्रचार परिषद, काकचिंग	19,260 रुपए
15.	आल मणिपुर हिन्दी टीचर्स एसोसिएशन, इम्फाल	31,170 रुपए
16.	खोइरेन्तक खुमान हिन्दी स्कूल, मोरिअंग	17,475 रुपए
17.	राष्ट्रभाषा शीघ्रलिपि कालेज, मणिपुर	1,08,900 रुपए

मणिपुर का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

888. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय खोलकर इस राज्य का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण जोरदार ढंग से चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखकर कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई गंभीरतापूर्वक कदम नहीं उठाए गए हैं, इस प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने मणिपुर में अपने कार्यकलाप तेज किए हैं और उसने अनेक भू-वैज्ञानिक खोजें शुरू की हैं । तथापि, मणिपुर में अलग क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि जी० एस० आई० का शिलांग स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय तथा मणिपुर राज्य में भूगर्भीय खोजों के लिए जिम्मेदार दीमापुर स्थित भू-सर्वेक्षण निदेशालय मणिपुर में भू-वैज्ञानिक खोजों के लिए पूरी तरह से सचेष्ट है । मणिपुर में इस समय अवस्थापना और परिचालन संबंधी स्थितियां ऐसी नहीं हैं, कि वह अलग क्षेत्रीय कार्यालय खोलना जरूरी हो । चालू फील्ड सत्र में जी० एस० आई० के पास मणिपुर में 18 खोज कार्यक्रम हैं, जिसमें मानचित्रण कार्य, पर्यावरण भू-भौतिकी तथा भू-तकनीकी अध्ययन कार्य शामिल हैं ।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए संशोधित आवंटन

889. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पहले आबंटित की गई धन-राशि में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है अथवा आबंटित करने का विचार है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान कैंसर नियंत्रण के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कैंसर के क्षेत्र में विशेष तौर से तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाएं । यह भी प्रस्ताव है कि बहुत से और अस्पतालों में स्वास्थ्य के कैंसर का शुरू में पता लगाने के लिए पैप स्मीयर सुविधा की व्यवस्था की जाए । यह भी प्रस्ताव है कि कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों को खोलने और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट थैरेपी यूनिटों को खरीदने के लिए और अधिक अस्पतालों/संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए ।

आदिवासी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों पर अनुसंधान

890. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ी बूटियों पर कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों पर सरकार के किस संगठन ने अनुसंधान किया है; और

(ग) किए गए अनुसंधान कार्य के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) से (ग) सरकार द्वारा स्थापित बहुत से अनुसंधान संगठनों अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान किया है। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने आदिवासी और अन्य क्षेत्रों में जड़ी-बूटी विद्या पर जानकारी प्राप्त करने के लिए चिकित्सा-वानस्पतिक सर्वेक्षण किए हैं। परिषद् ने लगभग 3000 लोक-विद्या सम्बन्धी प्रमाण एकत्र किए हैं और इनकी आगे वैज्ञानिक जांच की जा रही है। बिहार के आदिवासी लोगों द्वारा गर्भ निरोधक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही "वन्ध्यावरी" (वाइकोआ इंडिका) औषध की प्रभावकारिता का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सहयोग से आगे और अध्ययन किया जा रहा है। परिषद् की कुछ अनुसंधान परियोजनाओं में भी इस औषध के नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत केन्द्रीय औषधीय और सुगन्धित पादप संस्थान, लखनऊ तथा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू भी मानव-चिकित्सा विषयों और औषधीय पादपों पर आदिवासी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के काम में लगे हुए हैं।

लोक सभा चार बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हमले के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज प्रातः कोलम्बो से प्रधान मन्त्री के प्रस्थान के समय उन पर घृणित प्रहार के बारे मे जानते हैं। सभा ने प्रधान मन्त्री के जीवन पर प्रहार की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की है। हमें यह जानकर वास्तव में बहुत राहत मिली है कि वह सुरक्षित देश लौट आए हैं। मुझे विश्वास है कि सभा प्रधान मन्त्री को शुभकामनाएं भेजने और देश की सेवा करने हेतु उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने में मेरे साथ शरीक होगी।

यह उनके लिए बहुत साहस की बात है कि श्रीलंका के हालात का पता होते हुए भी वहां बड़े साहस और धैर्य के साथ गये और समझौता किया। हमें उन पर गर्व है।

सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : आपकी अनुमति से, जैसा कि सदन के नेता श्री राजीव गांधी ने इच्छा जाहिर की है, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा द्वारा 29 जुलाई, 1987 को आदिष्ट श्री अजय बिश्वास का निलम्बन तुरन्त समाप्त किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा प्रस्ताव से सहमत है । प्रश्न यह है :

"कि सभा द्वारा 29 जुलाई, 1987 को आदिष्ट श्री अजय बिश्वास का निलम्बन तुरन्त समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार, निलम्बन वापस ले लिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भगत जी से एक ही बात कहना चाहता हूं :

"शोरगुल में फैसला चुप-चाप हो गया । एजेन्ट किसका कौन है, यह साफ हो गया ।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रत्येक चीज का अन्त होता है और अच्छे कार्य चालन के लिए इन छोटी-छोटी बातों को भुला दिया जाना चाहिए । सभी तरफ से यह एक सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए । मेरे विचार से राष्ट्र हित के लिए हमें एक होकर कार्य करना चाहिए ।

4.03 म० प०

नई दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं, 30 जुलाई, 1987 की प्रात: दक्षिण दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय घटना के बारे में माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं ।

30-7-1987 को 5 बजकर 47 मिनट पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष में टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि बी-91, कालकाजी, नई दिल्ली में गोली चलाए जाने की घटना हुई है। पुलिस नियन्त्रण कक्ष के वाहन 5 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्हें बताया गया कि नीले रंग का एक स्कूटर सं० डी० एच० ई० 8301 मकान पर आया जिस पर 2 व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महानगर पार्षद श्री हंसराज सेठी पर गोली चलाई। जख्मी व्यक्ति को अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। यह भी मालूम हुआ कि हमलावरों में से एक सिख था जिसकी उम्र 17-20 वर्ष, लम्बाई 5 फुट 7 इन्च, गोरा रंग, इकहरा बदन था और जिसकी दाढ़ी मूंछें नहीं थीं। वह केसरी रंग का पटका पहने हुए था। दूसरा हमलावर मोना था जिसने हेलमेट पहन रखा था। दोनों हमलावरों ने "खालिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाए और घटना स्थल पर गालियां दीं। पुलिस स्टेशन कालकाजी नई दिल्ली का एस० एच० ओ० 6 बजकर 4 मिनट पर घटना स्थल पर पहुंचा और घटना स्थल से "भिण्डरवाला टाइगर फोर्स" का लेटर पैड बरामद किया।

5 बजकर 50 मिनट पर रेड अलर्ट का संकेट दिया गया और सभी पुलिस नियन्त्रण कक्ष वाहनों ने सड़कों पर दुपहिए स्कूटरों को चैक करना शुरू कर दिया। 6 बजकर 11 मिनट पर यह मालूम हुआ कि स्कूटर का सही नम्बर डी० एच० बी० 8301 है। चैकिंग में सहायता करने के लिए पुलिस स्टेशन से तत्काल अधिक से अधिक जवान भेजे गए। पुलिस की कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे।

कुछ ही मिनटों बाद 10/14 कालकाजी एक्शटेन्शन में गोलीबारी की दूसरी घटना हुई। यह मालूम हुआ कि एक लाल रंग की मोटर साइकिल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री बी० आर० मुंजाल, के घर पर गई और उनके भाई श्री सुदर्शन मुंजाल पर गोली चलाई जो घर से बाहर नजदीक के खाली प्लाट में थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां घायल होने के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर 0.455 केलीबर 9 मी० मी० की 57 कारतूसों का एक पौच और "भिण्डरवाला टाइगर फोर्स" का एक लेटर हैड का कागज बरामद किया गया। गोली चलाने वाला हमलावर औसतन शरीर का व्यक्ति था जिसकी लम्बाई 5 फुट 7 इंच, आयु 20-22 वर्ष, चौड़ा चेहरा, तिरछी मूंछें और उठी हुई नाक थी। दूसरी हमलावर लाल रंग का हेलमेट पहने हुआ था।

इन घटनाओं के विवरण सभी वाहनों और सड़कों पर वाहनों की जांच करने वाले तथा क्षेत्र में गश्त लगाने वाले सभी कर्मचारियों को भेजे गए। 7 बजकर 42 मिनट पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक वाहन ने स्कूटर नं० डी० एच० वी० 8301 को मकान संख्या 878 सैक्टर 9, आर० के० पुरम, नई दिल्ली के सामने छोड़ा हुआ पाया। स्कूटर को हिरासत में ले लिया गया है और अंगुलियों के निशानों और अन्य सुरागों की जांच की जा रही है। दूसरी घटना में प्रयोग की गई मोटर साइकिल भी मालवीय नगर से बरामद की गई जहां उसे छोड़ा गया था। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है और एक हमलावर का पता भी लगा लिया है।

अनेक खोजी दलों ने सभी ज्ञात छुपने के स्थानों पर खोजबीन शुरू कर दी है और अपराधियों की खोज कर रहे हैं। इन हत्याओं के विरोध में शहर में किसी प्रतिक्रिया के लिए भी पुलिस प्रबन्ध किए गए हैं।

आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक छोड़ा हुआ सूटकेस भी पाया गया जिसमें 2 टाइम बम थे। सूटकेस का पता लगा लिया गया है और टाइम बमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है।

मैं माननीय सदन से मेरे साथ इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निन्दा करने और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति व्यक्त करने का अनुरोध करूंगा। हम सब उनके दुःख में शरीक हैं।

आतंकवाद को रोकने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों की संख्या बढ़ाकर 24 घण्टे के लिए 165 कर दी गई है। स्वचालित हथियारों सहित और वायरलैस सैटों से सज्जित 100 टुकड़ियां सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात कर दर दी गयी हैं। आसूचना तन्त्र को सक्रिय कर दिया गया है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सेना से शहर के संवेदनशील स्थानों में तैयार रहने के लिए कहा गया है।

समस्त दिल्ली में एक सप्ताह के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से सौहार्द और शान्ति बनाए रखने में मदद करने की अपील करता हूं। सरकार अपराधियों को पकड़ने और उनके साथ सख्ती से निपटने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

4.09 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सा० का० नि० 450(अ), जो 4 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1987 अनमोदित किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4519/87]

(दो) सा० का० नि० 454(अ), जो 5 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (छुट्टी) विनियम, 1987 अनुमोदित किए गए।

(तीन) सा० का० नि० 455 (अ), जो 5 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहनों के क्रय के लिए अग्रिमों का अनुदान) विनियम, 1987 अनुमोदित किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4520/87]

रामपुर रजा लाइब्रेरी (रखरखाव) विनियम, 1987 और वर्ष 1985-86 के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 28 की उपधारा (4) के अन्तर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी (रख-रखाव) विनियम, 1987, जो 18 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०-8-4/आर० आर० आर० एल०/84 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4521/87]

(2) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 4522/87]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4.10 म० प०

दक्षिण-पश्चिम मानसून के रुख और फसलों पर इसके प्रभाव के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (डा० जी० एल० डिल्लों) : महोदय, मैं दक्षिण-पश्चिम मानसून के रुख और खरीफ फसल के उत्पादन पर इसके प्रभाव बारे में वक्तव्य देने के लिए सदन की इजाजत चाहता हूं। मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यगण दक्षिण-पश्चिम मानसून के असामान्य रुख से बहुत चिंतित हैं।

दक्षिण केरल में, मानसून ठीक समय पर आया और धीरे-धीरे मध्य जून तक उत्तर की ओर संतोषजनक रूप से बढ़ता रहा। इसके बाद इसकी गति धीमी हो गई और यह 23 जून को ही बिहार की ओर बढ़ा। अगले 12 दिनों तक यह निष्क्रिय रहा। सिर्फ 8 जुलाई को ही यह हिमाचल प्रदेश को पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर की ओर बढ़ा, हालांकि पश्चिम राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में पहली जुलाई तक ही इसे पहुंच जाना चाहिए था। पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 26 जुलाई, 1987 तक वारिश नहीं हुई थी। दिल्ली को मानसून के देर से आने के 80 साल पुराने रिकार्ड को तोड़ने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ।

22 जुलाई, 1987 तक 35 मौसम-विज्ञानी उप-मंडलों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उस तारीख तक 35 उप-मंडलों में से केवल 10 उप-मंडलों में सामान्य या अधिक वर्षा हुई। यह 1986 को इसी अवधि में से 23 उप-मंडलों, 1985 में 27 उप-मंडलों और 1984 में 26 उप-मंडलों के विपरीत हुआ है। इस प्रकार वर्तमान मौसम की प्रगति असंतोषजनक रही है। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक के कुछ भागों को छोड़कर देश के अन्य भागों में सामान्य वर्षा की तुलना में वर्षा की कमी 20 प्रतिशत या इससे अधिक रही है। हमारी खेती की जाने वाली भूमि का लगभग 70 प्रतिशत असिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत है। हम मानसून की अनिश्चितता से खूब वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, मूंगफली और सोयाबीन हमारी फरीख की महत्वपूर्ण फसलें हैं। हमारे किसान वास्तव में उपलब्ध नमी का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना जानते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सूखा प्रवण और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मौसम को अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकस्मिक योजनाओं को तैयार करने के बारे में राज्य सरकारों के साथ अप्रैल, 1987 में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत जब सामान्य फसल नही उगाई जा सकती, तब थोड़ी ही अवधि में तैयार होने वाली किसी वैकल्पिक फसल को हमारे किसान अक्सर उगाते हैं, जिसके बीज राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। अप्रैल, 1987 में ही भारत सरकार ने ऐसी आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए बीजों का पर्याप्त वफर स्टाक बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ योजनाएं तैयार कर ली थीं।

मेरे मन्त्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि कृषि के पम्पसैटों को चलाने के लिए बिजली और डीजल के प्रावधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ताकि किसान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भू-गत जल जहां उपलब्ध हो, वहां उसका उपयोग कर सकें। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों द्वारा की जाने वाली सिंचाई में सहायता देने के लिए उद्योगों को दी जाने वाली बिजली के आबंटन में कटौती करने की रिपोर्ट दी है।

मुझे विश्वास है, कि इस संकट की घड़ी में सदन किसानों के साथ मजबूत करने में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा। हालांकि राज्य सरकारों ने उपयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी है, फिर भी नई दिल्ली में मेरे मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई को वास्तव में उनके साथ एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि स्थिति की समीक्षा की जाए और उपलब्ध नमी का अच्छे से अच्छा प्रयोग करने के लिए आगे की कार्यवाही तय की जाये।

यह निश्चय किया गया कि देर से वर्षा होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में थोड़ी अवधि में तैयार होने वाली वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए राज्य सरकारें अपनी आकस्मिक योजनाओं का प्रयोग करें। रबी के दौरान बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं में बहुमूल्य सिंचाई संसाधनों को बचा कर रखने की हर संभव कोशिश की जाएगी। अगस्त के महीने के दौरान केन्द्र और राज्य के द्वारा रबी मौसम के लिए संयुक्त परिचालन योजनाएं निम्न प्रयोजन के लिए तैयार की जाएंगी :

—अधिकतम संभव सस्यगत क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना,

—राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की उगाना,

—खरीफ 1987 के दौरान बीज उत्पादन में हुई क्षति को पूरा करने के लिए एक आपात-कालीन बीज उत्पादन योजना शुरू करना, जिससे कि 1988-89 को बीज की समस्त आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरी की जा सकेगी।

नलकूपों और फिल्टर केन्द्रों के माध्यम से लघु सिंचाई का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यगण हमारे पशुओं के लिए चारे के बारे में भी चिंतित हैं। राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वे सौजूदा सूखे से पशुओं को बचाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कार्यवाही करें। इन उपायों में वन विभागों से चारे की अधिप्राप्ति, चारा बैंकों की स्थापना, मानव उपयोग के लिए अयोग्य खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, पशु आहार के पूरक के रूप में यूरिया, शोरे के डलों के उत्पादन को बढ़ाना आदि शामिल है।

हमारे गत अनुभवों से यह स्पष्ट है कि असामान्य मानसून के वर्षों में पेय जल की कमी एक गम्भीर समस्या बन जाती है। मेरे मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने इस स्थिति का सामना करने के लिए एक कार्यवाही योजना शुरू की है। इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

—संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए धनराशियों के आबंटन में प्राथमिकता।

—सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 1987 तक राज्य योजनाओं का नवीनकरण।

—सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के जलाशयों से पीने के लिए पानी का संरक्षण।

—ऐसे तालाबों में उपयुक्त रसायनों का छिड़काव करके भाप से होने वाली पानी की क्षति को कम करना।

—भू-गत जल की निकासी पर नियंत्रण और अन्य उपाय।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि असामान्य मानसून से निपटने तथा किसानों और हमारी आबादी के अन्य वर्गों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं, मेरा मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क रख कर काम करेगा। हमने पहले भी सूखों और बाढ़ों का सामना किया है और अपने लोगों को प्रशंसा प्राप्त की है। हमारी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक शक्ति यह है कि हमारे खाद्यान्नों के भंडारों में गेहूं और चावल की बड़ी मात्राएं मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार विद्यमान आकस्मिकता का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकेगी।

4.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : श्रीमान्, मुझे बड़े दुख के साथ सदन को दो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के बारे में सूचित करना पड़ रहा है जिनमें पहली दुर्घटना 9-7-87 को

दक्षिण मध्य रेलवे पर गाड़ी नं० 21 हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस की तथा दूसरी 27-7-87 को पूर्व रेलवे पर गाड़ी नं० 316 बड़हरवा-रामपुर हाट पैसेंजर की है।

गाड़ी नं० 21 एक्सप्रेस काजीपेट-बल्हारशाह खंड पर मंचेरियल स्टेशन से 4.27 बजे रवाना हुई थी और लगभग २ कि० मी० की दूरी पार करने के बाद मंचेरियल और मंडमारी स्टेशनों के बीच लगभग 4.35 बजे दुर्घटनास्त हो गई थी। यह गाड़ी अभूतपूर्व भारी वर्षा होने के कारण एक सिंचाई जलाशय का तटबंध टूट जाने से भारी बाढ़ की चपेट में आ गयी थी। इससे पहले कि यह आगे बढ़ सकती बाढ़ की तेज धार गाड़ी के नीचे के एक तटबंध के भाग को बहा ले गयी जिससे गाड़ी के 18 सवारी डिब्बों मे से 14 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे सवारी डिब्बों में से 10 सवारी डिब्बे पानी के तेज बहाव से बह गये। इनमें से दो सवारी डिब्बे, अर्थात गाड़ी के इंजन से चौथा और पांचवां डिब्बा, रेलपथ से लगभग 40 मीटर की दूरी तक बह गये।

दुर्घटना होने के लगभग 20 मिनट पहले समीपवर्ती रेलपथ पर मंचेरियल की ओर जाने वाली एक माल गाड़ी इसी भाग से गुजर गयी थी और माल गाड़ी के ड्राईवर द्वारा किसी असामान्य घटना की रिपोर्ट नहीं की गयी थी।

रिकार्डों के अनुसार, इससे पूर्व इस खण्ड में बाढ़ के कारण कभी कोई क्षति नहीं हुई थी। संदर्भाधीन सिंचाई जलाशय रेलपथ के चढ़ाव की ओर लगभग 3 कि० मी० पर स्थित था, जिसकी देख-रेख राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 55 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और तीन को चोटें आयीं, जिनमें से दो व्यक्तियों को मामूली चोटें लगी थीं। अधिकतर व्यक्ति इन्जन से चौथे और पांचवें सवारी डिब्बों में हताहत हुए थे। ये सवारी डिब्बे विशाखापत्तनम से हजरत निजामुद्दीन के लिए दूसरे दर्जे के थ्रू शयनयान थे, जिन्हें इसे गाड़ी में काजीपेट से जोड़ा गया था।

चूंकि तेज बाढ़ से प्रभावित रेलपथ के साथ के रेलवे टेलीफोन सर्किट भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे, अतएव प्रथम सूचना मंचेरियल स्टेशन को पैदल चलकर ही देनी पड़ी। इसके तुरन्त बाद सहायता और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। मदद और सहायता के लिए उपयुक्त स्तर पर राज्य सरकार की एजेन्सियों के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया गया। अन्य स्थानों से राहत गाड़ियों के आने तक मौके पर उपलब्ध रेल अधिकारियों द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों के साथ-साथ गाड़ी के यात्रियों में से स्वयंसेवकों, जिनमें सेना के जवान प्रमुख थे, द्वारा स्वेच्छा से की गयी सहायता से तत्काल बचाव कार्य आरम्भ कर दिये गये थे।

सबसे पिछले चार सवारी डिब्बे, जो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए थे, का उपयोग करके यात्रियों को दुर्घटनास्थल से मंचेरियल स्टेशन तक ले जाने के प्रबन्ध किये गये। इस प्रकार 700 से अधिक यात्रियों को मंचेरियल लाया गया जहां उन्हें भोजन और जलपान कराया गया। इसके बाद लगभग 400 यात्रियों को, जो उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखना चाहते थे, 10 बसों की व्यवस्था करके सड़क मार्ग से बेल्लमपल्ली ले जाया गया। उनकी आगे की यात्रा के लिए बेलमपल्ली से नयी दिल्ली की तरफ एक विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गयी। लगभग 300 यात्रियों के लिए, जो हैदराबाद अथवा वाल्तेरु की ओर लौटना चाहते थे, मंचेरियल से एक दूसरी विशेष गाड़ी का प्रबन्ध किया गया।

रेल प्रशासन द्वारा प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 5,000 रु० गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 2,000 रु० तथा उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसे मामूली चोटें आयीं, 250 रु० की दर से अनुग्रह राशि भुगतान करने के प्रबन्ध किये गये थे।

केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री जे० वेंगलराव के साथ मैं 10 तारीख को प्रातः दुर्घटना स्थल देखने गया, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्य इन्जीनियरी, रेलवे बोर्ड भी मेरे साथ गये थे।

रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र इस मामले की सांविधिक जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रभावित खण्ड पर रेल संचार के पुनः स्थापन का कार्य दिन-रात युद्ध स्तर पर किया गया था। डाउन लाइन पर जिसे तुलनात्मक रूप से कम क्षति पहुंची थी, यातायात 12 जुलाई को, और अप लाइन पर 17 जुलाई को पुनः चालू कर दिया गया।

इतने अधिक व्यक्तियों की जीवन हानि से पहुंचे हमारे दुख और विषाद को शब्दों द्वारा ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शोक संतप्त परिवारों के साथ हार्दिक संवेदना और सहानुभूति पहुंचाने में सदन मेरे साथ है।

मैं इस अवसर पर बचाव तथा राहत कार्यों में नागरिक प्रशासन, समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों, विभिन्न औद्योगिक स्थापनाओं तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी निकाओं तथा अनेक स्वयंसेवकों द्वारा, जिनमें गाड़ी के यात्री भी शामिल थे, की गयी सहायता के लिए उन सबकी सराहना करता हूं। मैं इस गाड़ी से यात्रा कर रहे सेना के कुछ जवानों की साहसिक भूमिका का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा।

316 डाउन बड़हरवा-रामपुर हाट पैसेंजर 27-7-1987 को लगभग 13.10 बजे पूर्व रेलवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। जब यह गाड़ी बड़हरवा-खाना खण्ड पर मुरारई और चात्रा स्टेशनों के बीच पुल संख्या 201 पर से गुजर रही थी, तब इसकी 2 बोगियां पटरी से उतर गयीं तथा 3 पुल से उतर गयीं जिनमें से दो नदी में गिर गयीं। इस गाड़ी में सात सवारी डिब्बे लगे थे। यह छोटा पामला नदी पर 18 स्पैन का पुल था।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, 7 व्यक्तियों को गम्भीर तथा 27 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। घायल व्यक्तियों को सिविल अस्पताल, रामपुर हाट और चात्रा तथा मुरारई के स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाया गया। सूचना प्राप्त होते ही आधार स्टेशनों से चिकित्सा यान दुर्घटना स्थल को रवाना कर दिये गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी दुर्घटना स्थल को रवाना हुए। मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रबन्ध कर दिया गया है।

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये हैं जो इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

4.23 म० प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : महोदय/महोदया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संविधान में प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने हेतु, संविधान में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। भारत सरकार ने, संविधान में संशोधन करके, 1978 में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से की कि आयोग व्यावहारिक रूप से विशेष अधिकारी के ही कार्य करे। तथापि, इस संबंध में संविधान संशोधन के सरकारी प्रयास उस समय सफल नहीं हुए। परिणामतः, आयोग तथा आयुक्त लगभग एक जैसे कार्य ही करते रहे हैं।

हमने इस मामले की ध्यान-पूर्वक जांच की है। इस संबंध में सरकार का विचार संविधान में किसी प्रकार के संशोधन करने का नहीं है। हम इसके बजाए, अनुच्छेद 338 में परिकल्पित विशेष अधिकारी के संवैधानिक तंत्र को और अधिक कारगर बनाना चाहेंगे और इसीलिए हम उसके कार्यालय में वृद्धि करके, चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले अनुशासनात्मक तंत्र की व्यवस्था भी करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान तथा कल्याण के तौर-तरीके से जुड़े मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के संबंध में सरकार को सहायता तथा सलाह देने हेतु, हमें राष्ट्रीय स्तर के एक निकाय की भी जरूरत है। बदलती परिस्थितियों का तकाजा है कि सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नई उपेक्षाओं की पूर्ति हेतु, नीति, कार्यक्रम, प्रशासनिक ढांचे तथा एजेंसियों में समुचित परिवर्तन किए जाएं। अतः, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का नया नाम देकर इसके कार्यों को पुनः परिभाषित करने और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार करने का विचार है।

इस संबंध में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4522-ए/87]

4.25 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के

अन्तर्गत प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए प्रो० नारायण चन्द पराशर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिए प्रो० नारायण चन्द्र पराशर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.26 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1987 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बनातवाला अपना भाषण देंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मुझे एक छोटा-सा निवेदन करना है। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि सामुदायिक स्थिति पर, समिति द्वारा बाद में निर्धारित की गई तारीख को चर्चा की जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि इस समय एक बहुत गम्भीर स्थिति है। मेरठ में काफी समय से साम्प्रदायिक हिंसा जारी है। दिल्ली में तनाव की स्थिति है। मेरठ के निकट निर्दोष बस यात्रियों की हत्या के विरोध में आज दिल्ली बन्द का आयोजन किया गया है। रेल यात्रियों पर आक्रमण किए जा रहे हैं।

इसलिए स्थिति गम्भीर है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा के लिए तारीख निर्धारित की जाए। मेरठ, दिल्ली और गुजरात में हिंसा के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी। परन्तु अब जबकि कार्य मंत्रणा समिति ने यह कहा है कि इस विषय पर चर्चा की जायेगी। मैं जोरदार शब्दों में यह अनुरोध करता हूं कि जितना वाद-विवाद के लिए यथासम्भव जल्दी की तारीख निर्धारित की जाए। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री उठकर इस सभा में वक्तव्य देंगे।

हमारे पास एक वक्तव्य है। कालकाजी और अन्य स्थानों पर जो कुछ हुआ उसके बारे में वक्तव्य दिया गया है। परन्तु यह दुःख का विषय है कि इतने अधिक स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा के बावजूद माननीय गृह मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। अतः उन्हें तुरन्त अपना वक्तव्य देना चाहिए और हमें शीघ्र ही इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय श्री भगत जी अपना भाषण देंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : दिल्ली, मेरठ और देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में सरकार बहुत चिन्तित है। समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने और इस संबंध में कुछ कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सरकार स्वयं ही माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श करके साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1987 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.30½ म० प०

बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रश्नों की जांच करने हेतु संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाए क्योंकि विरोधी पक्ष के अधिकतर सदस्य यहां उपस्थित नही हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, विरोधी पक्ष के मित्र दूर रहना चाहते हैं और मेरे माननीय मित्र उन्हें सलाह दे सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम यहां उपस्थित हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपना भाषण देने दीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि आप किस भावना से यह सुझाव दे रहे हैं और मुझे आशा है कि आप हमारे मित्रों को वापस आने के लिए सहमत कर लेंगे। उनकी अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। वास्तव में उनमें से कुछ लोगों ने अपने प्रतिस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और हम उनकी बात सुनना चाहेंगे। हमें कुछ नहीं छिपाना है। यदि हम कुछ छिपाना चाहें तो इस समय उनकी अनुपस्थिति में इसे पारित करना हमारे लिए आसान है परन्तु हम इस भावना से इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हम यह चाहेंगे कि वे इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लें और हमें अपने विचार बताएं और तथ्यों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति में हमें सहयोग प्रदान करें। मेरी समझ में नहीं आता कि वे इससे पीछे क्यों हटते जा रहे हैं। इसलिए यदि यह सभा और सभापति महोदय चाहते हैं तो हम इस बारे में सोमवार को चर्चा करने के लिए सहमत हैं। और उस समय मैं अपना वक्तव्य दूंगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र, मेरे अन्य मित्रों को भी मनाने में सफल हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

एक माननीय सदस्य : यह एक सदभावना का प्रदर्शन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं।

4.32 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 30-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

4.32½ म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1987 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

4.33 म० प०

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भजन लाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं।

4.34 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वैशाली एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर यह देखने को मिलता है कि दिल्ली और नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों पर काफी भीड़ होती है परन्तु नई दिल्ली से चलने

---

*दिनांक 30-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

वाली वैशाली एक्सप्रेस में तो इतनी भीड़ होती है कि पूरी गाड़ी खचाखच भर जाने के बाद कुछ लोगों को डिब्बों की सीढ़ियों पर बैठे तथा डिब्बों के बाहर लटके हुए यात्रा करते अक्सर देखा जा सकता है। मेरे विचार से यात्रियों को इस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि इस रूट पर एक और ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए, यदि यह तत्काल संभव न हो तो कम से कम दो डिब्बे तो इसमें अविलम्ब जोड़ ही दिए जाएं जिससे यात्रियों को ट्रेन में लटक कर यात्रा न करनी पड़े। दूसरी समस्या इस ट्रेन के साथ यह है कि यह ट्रेन 10 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचती है जबकि अलीगढ़ यह ट्रेन सात बजकर तीस मिनट पर पहुंच जाती है और आसानी से 9 बजकर तीस मिनट पर नई दिल्ली पहुंच सकती है क्योंकि यही ट्रेन वापस जाते वक्त इस दूरी को प्रतिदिन दो घंटे में ही पूरी करती है। यदि इस ट्रेन को नौ बजे या इससे पहले नई दिल्ली पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाए तो यात्रा उसी दिन अपना कार्य करके दिल्ली से वापस इसी ट्रेन से जा सकते हैं और उनके लिए जो रात में ठहरने की समस्या होती है वह समाप्त हो जाएगी तथा अन्य यात्री जो कार्यालय में कार्य करने तथा अन्य कार्यों से आते हैं वे सभी समय से पहुंच सकेंगे।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि निकट भविष्य में एक और ट्रेन नई दिल्ली से बरौनी तक चलाने की व्यवस्था तथा अविलम्ब कम से कम दो डिब्बों को जोड़ने तथा इस ट्रेन को 9 बजे तक नई दिल्ली पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दो) वर्तमान रिक्त पदों को भरने और नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को, विशेषतया डाक और दूरसंचार विभागों से, हटाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चंद पराशर (हमीरपुर) : 1984 से वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदा रिक्त पदों को भरने पर तथा नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगाये रखने के कारण योजना विकास के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं के जुटाये जाने की गति धीमी रही है। इस प्रतिबन्ध के कारण विभागों के सामान्य मानदण्डों के अनुसार अधिकांश नए प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी सकी है और लोगों की आवश्कतायें पूरी नहीं हो पाई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ विशेष मामलों में नियुक्ति के लिए कुछ मामलों में छूट दी गई है, तथापि इस प्रतिबन्ध का समग्र प्रभाव अच्छा नहीं रहा है। विशेषकर डाक और दूरसंचार विभागों के मामले में, जहां अनेक डाकघर खोलने के प्रस्ताव छठी योजना के मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किए जाने के बावजूद केवल कागज पर ही रह गए हैं। इसके अलावा, डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों और टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यभार बढ़ जाने तथा तदनुसार कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप कार्यक्षमता में गिरावट आई है और उसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई है। आरक्षित प्रशिक्षित पूल श्रेणी के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की स्थिति अनिश्चित हो गई है, जिसके कारण उनमें निराशा व्याप्त है।

राज्य सरकारों द्वारा दैनिक मजदूरी में वृद्धि किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दूरसंचार सुविधाओं को स्थापित करने अथवा उसके कार्य-निष्पादन में श्रमिकों की कमी हुई है। प्रतिबन्ध के बाद श्रमिकों की कार्य क्षमता गिरी है और वे कार्य के प्रति उदासीन रहे हैं।

अब समय आ गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रतिबन्ध को हटा लिया जाए और ताकि देश का विकास पुनः गति पकड़ सके।

(तीन) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पुनः छह दिवसीय सप्ताह करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 5 कार्य दिवस का सप्ताह लागू करने के वांछित परिणाम सामने नहीं आये हैं क्योंकि कुल कार्य करने के घन्टों में कमी हुई है और कार्यकुशलता में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत इससे कई राज्य-सरकारों के कर्मचारियों में ईर्ष्या तथा जलन की भावना पनपी है, केन्द्रीय सरकार के उन क्षेत्र संगठनों में भी ऐसा ही हुआ है जिनमें इस प्रणाली को लागू नहीं किया गया है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में पुनः विचार करे और छः कार्य दिवस के सप्ताह की पहली प्रणाली को पुन अविलम्ब लागू किया जाए।

(चार) मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैथिली भारत की एक अत्यन्त प्राचीन भाषाओं में से एक है। भाषाशास्त्रियों के अनुसार यह भाषा सम्भवतः संस्कृत जितनी पुरानी है। यह भाषा इस देश के लगभग तीन करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। भारत में विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक मैथिली द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं।

बहुत सारे समाचार-पत्र और पत्रिकाएं मैथिली में प्रकाशित की जाती हैं।

मैथिली के महत्व को स्वीकार करते हुए नेपाल ने इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देना स्वीकार कर लिया है लेकिन यह एक दुर्भाग्य की बात है कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में इसे अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

यह पता चला है कि भारत सरकार निकट भविष्य में कुछ और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने वाली है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाये और मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करे।

[हिन्दी]

(पांच) विदेशों में बसे भारतीयों से संबंधित मामलों को निपटाने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों के संरक्षण के लिए विदेश मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

आज दुनिया के कई दूसरे देशों में जैसे फीजी, मध्य अमरीका, गुआना, त्रिनिडाड, मारशिश, श्रीलंका में भारतीय मूल के प्रवासी हैं। बर्मा, युगांडा, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ तथा हो रहा है, उस तरफ ध्यान दिया जाये। आज स्पष्ट रूप से इनकी देखरेख के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।

थोड़े दिन बाद इस शताब्दी के अन्त तक हांगकांग में बसे भारतीयों की स्थिति भी काफी खराब होगी, वह नागरिकताविहीन हो जायेंगे। अतः एक राष्ट्रीय नीति की मैं पुरजोर मांग करूंगी। भारतीय मूल के निवासी दो तरह के हैं :—

(1) वर्षा पहले वतन छोड़कर गए तथा उस देश की जीवन पद्धति के अविभाज्य अंग हो गये,

(2) जो रोजगार या व्यापार के लिए विदेशों में गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है, अतः (1) विदेश मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से उनके हितों की चौकसी रखे, (2) भावनात्मक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था हो, (3) यदि प्रवासियों को विदेशों में दिक्कत हो और वे अपनी मूल भूमि पर लौटना चाहें, तो सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास की सुविधा उन्हें दी जाये।

अतः विदेशों में बसे भारतीयों की देखभाल के लिए कोई राष्ट्रीय नीति का बनाया जाना आवश्यक है।

(छह) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु एक शिक्षा आयोग गठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में लम्बे-लम्बे अन्तराल से अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति न होने के कारण इन क्षेत्रों के अध्ययनरत छात्रों के स्तर व परीक्षाफल के प्रतिशत में लगातार गिरावट आती जा रही है। कई स्थानों में 2 वर्ष से अधिक समय से विषय विशेष के अध्यापक नियुक्त नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान बार-बार इस ओर आकृष्ट किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस स्थिति के प्रति इस सीमान्त क्षेत्र में व्यापक असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को कहना चाहिए कि वह शीघ्रातिशीघ्र पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापक एवं प्रवक्ता आदि की नियुक्ति हेतु एक पर्वतीय शिक्षा आयोग का गठन करे तथा इसके माध्यम से शिक्षकों का पर्वतीय संवर्ग तैयार करे।

4.42½ म० प०

देश में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यद्यपि मामला अविलम्बनीय है परन्तु विरोधी पक्ष और प्रस्तुतकर्त्ता श्री इन्द्रजीत गुप्त के अनुपस्थित होने के कारण इस पर चर्चा स्थगित की जाए। अब सभा मद संख्या 14 पर चर्चा आरम्भ कर सकती है। इस विषय पर चर्चा बाद में की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री के सुझाव से सहमत हैं ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

4.43 म० प०

नारिएल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

माननीय सभा से नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1987, जिसे बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया था, पर विचार करने का अनुरोध करने से पहले मैं संक्षिप्त रूप से उस पृष्ठभूमि और उन कारणों को बताना चाहूंगा जिनके कारण इस विधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी ।

इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, जिसके अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, में संशोधना करना है ताकि बागवानी आयुक्त को, जो कृषि मंत्रालय में बोर्ड के कार्य को देख रहा है, एक पदेन सदस्य के रूप में बोर्ड में शामिल किया जा सके ।

वर्ष 1979 में जब नारियल विकास अधिनियम बनाया गया था उस समय बागवानी और फसल रोपण का कार्य कृषि और सहकारिता विभाग के फसल प्रभाग में कृषि आयुक्त द्वारा देखा जाता था, इसलिए उन्हें इस बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था । इसी दौरान बागवानी कार्यक्रमों का महत्व बढ़ा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी बढ़ा और बागवानी डिवीजन के नाम से बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में एक पूर्णत अलग डिवीजन बनायी गयी । चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर नारियल विकास और नारियल विकास बोर्ड का कार्य बागवानी आयुक्त द्वारा देखा जा रहा है अतः यह आवश्यक है कि उसे कृषि आयुक्त के स्थान पर बोर्ड का पदेन सदस्य बनाया जाए । बागवानी आयुक्त को शामिल करने से बोर्ड के कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन में तकनीकी निरीक्षण और मार्गदर्शन करने में काफी सहायता मिलेगी ।

इसलिए विधेयक में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) में संशोधन का प्रस्ताव है ।

विधेयक का विस्तृत उद्देश्य बताने के बाद किया जाने वाला संशोधन छोटा सा होने के कारण अब मैं माननीय सभा से विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ।

यह एक बहुत सरल विधेयक है । पहले केवल फसल प्रभाग होता था परन्तु अब उसके स्थान पर बागवानी प्रभाग भी है । अतः हम चाहते हैं कि कृषि आयुक्त के स्थान पर बागवानी आयुक्त को शामिल किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा यथापारित, पर विचार किया जाए ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है इस विधेयक का सीमित उद्देश्य अर्थात कृषि आयुक्त के स्थान पर बागवानीं आयुक्त को नारियल विकास बोर्ड का पदेन सदस्य बनाना है । चूंकि नारियल की खेती और नारियल विकास बोर्ड के प्रशासन की देख-रेख बागवानी आयुक्त द्वारा की जाती है इसलिए यह आवश्यक है कि उसे बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए । अतः मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु महोदय इस सभा द्वारा नारियल विकास बोर्ड का सदस्य चुने जाने के नाते और, नारियल की भूमि केरल से संसद सदस्य होने के नाते मैं सम्मानित सभा के समक्ष विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

महोदय, मैं अपने राज्य में 1979 से 1977 तक, लगभग छः वर्षों तक कृषि मंत्री था । इस अवधि के दौरान केरल सरकार ने बार-बार भारत सरकार से नारियल विकास बोर्ड की स्थापना के लिए निवेदन किया । जब तत्कालीन कृषि मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसान शाखा, कृषक कांग्रेस द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेने के लिए केरल आए तो वे इस बोर्ड की स्थापना के लिए सहमत हो गए और उन्होंने गोष्ठी में ही इसकी स्थापना करने की घोषणा कर दी थी । परन्तु इस सम्बन्ध में अधिनियम 1979 में जाकर पास हुआ और बोर्ड ने 1981 से काम करना आरम्भ किया । इसकी स्थापना करना का हमारा उद्देश्य राज्य के गरीब नारियल उत्पादकों की सहायता करना था ।

नारियल केरल को मुख्य फसल है । देश में जितनी भूमि पर नारियल की खेती की जाती है उसमें से आधी से भी अधिक भूमि केरल में है । केरल में कृषि भूमि पर हर जगह बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं । भूमि सुधार से लाभ लाभ प्राप्त गरीब अडाकुडी काश्तकार भी राज्य में नारियल उगाते हैं । राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था मुख्यतः नारियल पर और नारियल की खेती पर निर्भर है । लेकिन हाल ही में कुछ अन्य राज्यों ने तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में भी सीमित क्षेत्रों में नारियल के पेड़ लगाना शुरू कर दिया है । लेकिन इन राज्यों में से किसी की भी अर्थव्यवस्था नारियल पर निर्भर नहीं है ।

श्री पी० कुलनदेइवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मानसून के कारण ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : जो भी कारण हो लेकिन नारियल विकास बोर्ड के गठन के बाद भी कई प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं क्योंकि यह अभी आरम्भिक चरण में है । इसके अलावा पहले अध्यक्ष बीमार थे लेकिन वे मृत्यु होने तक उसी पद पर रहे अब पिछले कई महीनों से बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं है । भारत सरकार को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए । **(व्यवधान)**

नहीं, मैं नहीं चाहता ।

मैं संकीर्ण विचारों वाला नहीं हूं । मैं सबसे पहले भारतीय हूं और बाद मे केरलवासी । मैं ईमानदारी से इसमें विश्वास करता हूं लेकिन मैं केरल की जनता के हितों की रक्षा तथा उनके लिए तर्क करने के लिए प्रतिबद्ध हूं ।

नारियल की खेती हमारी एकाधिकार वाली खेती है। केवल केरल के लोग ही नारियल की खेती की समस्याओं को समझ सकते हैं, अतः मैं नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के लिए केरल से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जानते है मैं इसी इसी मुद्दे पर बार-बार इतना जोर क्यों दे रहा हूं। (व्यवधान)

इसलिए मैंने कहा, मैं पहले भारतीय और फिर केवल 'केरलवासी' हूं। नारियल की खेती हमारी एकाधिकार वाली खेती है। केरल में प्रत्येक स्थान पर हमने नारियल के पेड़ लगाये हैं। देश में और कहीं भी ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

इसलिए मैं कहता हूं मुझे व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति नारियल की खेती के दायित्वों और नाजुक समस्याओं को भली प्रकार जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री केरल में नारियल की खेती के महत्व को जानते है और इसीलिए उन्होंने केरल में नारियल विकास के लिए 23 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान की घोषणा की है। इसकी घोषणा करते समय उन्होंने नारियल को तिलहन के रूप में इसका उल्लेख किया। लेकिन भारत सरकार नारियल को तिलहन घोषित करने की अनिच्छुक है। मेरे विचार से भारत सरकार के तिलहन सम्बन्धी बहुदेश्यीय दल ने नारियल को तिलहन फसल के रूप में मान्यता नहीं दी है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह एक तिलहन फसल है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : नारिल विकास बोर्ड ने अपनी पिछली मीटिंग में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और उसे सरकार को भेजा :

> "केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात को देखते हुए कि देश में नारियल, वनस्पति तेल के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है नारियल को भी तिलहन की मौसमी फसल के समान महत्व दे। अत यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके संतुलित विकास के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जायें। उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निश्चय किया कि भारत सरकार से नारियल को तिलहन फसल के रूप में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया जाये।" (व्यवधान)

भारत सरकार ने देश में तिलहनों के विकास के लिए लगभग 170 करोड़ रुपए आबंटित किये हैं। अगर नारियल को भी तिलहन घोषित कर दिया जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है देश के गरीब नारियल उत्पादकों को न केवल केरल वालों को बल्कि पूरे देश के नारियल उत्पादकों को बहुत लाभ होगा। इससे कोई संदेह नहीं है।

केरल सरकार और गरीब कृषकों ने भारत सरकार से लगातार अनुरोध किया है कि वह नारियल के तेल और खोपरा के आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दे। भारत सरकार द्वारा खोपरा और नारियल के तेल आयात न किये जाने के नीति निर्णय ले लिए जाने के बाद भी औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर आज भी नारियल तेल का आयात किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अब नारियल और नारियल के तेल का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आयात किया जा रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : अतः श्रीमन, मेरा कहना यह है कि अगर आप देश में नारियल की खेती करने वाले कृषकों को बचाना चाहते हैं तो आपको खोपरा और नारियल के तेल का किसी भी प्रयोजन के लिए आयात किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नारियल विकास बोर्ड को चलाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं दिया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, बाद की अवधि के लिए अर्थात तीन वर्षों के लिए कुल नियतन की राशि 7.26 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब 2.42 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नियतन हुआ लेकिन पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह केवल 9.5 करोड़ है। इसका अभिप्राय एक वर्ष के लिए केवल 1.9 करोड़ रुपए का आबंटन हुआ। श्रीमन् जब देश में अधिक से अधिक योजनाओं और अधिक से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण खर्च बढ़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मद के लिए बजट प्रावधान को कम क्यों किया गया है। नारियल विकास बोर्ड को अधिकार दिए जाने के बारे में बोर्ड ने भी माननीय मंत्री जी को अपने अभ्यावेदन दिये हैं। श्रीमन्, यह दुर्भाग्य की बात है कि जो अधिकार अन्य बोर्डों जैसे रबर बोर्ड, चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड को दिए गए हैं वे भी नारियल बोर्ड को नही दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वही अधिकार नारियल विकास बोर्ड को क्यों नहीं दिये। क्या यह पक्षपात नहीं है ? क्या इसका कारण यह है कि देश में नारियल की खेती गरीब किसानों द्वारा की जाती है, मेरे विचार से इन बातों से पता चलता है कि इन नारियल उत्पादकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं उन व्यक्तियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। अतः श्रीमन् मेरा अनुरोध है कि इन गरीब कृषकों की सहायता की जाये। यह एक छोटा-सा संशोधन है और मैं, नारियल की खेती करने वालों को जिन अन्य समस्याओं और दूसरी बातों का सामना करना पड़ता है, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। निसन्देह, हमारे राज्य में अधिकांश वृक्ष बीमारी से प्रभावित हो गये थे। मैं विस्तार में जाकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अब मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को कृपया इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए और नारियल उत्पादकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। एक बार फिर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : श्रीमन्, क्योंकि यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक है, अतः हम इसे सीधे ही पास कर सकते हैं।

डा० जी एस० ढिल्लों : यह एक छोटा-सा विधेयक है जिसके द्वारा 'कृषि आयुक्त, शब्द के स्थान पर 'बागवानी आयुक्त' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा। यह पूरे विधेयक पर सम्पूर्ण चर्चा नहीं है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहें। मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। शाम 5-30 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य देना है। इसलिए मैं नहीं सोचता हूं कि इसमें और आगे देरी की जाये। लेकिन उस समय तक, अगर आप विधेयक पर बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० डेनिस, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, विधेयक का समर्थन कर हुए मैं कुछ मुद्दों पर कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, यह विधेयक बहुत ही साधारण विधेयक है जिसके द्वारा थोड़ा-सा संशोधन किया जाना है इस विधेयक में न तो स्पष्टी-

करण की कोई आवश्यकता है और न ही इसमें अस्पष्टता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, कृषि आयुक्त' शब्द के स्थान पर 'बागवानी आयुक्त' शब्द समाविष्ट करना है। इन शब्दों को अधिनियम में समाविष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बागवानी विभाग बना दिया गया है और नारियल विषयक का कार्य उद्यान विज्ञान आयुक्त द्वारा किया जाता है। यह एक साधारण संशोधन है।

5.00 म० प०

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं। जैसा कि वक्ता ने बताया मैं नारियल बोर्ड के कार्यकरण सम्बन्धी बात को दुहराना चाहता हूं। नारियल बोर्ड का कार्यकरण बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। नारियल बोर्ड को उचित संशोधनों के साथ और अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावकारी बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाये। उत्पादकों की मांगें सन्तोषजनक ढंग से पूरी नहीं की जाती हैं। भारत विश्व में नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, नारियल का वृक्ष बहुत ही उपयोगीवृक्ष है। इस वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी है। कई व्यक्ति अपनी जीविका के लिए इस पर निर्भर करते हैं जैसा कि आप जानते हैं नारियल का तेल दो तरह से बनाया जाता है—एक—मिलों के जरिये और दूसरा परम्परागत तरीके से। ग्रामीण उद्योग की तरह कई लोगों को रोजगार के अवसर दे रहा है। नारियल जटा नारियल के छिलके से बनाई जाती है। केरल में और देश के दूसरे हिस्सों में यह एक महत्वपूर्ण पराम्परागत उद्योग है। ताड़ी भी नारियल से तैयार की जाती है। नारियल के पत्ते घर के छप्पर बनाने व अन्य कार्यों में काम आते हैं। कच्चे नारियल का पानी भी बहुत उपयोगी होता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट पेय है और इसका औषधीय महत्व है। अतः नारियल की खेती में सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है; नारियल बोर्ड के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है। यह बहुत कम है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 9 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से उत्पादकों की सहायता नहीं की जा सकेगी। नारियल बोर्ड को उत्पादकों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए पौद लगाकर, खाद देकर और उचित बाजार प्राप्त करने के लिए सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा 1979 में नारियल बोर्ड के गठन के समय हमने देखा है कि नारियल की खेती में बढ़ोतरी नहीं हुई है और उत्पादन की मात्रा में भी सुधार नहीं हुआ है। कई स्थानों में नारियल की खेती का क्षेत्र भी कम हो गया है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ स्थानों पर पेड़ जड़ के सूख जाने की बीमारी से भी प्रभावित हुए हैं; कुछ स्थानों में उनमें पत्ते सूख जाने की बीमारी भी फैली हुई है और कुछ स्थानों में तने की बीमारी भी फैली हुई है और अधिकतर स्थानों में वे सूखे के कारण नष्ट हो जाते हैं। कुछ स्थानों में नारियल के उत्पादकों ने नारियल की खेती के स्थान पर दूसरी चीजों की खेती शुरू कर दी है क्योंकि नारियल की खेती में किसानों को इतना लाभ नहीं मिलता जितना कि दूसरी फसलों में लाभ मिलता है।

दूसरी समस्या विपणन के बारे में है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नारियल का उत्पादन पूरे वर्ष में लगातार एक जैसा नहीं होता है। छः महीने उत्पादन अच्छा होता है और बाकी के छः महीनों में उत्पादन कम हो जाता है। जब उत्पादन अच्छा होता है तो मूल्य कम हो जाता है। लेकिन जब उत्पादन कम हो जाता है तो मूल्य स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाते हैं। उस समय नारियल का तेल दूसरे देशों से आयात किया जाता है जो उत्पादकों पर प्रभाव डालता है। अतः सरकार को नारियल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नारियल के तेल का आयात सावधानी-पूर्वक करना पड़ता है। सूखे के कारण उत्पादन नहीं बढ़ा है और बोर्ड एक प्रभावकारी निकाय नहीं

है। यह छोटे किसानों की सहायता नहीं करता है और यह किसानों को पौद की विभिन्न उन्नत किस्में भी नहीं देता है। उसने छोटे किसानों को पर्याप्त कीटनाशक दवाईयां भी सप्लाई नहीं की है। इस संदर्भ में मैं एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। नारियल की फसल पर आक्रमण करने वाली विभिन्न बीमारियों को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान किया जाना चाहिए जैसे जड़ सूख जाने की बीमारी, पत्ते सूख जाने की बीमारी, तना सूख जाने की बीमारी आदि। कृषकों को प्रभावकारी कीटनाशक दवाईयां देनी चाहिए। नारियल पर कई प्रकार के नाशीकीट आक्रमण कर रहे हैं इसलिए उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों का पता लगाया जाना चाहिए। जड़ सूख जाने की बीमारी के बारे में कहा गया है कि वृक्ष को हटाने (उखाड़ने) के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जड़ सूखने की बीमारी को दूर करने के लिए कुछ दवाइयों का पता लगाया जाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान किया जाये। नारियल कई किस्म के होते हैं जैसे पीले किस्म के और हरे किस्म के। कुछ वृक्ष लम्बे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। कुछ से अधिक उत्पादन होता है और किसी में कभी कम पैदावार होती है। अतः उत्पादन के पहलू पर विचार करते हुए संकर नारियल पौद की सप्लाई के लिए अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए।

अब वे बौनी किस्म और संकर किस्मों के विकास का प्रयास कर रहे हैं। इन सब किस्मों को मिलाकर लिया जाना चाहिए और अनुसंधान कार्य इस तरह किए जाने चाहिए जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस शंकर किस्म का वितरण ऐसी नर्सरी द्वारा किया जाना चाहिए जिनके स्वामी गैर व्यक्ति नहीं बल्कि सरकारी नर्सरियों द्वारा किया जाना चाहिए।

इस अनुसंधान कार्य का लाभ देश के सभी कोनों तक पहुंचाया जाना चाहिए जिससे इस अनुसंधान से छोटे किसानों और अन्य व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी० एस० बासवराजू (तुमकुर) : श्रीमन्, मैं अपने सहयोगी श्री वक्कम पुरुषोत्तमन द्वारा व्यक्त विचारों का भी समर्थन करता हूं जो कि नारियल विकास बोर्ड में हैं। मैं भी नारियल विकास बोर्ड में हूं। उन्होंने सब कुछ बता दिया है। दुर्भाग्य से इस समय, सरकार ने उचित संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। कृषि आयोग के बजाय यह बागवानी उद्योग होगा। केवल यही संशोधन है। हम पूरे हृदय से इसका समर्थन करते हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अगली बार संगत संशोधन लायें जिसमें सभी आवश्यक बातें समाविष्ट हों अन्यथा जैसा मेरे दोस्त वक्कम पुरुषोत्तमन ने कहा देश में नारियल विकास बोर्ड को चलाने का कोई फायदा नहीं होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : श्रीमन्, यह बहुत ही साधारण संशोधन है और इस संशोधन पर और अधिक चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि नारियल बोर्ड होना भी चाहिए या नहीं। अगर सरकार नारियल बोर्ड के कार्यप्रणाली के बारे में चिन्तित है तो सरकार द्वारा प्रचुर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

मुझे वह दिन भी याद है जब इस बोर्ड का कोचीन में उद्घाटन हुआ था। यह केरल ओनम त्यौहार मनाने जैसा था। कोचीन में सभी ने सोचा था कि नारियल की खेती करने वालों के लिए

एक नया युग आरम्भ हो रहा है। दुर्भाग्य से, अगर हम बोर्ड की कार्य प्रणाली को देखें तो स्पष्टतया देखा जा सकता है जो वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार ने दी है उससे केवल इसके कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और वेतन ही दिया जा सकता है।

अत: मेरा नम्र निवेदन है कि यदि सरकार इस बोर्ड की कार्यचालन के बारे में चिन्तित है, जिसका अस्तित्व हमारे राज्य में किसानों की वित्तीय दशा सुधारने में जरूरी है तो सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि अधिक वित्तीय सहायता कैसे दी जा सकती है।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। एक अन्य बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड है। नारियल जटा बोर्ड उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को आपस में एक दूसरे से लाभ होता है।

मेरे मित्र श्री वक्कम पुरुषोत्तमन ने किसानों की समस्याओं के बारे में कहा है। अत: मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। अगर किसानों की सहायता की जाती है तो नारियल उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग का विकास करना होगा।

एक नारियल जटा उद्योग है। केरल में नारियल जटा उद्योग परम्परागत उद्योग की रीढ़ की हड्डी था। यह पूरे केरल की तटीय क्षेत्र में फैला हुआ था। अब यह बहुत दु:खद स्थिति है— माननीय उद्योग मंत्री ने जब स्वयं केरल का दौरा किया था तो उन्होंने स्वयं देखा था कि किस प्रकार गरीब औरतें रेशा निकालने की प्रक्रिया में रात दिन कठिन परिश्रम करती हैं। कहीं भी इस देश में औरतों द्वारा ऐसा गन्दा काम नहीं किया जाता।

माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करें कि सबसे पहले रेटिंग प्रोसेस तथा रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया का मशीनीकरण किया जाए। मेरे विचार से इस संबंध में कुछ ठोस कार्यवाही की जाएगी।

पुन: नारियल जटा बोर्ड का जिक्र करता हूं। कुछ प्रक्रिया को स्पष्ट करना होगा। या तो नारियल जटा उद्योग और नारियल बोर्ड को मिला दिया जाना चाहिए या कुछ इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाये कि दोनों भली प्रकार कार्य कर सकें।

दूसरी मूलभूत समस्या जिसका पिछले वर्ष केरल में किसानों को सामना करना पड़ा जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था, नारियल और नारियल तेल का कम मूल्य है। इसके क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि किसानों को नारियल से लाभ नहीं मिलता। इसका लाभ बड़े उद्योगपतियों जैसे टाटा आदि को मिलता है। उनको अधिकतम लाभ मिलता है। आज केरल में मैं देखता हूं कि नारियल के तेल का मूल्य 20 और 30 रुपए प्रति किलो के बीच है। लेकिन दिल्ली में अगर आप बाजार जायें और सीलबन्द तेल खरीदें जैसे टाटा का तेल उसका मूल्य 50 रु० से 60 रुपये के बीच है। इसके लिए बोर्ड क्या कर रहा है।

केरल में, हम अधिक से अधिक नारियल उत्पन्न कर रहे हैं और उसे केरल में गिरी के रूप में बदला जा रहा है। लेकिन गिरी से, नारियल का तेल केरल में नहीं बल्कि बम्बई में निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि किसानों को लाभ नहीं मिलता जब नारियल विदेशों में भेजा जाता है तो इसका लाभ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को मिलता है।

बोर्ड का एक उद्देश्य यह था कि हम केरल में नारियल का तेल निकालने वाली अधिकाधिक मिलें लगायेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है। अब प्रश्न क्या उठता है? केरल में गिरी निकालने के

बाद उसमें केवल 3 प्रतिशत या चार प्रतिशत का ही तेल निकाला जाता है। बाकी का नारियल केरल से बम्बई भेजा जा रहा है और बम्बई में बड़े उद्योगपति गिरी से तेल निकाल रहे हैं। इस तरह इसका लाभ बड़े उद्योगपतियों को मिलता है न कि किसानों को।

कम से कम इस समय जब सरकार खाने के तेल के आयात पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रही है तो आपको इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए कि किसानों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है। क्योंकि नारियल का तेल भी खाद्य तेल है।

अतः सरकार को पहला कदम यह उठाना है कि नारियल को तिलहन घोषित करना है। यदि उसे तिलहन घोषित कर दिया जाता है तो खाद्य तेल के आयात पर आप जो खर्च कर रहे हैं कम से कम उसका कुछ प्रतिशत आप नारियल बोर्ड के कार्यकरण के लिए खर्च कर सकते हैं जिससे बोर्ड न केवल किसानों की सहायता के लिए और न केवल जड़ म्लानि रोग जैसी बीमारी के समाधान के लिए बल्कि नारियल से सम्बन्धित उद्योगों की सहायता के लिए केरल में कुछ विकास कार्य आरम्भ कर सकता है। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि नारियल बोर्ड और नारियल जटा बोर्ड को परस्पर इस तरह से सम्बद्ध करना होगा जिससे नारियल से संबंधित उद्योगों को सहायता मिले।

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले संशोधन विधेयक का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं।

कृषि आयुक्त के स्थान पर बागवानी आयुक्त को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए यह एक साधारण विधेयक है। वास्तव में हमारे कुछ सहयोगी पहले ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोल चुके हैं। इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इससे संबंधित दो या तीन मुद्दों पर बोलना चाहता हूं। जब मैं तालुक बोर्ड का अध्यक्ष था तब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था और प्रत्येक परिवार को नारियल वृक्ष लगाने के लिए राजी किया था। नारियल का वृक्ष किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। यह उनके बेटे की तरह होता है। नारियल वृक्ष उगाने वाला व्यक्ति प्रत्येक वृक्ष से एक वर्ष में कम से कम 500 रुपये से 1000 रुपये तक कमा सकता है। इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि अपने देश में नारियल का बागान क्षेत्र बढ़ाया जाय। कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ दूसरे राज्यों में नारियल के बागान हैं। कई वर्षों से इन राज्यों में नारियल का बागान क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया है। मैं मंत्री से इस मामले को देखने और नारियल की खेती को प्रोत्साहन देने का अनुरोध करता हूं।

बोर्ड आशा अनुकूल उत्पादकों की सहायता नहीं कर रहा हूं। बोर्ड को दी गई राशि नारियल की खेती के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। राशि केवल बोर्ड के सदस्यों को डी० ए० टी० ए० और अन्य दिये जाने वाले भत्तों का भुगतान करने के लिए ही काफी है। अतः नारियल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए।

आज भी देश में ऐसी बीमारियां हैं जिनसे नारियल के बागान प्रभावित हुए हैं। इसलिए जड़ म्लानि रोग जैसी आदि बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेषज्ञों को नियुक्त करना आवश्यक हो गया है।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नारियल की खेती एक उद्योग की तरह है। नारियल के तेल को खाद्य तेल घोषित किया जाना चाहिए जैसा कि मेरे सहयोगियों ने सुझाव दिया है। नारियल उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए और नारियल के तेल के आयात को हमेशा के लिए बन्द किया जाना चाहिए। केवल यही उपाय नारियल वृक्ष की खेती करने वाले किसानों को बचा सकते हैं।

मैं संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : श्रीमन, मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात पर बहुत प्रसन्न हूं कि किसी ने भी बागान आयुक्त को सम्मिलित करने पर आपत्ति नहीं की है। बागवानी आयुक्त के सम्बन्ध में संशोधन को अधिकतर सभी ने स्वीकार किया है। श्री वक्कम पुरुषोत्तमन ने इस संबंध में दो वर्षों की देरी का उल्लेख किया है। निःसंदेह सदस्य इस संबंध में जानते हैं। लेकिन जहां तक अध्यक्ष के प्रश्न का संबंध है कृपया आश्वस्त रहिए कि अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। वास्तव में और अधिक देरी नहीं होगी।

5.21 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। केरल और कर्नाटक दोनों 'के' शब्द से शुरू होते हैं और मैं भी 'के' शब्द को लूंगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आप हमारी राजनीतिक मुश्किलों से भी अवगत होंगे। मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : आपको उन कठिनाइयों का पता नहीं है जिसका मैंने सामना किया है।

समस्या यह है। आप भी नहीं चाहेंगे हर बार एक ही 'के' की बारी आए और एक 'के' पहले ही दो अवधियों के लिए अध्यक्ष रह चुका है···

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : नहीं, श्रीमन् अभी तक केवल एक अध्यक्ष रहा है। वह बीमार भी था। मैं विस्तार में नहीं गया। वह कैंसर का रोगी था और वह कार्यालय नहीं आता था। वह बैठकों में भी उपस्थित नहीं होता था।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बार उचित वितरण किया आयेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वार्तालाप न कीजिए। कृपया शान्त रहिये।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आपको हमारी राजनीतिक कठिनाइयों से भी अवगत होना चाहिए। हम केरल में लोगों का सामना नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : श्री पुरुषोत्तमन एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं । मैं आशा करता हूं वह स्वयं इस प्रकार के प्रश्न सदन में नहीं उठायेंगे । वह मुझसे अलग से मिल सकते हैं । मैं उनकी कठिनाइयों को महसूस करता हूं ।

(व्यवधान)

जहां तक धन आबंटन का संबंध है, छठी पंजवर्षीय योजना में हमने 440 लाख रुपये आबंटित किए । सातवीं योजना में हमारा उन्हें गैर-योजना धन सहित 900 लाख रुपए देने का विचार है जो पहले से दुगने से अधिक है । एक प्रश्न अधिक आबंटन के बारे में उठाया गया था । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सभी तिलहन किसानों को जो मिलकर 200 हेक्टर भूमि में 35 लाख टन तेल प्राप्त करते हैं, केन्द्र से केवल 100 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होती है—कृपया यह नोट कीजिए जबकि नारियल के तेल का उत्पादन कुल तेल उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत है और बोर्ड 9 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहा है, वह अन्य तिलहन उत्पादकों से 50 प्रतिशत अधिक प्राप्त कर रहा है ।

एक प्रश्न आयात के बारे में उठाया गया था । मैं उसे भी समझता हूं । पिछली बार भी इसे उठाया गया था और मैंने उन्हें कुछ विश्वास दिलाया था । लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने आयात की आज्ञा दी है वह पुनः पूर्ति लाइसेंस के रूप में दी है । केवल थोड़ी-सी मात्रा फैटी ऐसिड के आयातकों द्वारा आयात की जाती है । किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयात नहीं किया जाता ।

जहां तक नारियल जटा बोर्ड और नारियल बोर्ड के विलय का संबंध है, मैं इसके विषय में वचन नहीं दे सकता हूं । मैं चाहता हूं मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे सकूं । नारियल जटा बोर्ड आदि के बारे में उठाए गए अन्य मामलों के बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता । अगर नारियल जटा बोर्ड यह चाहता है तो वह सरकार को इस विषय में लिख सकता है और तब हम उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.26 म० प०

कोलम्बो मे हुई घटना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोलम्बो में आज सवेरे लगभग 10 बजकर 20 मिनट पर हुई घटना के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

शासकीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रधान मंत्री को विदाई समारोह में गार्ड आफ ओनर का निरीक्षण करना था । दोनों सरकारों के बीच हुई सहमति के अनुरूप विशेष पूर्व सावधानी बरती गई । निरीक्षण गार्ड 2 पंक्तियों में थे । कार्यक्रम के अनुसार प्रधान मंत्री ने अग्रिम पंक्ति का ही निरीक्षण किया । निरीक्षण के अन्त में प्रधान मंत्री नौ सेना गार्ड की ओर गए । उक्त गार्ड ने अपनी राइफल को उठाया और एक झटके के राइफल की बट प्रधान मंत्री को मारी । राइफल का बट प्रधान मंत्री के बायें कंधे पर लगा और प्रधान मंत्री के सिर से भी रगड़ खाई । उसी समय निजी सुरक्षा अधिकारी, जो केवल 2 कदम पीछे था, नौ सेना गार्ड पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे वश में कर लिया । नौ सेना गार्ड की राइफल भी जमीन पर गिर गई । गार्ड आफ ओनर का कमाण्डर, जो कि ठीक प्रधान मंत्री के पीछे था, भी नौ सेना गार्ड पर झपटा ।

असाधारण गतिविधि का अनुभव करते हुए प्रधानमंत्री तेजी से आगे बढ़े और मुड़ गए । एस० पी० जी० की अत्याधिक निकट चल रहा दल जो निजी सुरक्षा अधिकारी के ठीक दाई तरफ था, ने तत्काल प्रधान मंत्री को घेर लिया और उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया । एस० पी० जी० के अन्य सभी सुरक्षा कार्मिकों ने अपनी-अपनी ड्यूटियां कीं । प्रधान मंत्री को तेजी से विशेष कक्ष में ले जाया गया जहां राष्ट्रपति जयवर्धने, श्रीमती जयवर्धने और श्रीमती सोनिया गांधी खड़ी थीं । उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धने और श्रीमती जयवर्धने को विदाई दी और अपनी कार की तरफ कुछ कदम बढ़े । हेलीपेड पर समारोह का आयोजन सम्पन्न हो गया ।

श्रीलंका के सुरक्षा कार्मिकों ने नेवलगार्ड पर तुरन्त काबू पा लिया और उसे हिरासत में ले लिया । गार्ड आफ ओनर के किसी अन्य सदस्य ने कोई असाधारण कार्य नहीं किया और न ही किसी अन्य प्रकार से समारोह के लिए किए गए प्रबन्धों में गड़बड़ हुई ।

चूंकि अकेले हमलावर को तुरन्त काबू में कर लिया गया इसलिए कोई अन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी ।

मुझे विश्वास है कि समस्त सदन प्रधान मंत्री के सुरक्षित होने और हमारे बीच वापस आने के लिए राहत और प्रसन्नता प्रकट करने में मेरा साथ देगा ।

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और अधिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेलवे कम्पनियों, दुकानों तथा कतिपय अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियो को उपदान का भुगतान करने संबंधी योजना तथा तत्संबंधित मामलों की व्यवस्था की गयी है। अधिनियम के अन्तर्गत उपदान का भुगतान इस समय 1600 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित है।

अधिनियम के तहत, उपदान का भुगतान सेवा से अवकाश प्राप्त, सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने पर होता है बशर्ते कि उसने पांच वर्ष तक नौकरी की हो। तथापि पांच वर्ष की सेवा अवधि की शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होती जबकि मृत्यु या शारीरिक असमर्थता के कारण नौकरी समाप्त की गई हो। गैर-मौसमी संस्थाओं में कर्मचारी एक वर्ष अथवा 6 महीने से अधिक की अवधि पूरी होने पर 15 दिन के वेतन की दर पर उपदान के हकदार हैं जबकि मौसमी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन के वेतन कर उपदान दिया जाता है। उपदान के भुगतान की अधिकतम सीमा 20 महीने का वेतन रखा गया है।

1980 और 1982 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गयी थी कि उपदान के भुगतान के लिए समय-सीमा अधिनियम में ही निर्धारित की जाए और जिन मामलों में उपदान की अदायगी देरी से की जाती है उनमें ब्याज की वसूली का उचित उपबंध किया जाना चाहिए। मजदूर संघ अधिक लोगों को उपदान देने हेतु वेतन सीमा बढ़ाने और उपदान की अधिकतम राशि बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन देते रहे हैं। उपदान के भुगतान के लिए एक कोष बनाये जाने के लिए भी मजदूर संघ मांग कर रहे हैं। उपदान के लिये निधि की व्यवस्था के प्रश्न पर श्रम मंत्रियों के एक दल द्वारा तथा नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किया गया था। उन्होंने उपदान के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा निगम के तहत नियोजकों की देयता के अनिवार्य बीमा या आयकर अधिनियम के तहत उपदान ट्रस्ट कोष की स्थापना करने के लिए समुचित उपबंध शुरू करने की सिफारिश की थी।

विभिन्न सुझावों/सिफारिशों पर विचार किया गया है और अब अधिनियम में कतिपय संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

(एक) अधिनियम के अन्तर्गत वेतन की सीमा 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह की जा रही है। यह वेतन की सीमा एक अधिसूचना द्वारा समय-समय पर बढ़ाने के लिये एक समर्थकारी उपबन्ध भी किया जा रहा है।

(दो) 20 महीने के वेतन की वर्तमान अधिकतम सीमा के स्थान पर अधिकतम राशि 50 हजार रुपये की जा रही है।

(तीन) जिस तारीख से उपदान देय हो जाता है उससे 30 दिन के अन्दर इसके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। यदि उपदान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं दिया जाता तो नियोजक को निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देना होगा।

(चार) अधिनियम के अन्तर्गत उपदान देने संबंधी नियोजक की देयता का अनिवार्य बीमा करने अथवा इसके विकल्प के रूप में 500 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं के बारे में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत एक उपदान न्यास निधि स्थापित करने का उपबन्ध किया जा रहा है।

संक्षेप में, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधन इस विधेयक द्वारा किये जाने हैं। मुझे आशा है कि सदस्यगण इन प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे जो कि अविवादास्पद हैं। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक को सदन में विचार करने के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और अधिक संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

5.35 म० प०

भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोलम्बो की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा से अभी-अभी लौटा हूं और मैं इसके निष्कर्ष के सम्बन्ध में तत्काल सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मैं इस यात्रा को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि श्रीलंका के महामान्य राष्ट्रपति ने और मैंने कल 29 जुलाई को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य उस कठिन संघर्ष को समाप्त करवाना है जो वर्षों से हमारे मित्र पड़ोसी श्रीलंका को दुखी करता आया है। सदन श्रीलंका के नागरिकों के बीच के जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि से परिचित है जिसकी जड़ें वहां के जटिल ऐतिहासिक और आर्थिक-सामाजिक कारणों में निहित हैं। इस संघर्ष ने पिछले चार वर्षों में बहुत गंभीर रूप ले लिया था जिसके कारण श्रीलंका के स्थायित्व और उसकी एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा हो गया था।

1983 में तमिलों के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंसा के साथ तो हालात बहुत ही अधिक बिगड़ गए। मैं बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं और उन व्यापक दुख-पीड़ाओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता जो श्रीलंका के लोगों को सहनी पड़ीं। जुलाई, 1983 और मई, 1987 के बीच की अवधि विशेष रूप से श्रीलंका के इतिहास का दुखद अध्याय है। हजारों नागरिकों की हत्या हुई जिनमें तमिल, सिंहली, औरतें और बच्चे, यहां तक कि भिक्षु और पुजारी भी शामिल हैं। हजारों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए, खुद अपने ही देश श्रीलंका में। करीब 1,50,000 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत आ गए।

हमने श्रीलंका की जातीय समस्या के स्थायी समाधान की एक रूपरेखा तैयार की। इस समझौते से वे बुनियादी आकांक्षाएं पूरी होती हैं जो तमिल संघर्ष का मूल कारण है, यानि उनकी यह इच्छा कि उनकी स्पष्ट जातीय अस्मिता को स्वीकार किया जाए; अपने राजनैतिक भविष्य के प्रबंध के लिए उन्हें राजनैतिक स्वायत्तता मिले; इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें समुचित राजकीय सत्ता प्राप्त हो; श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को तमिलों के ऐतिहासिक निवास के क्षेत्रों के रूप में स्वीकृति मिले तथा तमिल को श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की एक राजभाषा माना जाए।

इस करार में श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है जिसकी अपनी एक निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी और एक मुख्य मंत्री होगा। मई से दिसम्बर, 1986 के बीच जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया था उनकी रूपरेखा के अन्तर्गत प्रान्तीय परिषद को अधिकार दिए जाएंगे ताकि श्रीलंका के प्रान्तों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता का सुनिश्चय हो सके।

श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति निकट भविष्य में हटा ली जाएगी। लड़ाई-बन्दी और शस्त्र समर्पण एक निश्चित समयावधि में किया जाएगा। सभी उग्रवादी वर्गों को आम माफी दी जाएगी। तीन माह के भीतर-भीतर प्रान्तीय परिषदों के चुनाव होंगे।

इस करार में उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के बीच सम्पर्क के बुनियादी मुद्दे पर 1988 के अन्त तक जनमत संग्रह का सुझाव है जिसे स्थगित करने का राष्ट्रपति को विवेकाधिकार होगा।

श्रीलंका के राष्ट्रपति और मैंने एक-दूसरे को पत्र भी दिए हैं जिनमें श्रीलंका ने भारत की राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के प्रति सकारात्मक होना स्वीकार किया है। इस करार में और इन पत्रों में उन दायित्वों का विवरण दिया गया है जिन्हें वहन करना भारत ने स्वीकार किया है जिससे श्रीलंका की एकता, प्रादेशिक अखण्डता और स्थायित्व का सुनिश्चय हो सके। हम अपने इन दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तरह निभाएंगे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि कोलम्बो और श्रीलंका के कुछ अन्य हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में जो हिंसा भड़की है वह सिंहल आतंकवादी संगठन जे० वी० पी० का काम है। उनका सोचना था कि धार्मिक संगठनों और विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने अपने आपको जे० वी० पी० के हाथों का खिलौना बनने दिया है लेकिन मजदूर संघों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी दल ने इस हिंसा का समर्थन नहीं किया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा इसी संगठन ने सन् 1971 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विद्रोह करवाया था। इस विद्रोह को बनाने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने हमसे सहायता मांगी थी और हमने तत्काल पूरी सहायता की थी।

राष्ट्रपति जयवर्धने ने बताया कि इन गड़बड़ियों के कारण बिगड़ती हुई स्थिति के परिणाम-स्वरूप और श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं पर इनकी ओर से आने वाली बढ़ती हुई मांगों की वजह से उनकी सरकार को जातीय संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत-श्रीलंका करार को क्रियान्वित करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य से श्रीलंका की सरकार ने समुचित भारतीय सैनिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध किया ताकि जाफना प्रायद्वीप में लड़ाई-बंदी

और शस्त्र समर्पण, और अगर जरूरत पड़े तो पूर्वी प्रान्त में भी, सुनिश्चय हो सके। उन्होंने श्रीलंका के कुछ सैनिकों को जाफना से दक्षिण में कुछ स्थानों पर ले जाने के लिए सैनिक परिवहन के लिए भी अनुरोध किया।

श्रीलंका की सरकार के इस औपचारिक अनुरोध के उत्तर में तथा हाल ही में सम्पन्न भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप भारत की सशस्त्र सेना के यूनिट आज जाफना प्रायद्वीप में उतर गए हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे सैनिक श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार के विशिष्ट और औपचारिक अनुरोध पर वहां उतरे हैं जिन्होंने भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत हमारे दायित्वों और वायदों का हवाला दिया था। हमारे सैनिक श्रीलंका में जातीय संकट को समाप्त करवाने के लिए किए गए करार को कार्यान्वित कराने में मदद देने के उद्देश्य से भेजे गए हैं और उनका वहां भेजा जाना श्रीलंका की एकता और अखण्डता के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। हम विभिन्न स्तरों पर श्रीलंका सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

यह करार करना श्रीलंका की सरकार और श्रीलंका के नेताओं के लिए आसान बात नहीं रही है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जयवर्धने की बुद्धिमता, उनके साहस और उनकी राजनीतिमत्ता की सराहना करना चाहूंगा।

मैं आश्वस्त हूं कि श्रीलंका के साथ हमने कल जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं उससे श्रीलंका के हाल के इतिहास का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया है और भारत श्रीलंका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं इस ओर से भी पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस करार से अतीत का तनाव और अविश्वास दूर हो जाएगा तथा श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच की मित्रता और अधिक सुदृढ़ होगी जो 2500 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और जिनका इतिहास तथा सांस्कृतिक परम्परा एक रही है।

कल कोलम्बो में महामान्य राष्ट्रपति जयवर्धने और मैंने जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका पाठ और हमारे बीच जिन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है उनका पाठ भी यशाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

श्री पी० कुलनदेईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आप * श्रीलंका। महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : मैं आपसे सदन को स्थगित करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : काम करेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री ने भारत और श्रीलंका की बहबूदी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम किया है, उसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए हम सब और सारा सदन भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इनको लम्बी आयु दे जिससे यह सदैव देश की रक्षा करते रहें।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : हमें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्रधान मंत्री जी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सुरक्षित वापस लौट आए हैं। महोदय, मैं सदन की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि आज के लिए सभा स्थगित कर दी जाए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम देखते हैं कि हमेशा सभी को स्वीकार्य स्थिति आती है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मेरी छः पंक्तियां राजीव जी को और आप सबको देश की तरफ से अर्पित हैं :

"रक्त सनी धरती पर छिड़का मां गंगा का पानी,
महाबुद्ध के बेटों को दे आए नई कहानी,
तमिल और सिंहल दोनों हैं सगे सहोदर भाई,
जान हथेली पर लेकर भी तुमने शान्ति सुधा बरसाई,
मां भारत का आंचल तुम पर सदियों तक लहराये,
अमर रहे राजीव हमारा बच्चा-बच्चा गाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं और इस प्रार्थना के साथ कि श्री राजीव गांधी···

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष जी, मैं भी इसके संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं :

"आपका दौरे हकुमत यादगारे अदल है,
कश्ती ए गांधी को साहिल पे उतारा आपने।"

अध्यक्ष महोदय : इस प्रेयर के साथ मैं समझता हूं आपकी शुभकामनाएं भारत और श्रीलंका, दोनों ही देश के वासियों को कि दोनों भाई की तरह से हाथ में हाथ मिलाकर और बहुत ही अच्छे स्वर्णिम काल की प्रतीक्षा में मिलकर काम करते रहें और पूरे तरीके से हम पुरानी बातें, जो कि कटुता की हैं, वे भूल जाएं और प्यार से आगे बढ़ें।

5.45 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 1987/9 श्रावण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर दिल्ली-53.